कानपुर नगर निगम

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वर्षः— 2020—2021

कानपुर नगर निगम

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2020–2021

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 (यथा संशोधित 2020) के नियम–77 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों में तैयार किया गया है। प्रथम भाग में अनिस्तारित आपत्तियों सहित आपत्ति विवरण में तकनीकी अनियमिततायें, लोप तथा त्रुटियां सम्मिलित हैं। द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित विशेष आपत्ति, माँग पत्र, पेंशन विवरण तथा नगर निगम की वित्तीय स्थिति का उल्लेख है।

उपर्युक्त नियम–77 में इस बात का भी प्रावधान है कि ऐसे प्रतिवेदन में इस बात पर भी प्रकाश डाला जाय कि उक्त उठाये गये सामान्य एवं गम्भीर प्रकरणों पर विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई, उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

प्रशासन

आलोच्य वर्ष में, नगर निगम, कानपुर में निम्न महापौर, नगर आयुक्त एवं मुख्य नगर लेखा परीक्षक तैनात रहेः–

1. **माननीय महापौर** :–**श्रीमती प्रमिला पाण्डेय ।**
2. **नगर आयुक्त** : 1. श्री अक्षय त्रिपाठी
3. **मुख्य नगर लेखा परीक्षक** 1. श्री इसरार अम्बिया अंसारी

भाग–1

1.1 आपत्तियों का विवरण

नगर निगम के विभिन्न विभागाध्यक्षों ने सम्परीक्षा विभाग द्वारा वाँछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने व उठायी गई आपत्तियों को निर्णीत कराये जाने की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि नगर निगम लेखा नियमावली 1960 (यथा संशोधित 2020) के नियम–76 के अनुसार आपत्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर विभाग द्वारा उत्तर दे दिया जाना चाहिये, परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण आलोच्य वर्ष में उठायी गयीं 40 साधारण आपत्तियों में से किसी भी आपत्ति का निराकरण नहीं कराया गया व इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में उठायी गयीं 17 विशेष आपत्तियों में से किसी भी विशेष आपत्ति का निराकरण नहीं कराया गया। साथ ही जोनों में पदस्थ लेखापरीक्षकों द्वारा कानपुर नगर निगम की सीमान्तर्गत स्थित व्यवसायिक सम्पत्तियों के किये गये कर निर्धारण से संबंधित पत्रावलियाँ एवं अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने के लिये संबंधित जोन के जोनल अधिकारियों से बार–बार लिखित एवं मौखिक रूप से माँग की गयी, परन्तु संबंधित जोनल अधिकारियों द्वारा वांछित कर निर्धारण पत्रावलियाँ एवं अभिलेख परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) के तहत इस संबंध में आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में नगर आयुक्त को उपयुक्त कार्यवाही हेतु कई पत्र प्रेषित किये गये परन्तु जोनल अधिकारियों द्वारा व्यवसायिक कर निर्धारण संबंधी पत्रावलियाँ एवं अभिलेख जोनो में पदस्थ लेखा परीक्षकों को परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थवश लेखा परीक्षकों को उपर्युक्त वांछित पत्रावलियाँ एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जो कि गंभीर अनियमितता का परिचायक है। साथ ही कानपुर नगर निगम के आर्थिक हितों के सवर्था प्रतिकूल है। शासन का ध्यान इस दिशा में विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2020–21 की साधारण एवं विशेष आपत्तियों का विवरण

क्रम सं0	विभाग का नाम	साधारण आपत्तियाँ			विशेष आपत्तियाँ		
		उठायी गयी सा0 आपत्तियाँ	निर्णीत सा0 आपत्तियाँ	शेष सा0 आपत्तियाँ	उठायी गयी विशेष आपत्तियाँ	निर्णीत विशेष आपत्तियाँ	शेष विशेष आपत्तियाँ
	1	2	3	4	5	6	7
1	अधिशाषी अभियंता जोन–1	1		1			
2	अधिशाषी अभियंता जोन–2	9		9	2		2
3	अधिशाषी अभियंता जोन–3	3		3	1		1
4	अधिशाषी अभियंता जोन–4				3		3
5	अधिशाषी अभियंता जोन–5	1		1	1		1
6	अधिशाषी अभियंता जोन–6	3		3			
7	जलकल विभाग	1		1			
8	भण्डार विभाग	4		4	2		2
9	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	6		6	1		1
10	केयर टेकर विभाग	1		1			
11	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	2		2	2		2
12	कैटिल कैचिंग विभाग				2		2
13	उद्यान विभाग	3		3			
14	वर्कशाप विभाग	2		2	2		2
15	कार्मिक विभाग	3		3			
16	मार्ग प्रकाश विभाग	1		1			
17	प्रोजेक्ट विभाग				1		1
	कुल आपत्तियाँ	40		40	17		17

1.2 अनिस्तारित साधारण आपत्तियाँ

प्रभारी अधिकारी भण्डार

विषयः– निविदा से होने वाले कार्य की दो अलग–2 पत्रावली बनाये जाने स शासनादेश का उल्लंघन किये जाने के संबंध में।

भण्डार विभाग की डंग मशीन की आपूर्ति से संबंधित पत्रावली संख्या 26/एसटी/2019–20 की सम्परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त आपूर्ति हेतु मे0 आर0के0 सन्स को रू0 96200 का भुगतान लेखा विभाग द्वारा बाउचर संख्या 1009/जनवरी 20 के माध्यम से किया गया है।

पत्रावली से स्पष्ट है कि भण्डार विभाग द्वारा एक माह पूर्व ही संबंधित फर्म से 01 नग डंग मशीन की आपूर्ति करने पर रू 97125 की कार्योत्तर स्वीकृति दि0 05.07.19 को प्राप्त कर मे0 आर0के0 सन्स को भुगतान की कार्यवाही की गयी एवं दि0 22.07.19 को पुनः इस पत्रावली के माध्यम से कार्योत्तर स्वीकृति का उल्लेख करते हुये 01 नग डंग मशीन की आपूर्ति प्राप्त कर भुगतान किया गया है।

पत्रावली के आलोक में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित हैः–

1. संबंधित विभाग द्वारा भण्डार विभाग को कुल कितनी मशीनों की आवश्यकता दर्शाते हुए पत्र प्रेषित किया गया ?
2. भण्डार विभाग द्वारा एक बार में ही दोनों मशीनों की आपूर्ति प्राप्त करने अथवा भुगतान कराये जाने हेतु कार्यवाही न किये जाने का क्या औचित्य है, क्योंकि दोनो मशीनों के बिल एक ही साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. पूर्व में एक मशीन की आपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त भुगतान के समय कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त, उस दर को स्वीकृत दर दर्शाते हुये पुनः आपूर्ति प्राप्त किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है।
4. दोनों मशीनों की आपूर्ति एक साथ की गयी है एवं संबंधित फर्म द्वारा एक ही दिनाँक में दोनों बिल निर्गत किये गये। जिससे स्पष्ट है कि निविदा से बचने के लिए दो पत्रावली बनाई गयीं। इस प्रकार निविदा के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली आपूर्ति की विभिन्न तिथियों में दो पत्रावली बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाय।
5. मशीन की आपूर्ति से संबंधित अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 01)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

विषयः– भूसा, हरा चारा तथा चोकर की आपूर्ति में किये जा रहे भुगतान से आयकर की कटौती न किये जाने के संबंध में।

कैटिल कैचिंग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न काजी हाउसों गो अभ्यारण्य में निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों पर एजेन्सी से भूसा, हरा चारा तथा चोकर की आपूर्ति प्राप्त कर भुगतान किया जा रहा है। सम्परीक्षा में पाया गया कि भुगतान की जाने वाली धनराशि से आयकर की कटौती नहीं की जा रही है। जबकि प्रत्येक बार पत्रावली पर आयकर की कटौती हेतु लिखा जा चुका है। नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू0 75000 से अधिक के भुगतान पर आयकर नियमों के अन्तर्गत आयकर कटौती किये जाने का प्राविधान है।

अतः किन परिस्थितियों में आयकर की कटौती नहीं की जा रही है, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 02)

प्रभारी अधिकारी (उद्यान)

विषयः– आगणन में मेसन तथा हेल्पर का अलग–अलग उल्लेख कर भुगतान किये जाने के संबंध में।

उद्यान विभाग की पत्रावली संख्या 155/उद्यान अधीक्षक/2018–19 के परीक्षण में पाया गया कि संबंधित कार्य के आगणन में आयटम नं0 08 एवं 09 पर मेसन एवं हेल्पर का उल्लेख किया गया है तथा एमबी से स्पष्ट है कि हेल्पर तथा मेसन पर कुल रू0 6320 व्यय किया गया है जबकि कराये गये कार्य के आयटम से स्पष्ट हो रहा है कि सभी कार्य पी डब्लू डी शेड्यूल की दर से लेबर सहित कराया गया है। इस प्रकार कुल रू0 6320 का अनियमित भुगतान किया गया।

अतः उक्त अनियमित भुगतान की वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 03)

प्रभारी अधिकारी (उद्यान)

विषयः– **एक साथ टेण्डर आमांत्रित न करके अलग–अलग कोटेशन से कार्य कराए जाने के संबंध में।**

उद्यान विभाग में कराए गये कार्य का कोटेशन एक ही तिथि को अलग–अलग आमांत्रित की गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए कार्य को टुकड़ों में बाँट कर रू0 एक लाख से नीचे करने कोटेशन के माध्यम से कराया गया जो कि एक कार्य के एक टेण्डर सिद्धांत के शासनादेश के विरूद्ध है।

उद्यान विभाग द्वारा तुलसी उपवन में कराये गये कार्य (पाथवे निर्माण, गोमुख व वाटर चैनल निर्माण व राम मिलन स्थल एवं जटायू स्थल का निर्माण सुधार कार्य) से संबंधित पत्रावली संख्या 155/उद्यान अधीक्षक/2018–19, पत्रावली संख्या 156/उद्यान अधीक्षक/2018–19 एवं पत्रावली संख्या 157/उद्यान अधीक्षक/2018–19 के परीक्षण में पाया गया कि एक ही कार्य को टुकड़ो में बाँट कर अलग–अलग कोटेशन तथा एक तिथि 08.03.2019 को कार्यादेश जारी किया गया है, जबकि कोटेशन न कराकर एक मुश्त निविदा करायी जानी थी, जिससे नगर निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होती और नगर निगम को लाभ प्राप्त होता। कराये गये कार्य का विवरण निम्नवत हैः–

क्रम सं.	कार्य का नाम	धनराशि	कोटेशन आमांत्रित करने के तिथि
1	जोन–4 के अन्तर्गत तुलसी उपवन में गोमुख व वाटर चैनल की मरम्मत का कार्य।	85617.00	08.03.19
2	जोन–4 के अन्तर्गत तुलसी उपवन में पाथवे का सुधार कार्य।	81838.00	08.030.19
3	जोन–4 के अन्तर्गत तुलसी उपवन में राम मिलन स्थल व जटायु स्थल का सुधार कार्य।	81771.00	08.03.19

उपरोक्त के संबंध में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित हैः–

1. कोटेशन सूचना पत्रावली में संलग्न क्यों नहीं है।
2. निरीक्षण आख्या दि0 23.08.2018 द्वारा कार्य टुकड़ों में कराये जाने का उल्लेख है अथवा नहीं। निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं है।
3. निविदा से कराये जाने वाले कार्य को कोटेशन से क्यों कराया गया।
4. कोटेशन से कराये जाने की सूचना जारी न किये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाये।
5. कार्य दिनाँक 03.07.19 को समाप्त हो चुका तो माप पुस्तिका में 05 माह बाद 20.12.19 को माप किये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाये।

(साधारण आपत्ति संख्या 04)

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

विषयः– वाहन क्रय से सम्बन्धित पत्रावली में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

कैटिल कैचिंग विभाग हेतु 05 नग कैटिल कैचिंग वाहनों के क्रय पर कुल रू0 6950000/– व्यय किया गया है। भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीः–

1. वाहन आपूर्ति किस तिथि को हुई पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
2. अनुबन्ध के शर्तानुसार वाहन का आरटीओ, रजिस्ट्रेशन विक्रेता द्वारा कराया जाना था। रजिस्ट्रेशन कराया गया अथवा नहीं पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

3. फर्म द्वारा 5: प्रतिशत परफार्मेन्स सिक्योरिटी 18 माह के लिए दिया जाना था, जो फर्म द्वारा मात्र 10 माह के लिए दिया गया है। परफार्मेन्स सिक्योरिटी 10 माह का लिए जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है, ताकि पत्रावली की सम्परीक्षा की जा सके।

(साधारण आपत्ति संख्या 05)

मुख्य अभियंता

विषयः– निविदा डालते समय ठेकेदार/फर्म द्वारा संलग्न की गयी जमानती धनराशि को वापस कर दिये जाने तथा बिल से नकद जमानत धनराशि की कटौती किये जाने के संबंध मे।

जोन–3 वार्ड 92 के अन्तर्गत एच ब्लाक स्थिति म0न0 128/95 से 128/169 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 108/एए–3/19–20 के परीक्षण में पाया गया कि संबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा डालते समय रू0 84539.00 एफडीआर (सं0 6189, 58801, 58459 ,58518, 59514, यूको बैंक) संलग्न की गयी थी। किन्तु संबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा अनुबन्ध की कार्यवाही के समय संलग्न एफडीआर के स्थान पर मात्र रू0 56500.00 के एफडीआर ही संलग्न किये गये, जिनकी क्रम संख्या 006189 एवं 006383 है।

जिससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा निविदा के समय संलग्न की गयी एफडीआर को संबंधित ठेकेदार/फर्म को वापस कर दिया गया व कम धनराशि की एफडीआर लेकर अनुबन्ध निष्पादित किया गया व शेष जमानत धनराशि को नकद बिल से काटा गया है। बिना पूर्ण जमानत धनराशि लिये अनुबन्ध का कोई औचित्य ही नहीं है और यह कृत्य अनियमित, आपत्तिजनक, नगर निगम के वित्तीय हितों के प्रतिकूल तथा दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है।

उपरोक्त के संबंध में निविदा के समय जमा जमानत धनराशि को वापस किये जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुबंध के समय कम जमानत धनराशि लिये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 06)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–2)

विषयः– जमानत धनराशि लिये बिना कार्य कराये जाने व मानचित्र में भिन्नता के संबंध में।

अभियन्त्रण खण्ड जोन–2 वार्ड 58 के अन्तर्गत जे0के0 प्रथम से जखईबाबा को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित दुर्गामंदिर के सामने साइड पटरी सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली के परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीं:–

1. परीक्षण में पाया गया कि मेसर्स जी0एफ0 इन्टरप्राइजेज द्वारा निविदा में प्रतिभाग करते समय रू0 85000 का ईएमडी संलग्न किया गया था। परन्तु अनुबन्ध के समय अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जमानती धनराशि बिल से काटने की अनुमति दी गयी। जब जमानती धनराशि रू0 85000 का संलग्न था तो, बिल से धनराशि काटे जाने की अनुमति दिये जाने का औचित्य नहीं था। संलगन जमानत धनराशि किसके आदेश से वापस की गयी, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार जमानत धनराशि होने के बावजूद बिना किसी आदेश के वापस कर बिना जमानत धनराशि के अनुबन्ध निष्पादित किया जाना टेण्डर नियमावली के विपरीत है।
2. अनुबंध पत्र एवं पृष्ठ संख्या 05 पर अंकित आख्या में जमानती धनराशि की कटौती बिल से किये जाने का उल्लेख है, जबकि माप पुस्तिका एवं बिल से स्पष्ट है कि जमानती धनराशि की कटौती बिल से नहीं की गयी है। जमानती धनराशि लिये बगैर कार्य कराये जाने व कार्य कराये जाने के पश्चात् जमानती धनराशि की कटौती बिल से न किये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
3. कार्य के पूर्व के संलग्न मानचित्र में लंबाई 98 मीटर अंकित की गयी है, जबकि कार्य के पश्चात् के मानचित्र में कार्य की लंबाई 144.0 मीटर अंकित की गयी है। उपरोक्त भिन्नता का कारण स्पष्ट नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 07)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–6)

विषयः– 20 माह पश्चात् अनुबन्ध किये जाने तथा अनुबन्ध के 07 माह पश्चात् विलम्ब से कार्य समाप्त किये जाने के संबंध में।

जोन–6 वार्ड 45 के अन्तर्गत मकड़ी खेड़ा में एन आर आई सिटी के सामने से बस्ती तक नाला निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 127/एए–6/17–18 के परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीं:–

1. कार्य स्वीकृति के 20 माह पश्चात् अनुबंध कराये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है।
2. विभाग द्वारा ठेकेदार को कई बार नोटिस देने के पश्चात् भी अनुबंध नहीं किया गया। इस स्थिति में ठेकेदार/फर्म की अर्नेस्ट मनी जब्त कर किसी अन्य ठेकेदार/फर्म से कार्य कराया जाना चाहिए था, जो कि विभागीय लापरवाही एवं शिथिलता के कारण विलम्ब रहा एवं अपेक्षित लाभ समय से प्राप्त न हो सका।

3. अनुबंध होने के पश्चात् बिना किसी कारण के कार्य को 07 माह में पूर्ण किया गया, जबकि निविदा शर्तों के अनुसार कार्य को 90 दिन मे पूर्ण किया जाना था।
4. अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिना किसी कारण के कार्य में विलम्ब किये जाने पर अर्थ दण्ड (01 प्रतिशत से 10 प्रतिशत) अधिकतम 10 प्रतिशत लगाये जाने का प्राविधान का है। जिसके सापेक्ष मात्र रू0 2000 की कटौती कयी गय है। अर्थदण्ड कम लगाये जाने का कारण पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 08)

प्रभारी अधिकारी (कार्मिक)

विषयः– विभाग द्वारा प्रस्तावित सेवा लाभ से भिन्न लाभ स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

कैटिल कैचिंग विभाग में पदस्थ श्री अरविन्द मिश्रा, कर एवं राजस्व निरीक्षक(श्रेणी–2) की व्यक्तिगत पत्रावली की नोटशीट संख्या 20 पर विभाग द्वारा दि0 01.12.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एवं 26 वर्ष की कुल सेवा पर दिनाँक 06.02.2014 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिये जाने हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुरूप संस्तुति/आख्या दी गयी।

किन्तु कार्मिक विभाग द्वारा अपने आदेश संख्या1011/2019–20/क दि0 21.12.19 के द्वारा श्री मिश्रा को दि0 27.12.2017 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया है। जो कि वर्तमान में प्रचलित ए0सी0पी0 शासनादेशों के प्रतिकूल व विभागीय संस्तुति से भिन्न है।

श्री अरविन्द मिश्रा, कर एवं राजस्व निरीक्षक (श्रेणी–2)को एसी0पी0 के वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत लाभ प्रदान न किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

अतः प्रकरण पर स्पष्ट आख्या अपेक्षित है जिससे अन्य प्रकरणों की भी जाँच की जा सके।

(साधारण आपत्ति संख्या 09)

प्रभारी अधिकारी (उद्यान)

विषयः– कार्य पूर्ण करने में विलम्ब होने के उपरान्त भी विलम्ब दण्ड की कटौती न किये जाने के संबंध में।

उद्यान विभाग की पत्रावली संख्या 126/उद्यान अधीक्षक/2016–17 के परीक्षण में पाया गया कि लेखा विभाग द्वारा रू01095639 का भुगतान बाउचर संख्या 631/फरवरी 2020 में किया गया है।

कार्य का आगणन जी0एस0टी0 सहित रू0 1492955 का तैयार किया गया व निविदा के माध्यम से कार्य मे0 लायन कान्स0 कं0 को आवंटित हुआ। उक्त कार्य हेतु कार्यादेश संख्या डी/372/उ0अधी0 (मि0)/2016–17 दि0 30.03.2017 निर्गत किया गया, जिसके अनुसार कार्य 60 दिनों में समाप्त किया जाना था। किन्तु पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि कार्य दि0 20.06.2019 को

प्रारम्भ हुआ तथा दि0 10.07.2019 को समाप्त हुआ। इस प्रकार लगभग 28 माह उपरान्त कार्य पूर्ण किया गया, किन्तु समयवृद्धि हेतु की जाने वाली नियमानुसार कटौती नहीं की गयी।

अतः समय से कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण होने वाली कटौती न किये जाने का कारण स्पष्ट कराया जाना तथा अपेक्षित धनराशि नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 10)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–5)

विषयः– आगणन दर से अधिक दर पर कार्य की गणना के कारण हुये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में।

जोन–5 वार्ड 53 के अन्तर्गत डी ब्लाक में डी–23 से डी–27 तक सड़क सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 96/एए–5/19–20, कार्य मे0 दर्शिनी इण्टरप्राइजेज द्वारा सम्पादित किया गया है, की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य के आगणन में आइटम नं0 07 में Consolidation of stone blast all copm Work हेतु दर रू0 82 प्रति CUM अंकित है। जबकि माप पुस्तिका में दर रू0 132 प्रति ब्न्डलगाते हुये भुगतान किया गया है। इस प्रकार 53.01m^3 X132= रू0 6997.32 का भुगतान किया गया जबकि 53.01m^3 X82=रू0 4346.82 का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार रू0 2650.50. 4% below=रू0 2544 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 11)

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

विषयः–कयदारी के भुगतान से नियमानुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती न किये जाने के संबंध में।

वर्कशाप विभाग की 06 नग ट्रालीनुमा ट्रैक्टर ट्राली क्रयदारी से संबंधित पत्रावली संख्या 157/सी0सी0 (एफ)/19–20 के परीक्षण में पाया गया कि लेखा विभाग द्वारा बाउचर संख्या 670,671,672/नवम्बर 2019 के माध्यम से जी0एस0टी0 सहित रू0 9,82,200.00 का भुगतान किया गया।

नियमानुसार नगर निगम द्वारा की गयी क्रयदारी/ली गयी आपूर्ति एवं अन्य कार्यों हेतु किये जाने भुगतानों से आयकर (टी0डी0एंस0) की एवं जी0एस0टी0 की कटौती किये जाने का प्राविधान है। किन्तु पत्रावली की सम्परीक्षा में पाया गया कि कार्य के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान बिना किसी कटौती के किया गया है, जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त प्रश्नगत भुगतान से किस नियम/शासनादेश के आधार पर आयकर (टी0डी0एस0) रू0 8324.00 एवं 2 प्रतिषत जी0एस0टी0 रू0 16647.00 की कटौती नहीं की गयी, स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, ताकि उक्त नियम/शासनादेश के आलोक में पत्रावली की सम्परीक्षा की जा सके।

(साधारण आपत्ति संख्या 12)

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

विषयः– आयकर की कटौती न किये जाने के संबंध में।

कैटिल कैचिंग विभाग में विभिन्न सामाग्री की आपूर्ति कोटेशन के माध्यम से मे0 सेल्स कार्पोरेशन से प्राप्त की गयी। मे0 सेलस कार्पोरेशन को जी0एस0टी0 सहित सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया जबकि स्त्रोत पर आयकर काटने के पश्चात फर्म को भुगतान किये जाने का प्राविधान है। भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

क्रम सं0	फर्म का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	वाउचर सं0	आयकर की कटौती
1	सेल्स कार्पोरेशन	75390	111/नव0 20	शून्य
2	सेल्स कार्पोरेशन	80220	110/नव0 20	शून्य

उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है कि किस नियम/शासनादेश के अन्तर्गत आयकर की कटौती नहीं की गयी है शासनादेश/नियम की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(साधारण आपत्ति संख्या 13)

प्रभारी अधिकारी (कार्मिक)

विषयः– श्री अनित कुमार सैनी, चपरासी, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवापुस्तिका में अंकित जन्मतिथि एवं नाम में भिन्नता के संबंध में।

श्री अनित कुमार सैनी पुत्र स्व0 धनेश कुमार सैनी की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में चपरासी के पद पर कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 750/व्यव0–10/2009–10/क दिनांक 30.09.2009 द्वारा की गयी थी। पत्रावली के परीक्षण में पाया गया किः–

1. कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली के पृष्ठ सं0 07 पर उपलब्ध वर्ष 1995 की कक्षा–05 की अंकतालिका में जन्मतिथि 05.07.1985 (पाँच जुलाई उन्नीस सौ पच्चासी) अंकित है, जबकि सेवापुस्तिका में कर्मचारी की जन्मतिथि मेडिकल बोर्ड के आधार पर दि0 16.02.1985 अंकित की गयी है। उक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम सेवा नियमावली 1962 का नियम 47 (6) निम्नवत् हैः–

47(6)–इस नियमावली के प्रयोजनों के लिये किसी कर्मचारी की आयु का अवधारण उसके जन्म दिनांक से किया जायेगा जैसा कि वह उसके हाई स्कूल परीक्षा पत्र में अथवा सरकार द्वारा उक्त परीक्षा के समकक्ष अभिज्ञात किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित हो अथवा यदि ऐसा प्रमाण पत्र न हो तो उस जन्म दिनांक से किया जायगा जैसा कि वह हिन्दुस्तानी फाइनल परीक्षा या जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में अभिलिखित हो अथवा जैसा कि वह सरकार द्वारा अभिज्ञात किसी संस्था के छात्र रजिस्टर में दर्ज हो। जब कर्मचारी की आयु का ऐसा कोई प्रमाणिक अभिलेख विद्यमान न हो या जब कर्मचारी ने किसी अभिज्ञात संस्था में न पढ़ा हो तो अन्य विश्वसनीय लेख्य साक्ष्य का परीक्षण करना अनुज्ञेय होगा, जैसे सेवापुस्तिका में प्रविष्टियां, जन्म रजिस्टर में प्रविष्टि की प्रमाणिक प्रतिलिपि, माता पिता अथवा अभिभावक का शपथ पत्र, जन्म कुंडली अथवा ऐसे किसी अन्य अभिभावक का प्रस्तुत किया जाना या जिले के सिविल सर्जन के चिकित्सीय प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना। कर्मचारी की सही आयु के बारे में नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2. श्री अनित कुमार सैनी की अंकतालिका में नाम अनीत कुमार अंकित है, जबकि सेवा अभिलेखों में नाम अनित कुमार सैनी अंकित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 14)

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

विषयः– टायर आपूर्ति में अनियमित भुगतान के फलस्वरूप रू0 10090/– की आर्थिक क्षति के संबंध में।

नगर निगम के वाहनों को टायर आपूर्ति से संबंधित भुगतान पत्रावली परीक्षण में पाया गया कि वाहन संख्या–यू0पी078 बी.जी. 0263 तथा बी.जी. 0264 को पाँच अदद टायर आपूर्ति हेतु क्रमशः वाउचर संख्या 299/सितम्बर 20 द्वारा रू0 25352/– तथा वाउचर संख्या 177/मई 20 द्वारा रू0 25062/– का भुगतान किया गया है। परन्तु टायर की आपूर्ति कब प्राप्त हुई पत्रावली में अंकित नहीं है। वर्णित वाहन में मात्र 4 टायर ही लगा होता है। विभाग द्वारा 5 टायर की आपूर्ति प्राप्त किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। जब वाहन में 4 टायर की ही आपूर्ति होनी थी तो 5 टायर की आपूर्ति लेकर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी जिसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर हुई आर्थिक क्षति रू0 10090/– को नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 15)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

विषयः– स्वीकृत धनराशि से अधिक का भुगतान कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाने के संबंध में।

मेसर्स ज्योति ट्रेवेल्स द्वारा आपूर्ति किराये के हल्के वाहनों से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान लेखा विभाग द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। जिससे प्रतीत होता है कि नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत धनराशि का अवलोकन न करके फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर भुगतान किया है जो कि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। भुगतान किये गये बिलों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	पत्रावली सं0	नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि
1	आर0/63/प्र0अ0वर्क0/19–20	912440	921657
2	आर0/71/प्र0अ0वर्क0/19–20	985179	995130
3	आर0/78/प्र0अ0वर्क0/19–20	866542	875295
4	24/ए0/प्र0अ0वर्क0/19–20	902896	912016
5	आर0/04/प्र0अ0वर्क0/20–21	997705	1007783
6	आर0/05/प्र0अ0वर्क0/20–21	654641	661254
7	आर0/23/प्र0अ0वर्क0/20–21	536916	542339
8	आर0/24/प्र0अ0वर्क0/20–21	946755	956318
9	आर0/93/प्र0अ0वर्क0/20–21	981157	991068
10	आर0/94/प्र0अ0वर्क0/20–21	896596	905653
11	आर0/95/प्र0अ0वर्क0/20–21	550832	556396

अतः उपरोक्त प्रकरण के संबंध में सभी सम्बन्धित का स्पष्टीकरण/ उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।

(साधारण आपत्ति संख्या 16)

अधिशाषी अभियंता, जोन–2

विषयः– कार्य समाप्ति के पश्चात समय वृद्धि दिये जाने एवं नियमानुसार समय वृद्धि अर्थदण्ड न वसूल किये जाने के संबंध में।

अभियंत्रण खण्ड जोन–2 वार्ड 28 के अन्तर्गत एन 2 रोड स्थित श्री राजेन्द्र साहू के मकान से नन्द किशोर के मकान तक सी.सी. रोड सुधार कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सं. 282/एए2/19–20 के

परीक्षण में पाया गया कि अनुबंध पत्र के अनुसार कार्य दिनांक 6 फरवरी 2020 को पूर्ण होना था लेकिन कार्य दो सप्ताह के विलंब से दिनांक 20 फरवरी 2020 को पूरा हुआ। दिनांक 17 मार्च 2020 को रूपया 500/– अर्थदंड आरोपित करते हुए दिनांक 30 फरवरी 2020 (त्रुटिपूर्ण) तक समयवृद्धि प्रदान की गयी। कार्य समाप्ति के पश्चात समयवृद्धि प्रदान किये जाने एवं समयवृद्धि अर्थदंड कम वसूल किये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 17)

अधिशाषी अभियंता, जोन–2

विषयः– निविदा के अवैध होने बिना जमानती धनराशि लिए 6 माह के विलंब से अनुबंध किये जाने एवं नियमानुसार समय वृद्धि अर्थदण्ड न वसूल किये जाने के संबंध में।

अधिशाषी अभियंता, जोन–2 वार्ड 58 के अंतर्गत तिवारीपुर में हैंडपंप से मकान संख्या 214/3 होते हुए 219/3 तक नाली इंटरलॉकिंग द्वारा सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 48/एए2/18–19 के परीक्षण में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं।

(1) उक्त कार्य से संबंधित की गई निविदा अवैध है क्योंकि निविदा में कुल तीन फर्मो ने प्रतिभाग किया जिसमें की मे0 इंडियन इंफ्राबिल्ट व मे0 सिकंदर सप्लायर सुपर ए श्रेणी में जबकि में0 गौरी कान्स0 एंड सप्लायार बी श्रेणी में पंजीकृत हैं। निमयानुसार 20 लाख से नीचे की निविदा में सुपर ए श्रेणी की फर्म प्रतिभाग नहीं ले सकती अतः किन परिस्थितियों में निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(2) पत्रावली के पृष्ठ संख्या एक पर अंकित टिप्पणी "जनहित में विषयांकित कार्य कराया जाना अति आवश्यक है" के साथ दिनांक 11 दिसम्बर 2018 को निविदा आमंत्रित की गई, दिनांक 1 फरवरी 2019 को मे0 गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1 प्रतिशत निम्न पर कार्यादेश जारी किया गया कार्यादेश के अनुसार अनुबंध की कार्यवाही 10 दिनों के अंदर पूर्ण की जानी थी जबकि अनुबंध 6 माह विलम्ब से दिनांक 21 अगस्त 2019 को निष्पादित किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जब कार्य अतिआवश्यक था, तो अनुबंध में विलम्ब की स्थिति जमानत धनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित क्यों नहीं की गयी ?

(3) दिनांक 21 अगस्त 2019 को निष्पादित किए गए अनुबंध में कार्य समाप्त करने की तिथि 3 मार्च 2019 अंकित की गई है नियम़ानुसार अनुबंध निष्पादित किए जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ करना चाहिए अतः किन परिस्थितियों में अनुबंध में कार्य समाप्ति की तिथि अनुबंध निष्पादन की तिथि से पूर्व की अंकित की गई स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(4) जमानती धनराशि रूपया 44223 की कटौती बिल से की गई है। अतः यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किन नियमों शासनादेश के आलोक में बिना जमानती धनराशि लिए अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण की गई है जबकि इनके द्वारा निविदा में प्रतिभाग लेते समय रूपया 100000/– जमानत धनराशि संलग्न की गई थी जमानती धनराशि वापस किए जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

(5) अनुबंध के अनुसार कार्य 3 मार्च 2019 को पूर्ण होना था लेकिन कार्य लगभग 7 माह के विलंब से दिनांक 15 अगस्त 2019 को पूर्ण हुआ दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को मात्र रूपया 100/– का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए समय वृद्धि प्रदान की गई है जबकि अनुबंध की शर्त अनुसार अर्थदण्ड की कटौती निविदा राशि का 10 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान है नियमानुसार कटौती ना किए जाने का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(6) माप पुस्तिका की माप संबंधित अवर अभियंता द्वारा नहीं की गई है, जिसे स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(7) नियमानुसार इंटरलॉकिंग के कार्य हेतु परफारमेंस गारंटी के रूप में 5 प्रतिशत धनराशि 5 वर्ष के लिए रोका जाना चाहिए लेकिन परफारमेंस गारंटी नहीं रोकी गयी है जिसका औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 18)

अधिशाषी अभियंता, जोन–1

विषयः– जमानती एवं परफार्मेंस गारन्टी की धनराशि कम जमा किये जाने तथा निर्धारित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार से कार्य न कराये जाने के संबंध में।

अभियन्त्रण खण्ड जोन–1 के अन्तर्गत मेसर्स जसविन्दर सिंह द्वारा अलग–अलग स्थानों पर गणेश विसर्जन हेतु गढ्ढों की खुदाई एवं वैरीकेटिंग के कार्यो की पत्रावली के सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि निर्धारित जमानती एवं परफार्मेंस गारंटी की धनराशि कम जमा कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	पत्रावली सं0	निविदा धनराशि	जमानती एवं परफार्मेंस गारंटी की धनराशि	प्राप्त की गयी धनराशि
1	85/ए0ए01/19–20	421149	46537	45000
2	86/ए0ए01/19–20	297572	35709	30000
3	88/ए0ए01/19–20	122780	14734	10000

क्रमांक–1 एवं 2 का कार्य ''सी'' श्रेणी तथा क्रमांक–3 का कार्य ''डी'' श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार द्वारा कराये जाने का प्राविधान है, परन्तु उपरोक्त कार्य ''ए'' श्रेणी के ठेकेदार द्वारा कराया गया है। इस प्रकार प्राप्त निविदा ही अवैध थी। अवैध निविदा होने के पश्चात कार्य कराये जाने का आधार पत्रावली से स्पष्ट न हो सका।

अतः उपरोक्त के संबंध में जाँचोपरान्त जमानती तथा परफार्मेंस की धनराशि कम जमा कराये जाने तथा निर्धारित श्रेणी के ठेकेदार से कार्य न कराये जाने के संबंध में स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 19)

अधिशाषी अभियंता, जोन–2

विषयः–समयवृद्धि अर्थदंड नियमानुसार न वसूल किये जाने, बैंक गारंटी की वैधता अवधि समाप्त होने पर जमानती एवं परफार्मेंस धनराशि की कटौती बिल से न किये जाने के सम्बन्ध में।

अभियंत्रण खण्ड–2 वार्ड 11 के अन्तर्गत अनीश ग्राफिक्स से लेकर बंधु के घर तक सड़क एवं नाली सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 341/ए0ए02/18–19 के परीक्षण में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीः–

1. अनुबंध के अनुसार कार्य दिनांक 16 मार्च 2019 को समाप्त होना था, लेकिन लगभग 9 माह बीत जाने के बावजूद भी संबंधित फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। ऐसी दशा में फर्म की जमानती धनराशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डालकर पुनः निविदा की कार्यवाही विभाग द्वारा की जानी चाहिए थी। लेकिन विभाग द्वारा फर्म को कार्य करने की अनुमति प्रदान कि गयी। माप पुस्तिका के अनुसार 16 माह के विलम्ब से दिनांक 10 जुलाई 2020 को पूर्ण हुआ तथा समयवृद्धि अर्थदण्ड के रूप में मात्र रू0 800/– की कटौती की गयी जबकि कार्य में विलम्ब हेतु संबंधित फर्म उत्तरदायी थी, ऐसी दशा में नियमानुसार निविदा धनराशि का 10 प्रतिशत समयवृद्धि अर्थदण्ड की कटौती करते हुए भुगतान किया जाना चाहिए था। सम्परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम चालित देयक के भुगतान की सम्परीक्षा में नियमानुसार समयवृद्धि अर्थदण्ड वसूल किए जाने हेतु लिखा भी गया था। लेकिन उक्त की अनदेखी करते हुए संबंधित फर्म को सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान की संस्तुति कर दी गयी जोकि नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
2. उक्त कार्य से संबंधित निविदा में प्रतिभाग लेते समय मेसर्स एस0ए0 कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर ने जमानती धनराशि के रूप में बैंक गारंटी संख्या एस0बी0आई0 जी0एज0जी0 2018/253 धनराशि रू0 100000/– वैधता अवधि 19 दिसम्बर 2019 जमा की थी। चूँकि कार्यादेश के अनुसार कार्य की अनुरक्षण अवधि 3 वर्ष है इसलिए बैंक गारंटी की वैधता अवधि

समाप्त होने की दशा में बिल से जमानती एवं परफारमैंस गारंटी की धनराशि की कटौती करते हुए बिल का भुगतान किया जाना चाहिए था। लेकिन विभाग द्वारा शिथिलता बरतते हुए संपूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है तथा नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाने वाला है। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

3. उपरोक्त कार्य बी श्रेणी के पंजीकृत फर्म के लिए था। अतः ए श्रेणी में पंजीकृत फर्म द्वारा कार्य कराये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
4. कार्य होने के पश्चात के दो भिन्न–भिन्न नजरी नक्शा संलग्न किए गए है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वास्तव में कार्य कहां करवाया गया है।
5. शासनादेशानुसार सड़क निर्माण कार्य हेतु 5 प्रतिशत परफारमैंस गारंटी 5 वर्ष तक रोके जाने का प्रावधान है, परन्तु बिल से 5 प्रतिशत की कुल धनराशि रू0 30268/– की कटौती नहीं की गयी है। कटौती न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 20)

अधिशाषी अभियंता, जोन–2

विषयः– निर्धारित श्रेणी से भिन्न ठेकेदार द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने एवं कार्य के पूर्व व कार्य के पश्चात मानचित्र में भिन्नता के क्रम में।

जोन–3 वार्ड 87 के अन्तर्गत सिंह विहार मलिन बस्ती में श्री पुत्तन पासी के मकान से श्री आशीष पाल के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 536/ए0ए0–2/19–20 के परीक्षण में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीः–

1. उक्त कार्य रू0 2 लाख से 5 लाख की सीमा के अन्तर्गत था जो कि सी श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार के लिए है परन्तु ए श्रेणी में पंजीकृत फर्म मे0 सुधा कान्सट्रक्शन व मे0 आलोक शुक्ला तथा बी श्रीणी पंजीकृत फर्म महा गोपेश्वर द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया गया। इस प्रकार निर्धारित श्रेणी से भिन्न श्रेणी के ठेकेदार द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने पर निविदा प्रक्रिया अवैध है। अतः ए तथा बी श्रेणी में पंजीकृत फर्म को निविदा में प्रतिभाग करने की अनुमति किस आधार पर प्रदान की गयी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
2. कार्य के पूर्व एवं कार्य के पश्चात मानचित्र में भिन्नता का कारण स्पष्ट नहीं है।
3. माप पुस्तिका संबंधित अवर अभियंता द्वारा नहीं की गयी है।
4. जोन–3 का कार्य जोन–2 द्वारा कराये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 21)

अधिशाषी अभियंता जोन–3

विषयः– त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध निष्पादित किये जाने एवं निर्धारित श्रेणी के ठेकेदार के अतिरिक्त अन्य ठेकेदार से कार्य कराये जाने के संबंध में।

अभियन्त्रण खण्ड जोन–3 के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में नाला सफाई कार्य हेतु किराये पर जे0सी0बी0(एक नग) एवं डम्फर/हाइवा(दो नग) की आपूर्ति का कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 128/ए0ए0–3/19–20 के परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी हैः–

1. अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न एफ0डी0आर0 की निर्गत तिथि दिनांक 07.09.19 एवं 21.01.20 दर्शायी गयी है जबकि अनुबंध की कार्यवाही दिनांक 03.07.19 को पूर्ण की गयी है। इस प्रकार दिनांक 07.09.19 एवं दिनांक 21.01.20 के एफ0डी0आर0 से दिनांक 03.07.19 को अनुबंध निष्पादित किया जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
2. पृष्ठ संख्या 1 पर अंकित दिनांक 02.07.19 की आख्या के अनुसार ''कार्य की आवश्यकता एवं दिये गये निर्देशों के क्रम में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ख) के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किये जाने'' का उल्लेख है। माप पुस्तिका के अनुसार कार्य दिनांक 26.10.19 को पूर्ण हुआ जबकि दिनांक 03.08.19 करे समाप्त हो जाना चाहिए था। यदि कार्य तात्कालिकता की दृष्टि से आवश्यक नहीं था तो उपरोक्त कार्य को नगर निगम अधिनियम की धारा 117(6)(ख) के अन्तर्गत कराये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
3. दिनांक 22.10.19 से दिनांक 26.10.19 तक जे0सी0बी0 की आपूर्ति की गयी है जिससे स्पष्ट है कि नाले की सफाई अथवा सिल्ट उठाने का कार्य शेष था लेकिन दिनांक 21.10.19 के पश्चात हाइवा/डमपर की आपूर्ति नहीं की गयी जिससे ऐसा प्रतीत होता है या तो दिनांक 22.10.19 से दिनांक 26.10.19 तक जे0सी0बी0 से कार्य नहीं लिया गया या फिर कार्य को अधूरा छोड दिया गया। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
4. उपरोक्त कार्य ''सी'' श्रेणी के ठेकेदार से कराया जाना चाहिए था परन्तु ''बी'' श्रेणी के ठेकेदार से कराया गया है। उच्च श्रेणी के ठेकेदार से कार्य कराये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 22)

अधिशाषी अभियन्ता, जोन–2

विषयः– भुगतान में लगभग 18 माह विलम्ब किये जाने व जमानती धनराशि की कटौती बिल से किये जाने के सम्बन्ध में।

जोन–2 वार्ड–95 के अन्तर्गत स्टोन बैलास्ट एवं स्टोन डस्ट की आपूर्ति से संबंधित पत्रावली संख्या–179/ए0ए02/18–19 व 180/ए0ए02/18–19 के परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी–

1. कोटेशन नोटिस के अनुसार पत्रावली संख्या– 179/ए0ए02/18–19 व 180/ए0ए02/18–19 हेतु अर्नेस्ट मनी के रूप में क्रमशः रू0 9665/– व रू0 9687/– का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 कोटेशन के साथ संलग्न होना चाहिए था किन्तु परीक्षण में पाया गया कि मे0 वी0पी0 कान्सट्रक्शन द्वारा उपरोक्त दोनो पत्रावलियों में रू0 5000/–, व मे0 युवराज कान्सट्रक्शन द्वारा क्रमशः रू0 2500/– व रू0 2000/– तथा मे0 जे0पी0 मंगलानी द्वारा क्रमशः रू0 25000/– व रू0 15000/– का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 कोटेशन के साथ संलग्न किया गया था इस प्रकार कोटेशन हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी संलग्न न होने के कारण प्राप्त कोटेशन ही अवैध था परन्तु मे0 वी0पी0 कान्सट्रक्शन से कार्य कराया गया जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस प्रकार अनियमित ढंग से कार्य कराये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।
2. उपरोक्त दोनो पत्रावलियों में जमानती धनराशि की कटौती बिल से की गयी है। अतः यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किन नियमों/शासनादेश के आलोक में बिना जमानती धनराशि के लिए अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण की गयी है जबकि मे0 वी0पी0 कान्सट्रक्शन द्वारा निविदा में प्रतिभाग लेते समय रू0 5000/– का एन0एस0सी0 जमानती धनराशि के रूप में संलग्न की गयी थी। जमानती धनराशि वापस किये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
3. उपरोक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान हेतु संस्तुति मार्च 2019 में की गयी। जबकि वास्तविक रूप से भुगतान लगभग 18 माह के विलम्ब से सितम्बर 2020 में किया गया। भुगतान में विलम्ब का कारण पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
4. उक्त कार्य स्टोन बैलास्ट एवं स्टोन डस्ट की आपूर्ति से संबंधित था इसलिए नियमानुसार रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। अतः रायल्टी की कटौती कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।
5. पत्रावली में संलग्न ठेकेदार के प्रार्थना पत्र के अनुसार कार्य में विलम्ब का कारण शारीरिक अस्वस्थता थी। लेकिन समयवृद्धि पत्रक में साइट पर अतिक्रण दर्शाते हुए मात्र रू0 100/– का अर्थदण्ड आरोपित कर समयवृद्धि प्रदान की गयी है जबकि केवल सामग्री की आपूर्ति ही लेनी थी इस प्रकार साइट पर अतिक्रमण होने का प्रश्न ही नहीं था। अतः कार्य में विलम्ब हेतु फर्म के उत्तरदायी होने की दशा में नियमानुसार रू0 8561/– समय वृद्धि अर्थ दण्ड के रूप में वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 23)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

विषयः– भुगतान में लगभग 18 माह विलम्ब किये जाने, स्टोन व डस्ट बैलास्ट की आपूर्ति पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान किये जाने के संबंध में।

जोन–2 वार्ड–95 के अन्तर्गत स्टोन बैलास्ट एवं स्टोन डस्ट की आपूर्ति से संबंधित पत्रावली संख्या 179/ए0ए02/18–19 व 180/ए0ए02/18–19 के परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीः–

1. कार्य समाप्ति के लगभग 18 माह पश्चात भुगतान किया गया है। भुगतान में विलम्ब का कारण तथा भुगतान में विलम्ब की स्थिति में नगर निगम लेखा नियमावली में नियम 38(2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
2. स्टोन बैलास्ट एवं स्टोन डस्ट की आपूर्ति से संबंधित किये गये भुगतान में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोड़ते हुए भुगतान किया गया है। उक्त सामग्री हेतु 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान किस नियम/शासनादेश के आधार पर किया गया है, स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
3. रायल्टी की कटौती न किये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 24)

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

विषयः– आवास/कालोनी खाली कराये जाने के बावजूद पुनः आवंटन न किये जाने के संबंध में।

अवगत कराना है कि बेनी प्रसाद पुत्र मिहीलाल सफाई नायक वार्ड 25 जोन–3 को परमपुरवा हरिजन कालोनी का क्वार्टर संख्या 1/6 आवंटित था जिसे आदेश संख्या 2761/डी/एस0डब्लू0ए0/एन0एस0ए0 दिनांक 24.01.2018 द्वारा निरस्त कर भवन खाली करने का आदेश दिया गया परन्तु तत्सयम आवंटन की कार्यवाही नहीं की गयी। स्वास्थ्य विभाग की आख्या दिनांक 26.12.2020 के अनुसार "आवास खाली है" की आख्या दी गयी है। आवास क्यों खाली है के संबंध में कोई भी टिप्पणी अंकित नहीं है। जबकि आवास खाली किये जाने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी जिससे नगर निगम को आर्थिक लाभ मिलता तथा साथ ही साथ किसी कर्मचारी को आवास भी मिल जाता। इस प्रकार खाली आवास को तीन वर्ष में भी आवंटन की कार्यवाही न किये जाने का कारण स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 25)

अधिशाषी अभियंता जोन–2

विषयः– भुगतान में विलम्ब की स्थिति में नगर निगम लेखा नियमावली 1959 की धारा 38(2) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के संबंध में।

जोन–2 वार्ड 39 के अन्तर्गत हंसपुरम में सी0ओ0डी0 नाले से राज़ेन्द्र के मकान तक नाले के निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 500/एए–2/2014–15 के परीक्षण में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी–

1. अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 09.07.15 को समाप्त होना था लेकिन माप पुस्तिका के अनुसार कार्य लगभग 20 माह के विलम्ब से दिनांक 20.03.17 को पूर्ण हुआ। लेकिन मात्र रू0 1100 का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए समयवृद्धि प्रदान की गयी है। जबकि अनुबंध की शर्तानुसार समयवृद्धि अर्थदण्ड की कटौती निविदा राशि का 10 प्रतिशत किये जाने का प्राविधान है। अतः नियमानुसार कटौती न किये जाने का उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
2. कार्य समाप्ति के लगभग 3 वर्ष पश्चात भुगतान की कार्यवाही की गयी है। भुगतान में विलम्ब की स्थिति में नगर निगम लेखा नियमावली 1959 की धारा 38(2) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन न किये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

(साधारण आपत्ति संख्या 26)

प्रभारी अधिकारी भण्डार

विषयः– पूर्व में आपूर्तित सामाग्री की दर से अधिक दर पर क्रयदारी किये जाने के संबंध में।

पत्रावली संख्या 85/एस0टी0/19–20 की सम्परीक्षा में पाया गया कि कैटिल कैचिंग विभाग में जानवरों को शीत से बचाने हेतु बकरमण्डी गौशाला में लगाये जाने हेतु तिरपाल 10 नग की तत्काल माँग की गयी थी, तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में उपरोक्त सामग्री में मे0 सेल्स कार्पोरेशन से क्रय कर बिल संख्या 0048 दिनांक 28.12.2019 के द्वारा रू0 1785/– की दर से आपूर्ति की गयी। जबकि पूर्व में दिनांक 11.09.2019 को रू0 1060/– की दर से आपूर्ति हुयी थी।

स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि उक्त सामग्री के क्रय हेतु दरें किस आधार पर ली गयी है तथा दरों में भिन्नता का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 27)

प्रभारी अधिकारी केयर टेकर

नगर निगम केयर टेकर विभाग द्वारा मे0 माँ भगवती फर्नीचर द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यालयो के प्रयोजनार्थ फर्नीचर की आपूर्ति ली गई है। पत्रावलियों की सम्परीक्षा में निम्न कमिंया पायी गयी है।

1. पत्रावलियों में फोटो नही लगायी गयी है।
2. विभाग द्वारा कोटेशन मूल्य नही लिया गया है जिससे नगर निगम की आर्थिक क्षति हुयी है।
3. प्रभारी अधिकारी की बिना अनुमति के कोटेशन से आपूर्ति ली गई है।
4. स्टाक रजिस्टर उपलब्ध नही कराया गया है।

(साधारण आपत्ति संख्या 28)

मुख्य अभियंता

विषयः– निविदा अवैध होने के फलस्वरूप अनियमित ढंग से कार्य कराये जाने तथा स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान किये जाने से होने वाली आर्थिक क्षति के संबंध में।

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत प्लांट के बेहतर संचालन हेतु उच्च क्षमता के केबिल डालने के कार्य ये संबेधित पत्रावली संख्या– 75/ए.ए./प्रो0/20–21 व 76/ए.ए./प्रो0/20–21 के परीक्षण में पाया गया कि उक्त कार्य से संबंधित निविदा में कुल 3 फर्मो ने प्रतिभाग लिया। जिसमें कि निर्मल इलेक्ट्रानिक्स सुपर ए श्रेणी में, मे0 भोले कान्ट्रेक्टर ए श्रेणी में पंजीकृत है तथा श्रीमान ट्रेडर्स के निविदा प्रपत्र में पंजीकरण की श्रेणी का उल्लेख नहीं है। उक्त कार्य सी श्रेणी में पंजीकृत फर्म के लिए था। अतः निर्धारित श्रेणी से उच्च श्रेणी के फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग लिये जाने की स्थिति में निविदा, अवैध होने के बावजूद भी में0 भोले कान्ट्रेक्टर जो ए श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार है से कार्य कराया गया जो निविदा शर्तो के विपरीत है। निर्धारित पंजीकरण सीमा के ठेकेदार से कार्य न कराकर अन्य से कार्य कराये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार निर्धारित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार से कार्य न कराकर अन्य श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार से कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः संबंधित के प्रति नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त कार्य हेतु जी0एस0टी0 के मद में स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान की अनुसंशा किये जाने के फलस्वरूप रू0 42445 की आर्थिक क्षति भी हुयी जिसे नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के संबंध में की गयी कार्यवाही से सम्परीक्षा विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(साधारण आपत्ति संख्या 29)

प्रभारी अधिकारी भण्डार

विषयः– स्वीकृत दर से अधिक दर पर क्रयदारी किये जाने से हुई आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में।

फोटोकापी पेपर एफ0एस0 जे0के0 कापियर(लाल पैकेट) की आपूर्ति से सम्बन्धित पत्रावलियों के परीक्षण में पाया गया है कि निविदा में स्वीकृत दर पर आपूर्ति न लेकर कोटेशन द्वारा आपूर्ति लेने के कारण नगर निगम को निम्न विवरणानुसार आर्थिक क्षति उठानी पडीः–

क्रम सं0	पत्रावली सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	कोटेशन के माध्यम से आपूर्ति लेने पर हुआ व्यय (रू0)	निविदा में स्वीकृत दरों के माध्यम से हाने वाला व्यय (रू0)	आर्थिक क्षति (रू0)
1	22/एस0टी0/19–20	फोटोकापी पेपर एफ0एस0 जे0के0 कापियर लाल पैकेट भार 2.78 के.जी. प्रति पैकेट	300 पैकेट	98280	73101	25179
2	22/एस0टी0/19–20	फोटोकापी पेपर एफ0एस0 जे0के0 कापियर लाल पैकेट भार 2.34 के.जी. प्रति पैकेट	350 पैकेट	95060	70917	24143
					कुल आर्थिक क्षति (रू0)	49322 (रू0)

उपरोक्त आर्थिक क्षति नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आर्थिक क्षति को नियमानुसार वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 30)

अधिशाषी अभियन्ता, जोन–6

विषयः– जोन–6, वार्ड 69 शास्त्री नगर स्थित राइमर कोचिंग से टीलेश्वर मन्दिर तक सड़क सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली दुबारा बनाये जाने के संबंध में।

जोन–6 वार्ड 69 शास्त्री नगर स्थित राइमर कोचिंग से टीलेश्वर मन्दिर होते हुए अशोक त्रिपाठी के मकान तक सड़क सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या–74/ए0ए06/2020–21 के परीक्षण में निम्न आपत्तियॉ प्रकाश में आयीं–

1. पत्रावली के पृष्ठ संख्या–4 पर अंकित आख्या के अनुसार जोनल कार्यालय मे पत्रावली गुम हो जाने के कारण कम्प्यूटर में उपलब्ध आवश्यक प्रपत्रों के साथ डुप्लीकेट पत्रावली तैयार किये जाने का उल्लेख है। किन्तु उक्त पत्रावली गुम हो जाने की स्थिति में न तो एफ0आई0आर0 पंजीकृत की गयी अैर न ही मुख्य अभियन्ता व लेखा विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया कि उक्त कार्य से संबंधित पत्रावली का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है।
2. उक्त कार्य हेतु 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 16.77 लाख की धनराशि दिनांक 06.03.19 को स्वीकृति की गयी थी अतः नगर निगम निधि से भुगतान किये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
3. पत्रावली में संलग्न बिल के अनुसार नगर आयुक्त महोदय के द्वारा पत्रावली पर दिनांक 12.01.21 को दिये गये आदेश के अनुपालन में नगर निगम निधि से 14 वें वित्त आयोग के खाते में धनराशि अन्तरित करते हुए भुगतान किये जाने का उल्लेख है जबकि पत्रावली में नगर आयुक्त महोदय का उक्त आदेश संलग्न नहीं पाया गया है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति के उपरान्त पत्रावली पुनः सम्परीक्षा विभाग में प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 31)

<u>मुख्य अभियंता</u>

विषयः–निर्धारित श्रेणी से भिन्न फर्म/ठेकेदार के निविदा में प्रतिभाग लेने की स्थिति में निविदा अवैध होने के संबंध में।

अभियंत्रण विभाग के खण्ड–3 की पत्रावली संख्या–25/ए0ए0–3/2020–21 जो कि "वार्ड संख्या–88 के अन्तर्गत जे0एन0पी0एन0 इण्टर कालेज से आर0यू0 हास्पिटल तक नाली निर्माण " कार्य से संबंधित है की सम्परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु जिन निविदा दाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया वे सभी निर्धारित श्रेणी से उच्च श्रेणी के ठेकेदार होने के कारण अधिशाषी अभियन्ता जोन–3 द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें कुल तीन निविदा दाता द्वारा प्रतिभाग किया गया जो निर्धारित श्रेणी से उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार हैं। प्रस्तावित कार्य डी श्रेणी के अन्तर्गत था जिसे अधिशाषी

अभियन्ता जोन–3 द्वारा बी श्रेणी के ठेकेदार द्वारा कराया गया है जो कि निविदा शर्तो के अनुरूप नहीं है।

अतः स्पष्ट कराया जाना है कि प्रथम वार आमंत्रित निविदा को जिस आधार पर अवैध मानते हुए पुनः निविदा आमंत्रित किया गया उसी आधार पर उच्च श्रेणी के ठेकेदार की निविदा को कैसे स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराया गया ?

(साधारण आपत्ति संख्या 32)

अधिशाषी अभियन्ता, जोन–2

विषयः– कार्य में तीन वर्ष के विलम्ब के वावजूद निविदा न निरस्त किये जाने के संबंध में।

जोन–2 के अन्तर्गत सीवरेज फार्म में आ0एच0एल0आई0 योजना के अन्तर्गत चार स्थानों पर सोकपिट व डब्लू सी सीट लगवाये जाने के कार्य से संबंधित पत्रावली सं0 464/ए0ए02/17–18 के परीक्षण में पाया गया कि कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता व तत्कालीनता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 11.10.17 को हैण्डी कोटेशन के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी तथा दिनांक 16.10.17 को कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य दिनांक 22.10.17 तक कार्य पूर्ण होना था लेकिन कार्य लगभग तीन वर्ष के बिलम्ब से दिनांक 05.08.20 को पूर्ण हुआ। जब कार्य अतिआवश्यक श्रेणी का था तो कार्य में विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित स्थल पर कार्य की आवश्यकता ही नहीं थी।

अतः कार्य में विलम्ब की स्थिति में निविदा न निरस्त किये जाने तथा नियमानुसार अर्थदण्ड न वसूल किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 33)

अधिशाषी अभियंता, जोन–6

विषयः– निर्धारित श्रेणी से उच्च श्रेणी के ठेकेदार से कार्य कराये जाने के संबंध में।

जोन–6 वार्ड 35 के अन्तर्गत पूजा ज्वैलर्स गणपति काम्पलेक्स में किसान हार्डवेयर तक इण्टर लाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली सं0 37/एए–6/20–21 के परीक्षण में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु जिन निविदा दाताओ द्वारा प्रतिभाग किया गया वें सभी निर्धारित श्रेणी से उच्च श्रेणी के ठेकेदार होने के कारण अधिशाषी अभियंता जोन–6 द्वारा निविदा को अवैध करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें कुल तीन निविदा दाता द्वारा प्रतिभाग किया गया जो निर्धारित श्रेणी से उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार है, प्रस्तावित कार्य सी श्रेणी ठेकेदार से कराया गया है जो कि निविदा शर्तो के अनुरूप नहीं है।

अतः स्पष्ट किया जाना है कि प्रथम व द्वितीय बार आमंत्रित निविदा को जिस आधार पर अवैध मानते हुए पुनः निविदा आमंत्रित किया गया उसी आधार पर उच्च श्रेणी के ठेकेदार की निविदा कैसे स्वीकृत कर कार्य कराया गया।

(साधारण आपत्ति संख्या 34)

प्रभारी अधिकारी कार्मिक

विषयः– वास्तविक पदोन्नति के उपरान्त भी मूल पद के सापेक्ष प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग के आदेश संख्याः–1011/2019–2020/क दिनांक 21.12.2019 के द्वारा स्व0 अशोक कुमार पुत्र स्व0 रामशंकर द्वितीय श्रेणी लिपिक स्वास्थ्य विभाग को दिनांक 2.01.2003 से चयनमान, दिनांक 01.12.2008 से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन एवं दिनांक 02.01.2009 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है।

सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर दिनांक 29.09.2003 को हुयी थी इस प्रकार कर्मचारी दिनांक 01.12.2008 को ग्रेड पे रू0 1900 पर कार्यरत था। इस प्रकार स्व0 अशोक के मूल पद के ग्रेड वेतन रू0 1300 के आधार पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के देय ग्रेड पे रू0 1400 से अधिक ग्रेड पे वास्तविक रूप से प्राप्त कर रहे थे। इसी प्रकार दिनांक 08.09.2010 से प्रभावी व्यवस्था के अन्तर्गत स्व0 अशोक अपने मूल पद के उच्चीकृत ग्रेड पे रू0 1800 के आधार पर देय ग्रेड वेतन रू0 1900 दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से प्राप्त कर रहे थे।

अतः वास्तविक रूप से पदोन्नति हो जाने पर भी मूल पद के सापेक्ष प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ किस प्रकार देय है स्पष्ट न हो सका।

(साधारण आपत्ति संख्या 35)

प्रभारी अधिकारी भण्डार

विषयः– अधिक दर पर आपूर्ति लिये जाने से हुई आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में।

आपूर्ति से सम्बन्धित पत्रावलियों के परीक्षण में पाया गया कि विभिन्न तिथियो में कोटेशन के माध्यम सें आपूर्ति/सामग्री की दरें भिन्न भिन्न है। कोटेशन के पूर्व आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की दरों का बाजार दर अथवा MRP प्राप्त नही किया जाता है। जिससे दरें भिन्न भिन्न और बाजार दर से अधिक पर क्रयदारी कर ली जाती है। कोटेशन से फर्म द्वारा जो दरें दी जाती है उनकी दरों का, बाजार से अथवा पूर्व में प्राप्त आपूर्ति दर से तुलना नही किया जाता है, जिससे अधिक भुगतान कर दिया जाता है इस प्रकार प्राप्त की गयी सामग्री का विवरण निम्नवत हैः–

क्रम सं.	पत्रावली संख्या	समग्री का नाम	मात्रा	कोटेशन के माध्यम से प्राप्त दर	पत्रावली सं. –76/एसटी/2018 –19 से प्राप्त दर	आर्थिक क्षति
(1)(i)	75/एसटी/2019–20	वी–7 पेन	26 नग	75	65	260 रू0
(ii)	75/एसटी/2019–20	टेबल टॉप प्लास्टिक	1 नग	2400	2100	300 रू0
(2)(i)	74/एसटी/2019–20	टेबल टॉप	1 नग	2400	2100	300 रू0
(ii)	74/एसटी/2019–20	पिन कुशन	3 नग	50	40	120 रू0
(3)(i)	85/एसटी/2019–20	पेन ड्राईव 32 जी.बी.	1 नग	530	520	10
(ii)	85/एसटी/2019–20	एल टाईप फोल्डर एफ. एस.	40 नग	15	12	120 रू0
(4)	84/एसटी/2019–20	ट्राइमेक्स पेन	30 नग	90	60	900 रू0
					कुल आर्थिक क्षति	1900 रू0

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व में प्राप्त दर से अधिक दर पर आपूर्ति प्राप्त दर भुगतान किया गया है जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई। अधिक दर पर आपूर्ति का औचित्य स्पष्ट कराया गया तथा हुई आर्थिक क्षति को सभी सम्बन्धित से वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 36)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–2

विषयः– भुगतान में लगभग 39 माह का विलम्ब किये जाने तथा रायल्टी की कटौती न किये जाने के संबंध में।

जोन–2, जाजमऊ डम्प के अन्तर्गत आने वाले वार्डो में सड़को को गढ़ढा मुक्त करने हेतु एस0डी0बी0सी0 की आपूर्ति से संबंधित पत्रावली सं. 47/एए2/17–18 के परीक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका के अनुसार कार्य दिनांक 23/05/2017 को समाप्त हुआ, लेकिन भुगतान लगभग 39 माह पश्चात बाउचर से 22/सितम्बर /2020 द्वारा किया गया। भुगतान में अत्यधिक विलम्ब किये जाने से ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि कार्य वास्तविक रूप से किया गया अथवा नहीं ? क्योंकि सामान्यतः प्रत्येक वर्ष नगर निगम द्वारा पैच वर्क के माध्यम से सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जाता है। अतः

निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

1. विलम्ब से भुगतान किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है जिसे स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
2. विलम्ब से भुगतान की स्थिति में नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 38(2) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित हे।
3. रायल्टी की कटौती क्यों नहीं की गयी ?
4. एस0डी0बी0सी0 की आपूर्ति दिनांक 20.05.2017 को प्राप्त की गयी तो कार्य तीन दिन बाद दिनांक 23.05.2017 को कैसे कराया जा सकता है स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या 37)

मुख्य वित्त एंव लेखाधिकारी

विषयः– लेखा विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण जाँच किये जाने के फलस्वरूप हुई आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में।

नगर निगम में हल्कें वाहनों के किराये के भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली सं. आर/712/प्र0अधि0वर्कशाप/एफ/2020–20 दिनांक 21.02.2021 तथा आर/713/प्र0अधि0वर्कशाप/एफ/2020–21 दिनांक 27.02.2021 जो 16.01.2021 से 31.01.2021 तक के किराये के भुगतान से सम्बन्धित है कि सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान लेखा विभाग द्वारा कर दिया गया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान के समय नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत धनराशि का अवलोकन न करके प्रस्तुत बिल के अनुसार भुगतान किया जाता है जो कि आपत्तिजनक एवं नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। विवरण निम्नवत है

क्रम सं.	पत्रावली संख्या	भुगतान की गयी धनराशि	स्वीकृत धनराशि	आर्थिक क्षति
1.	आर/712/प्र0अधि0वर्कशाप	735577	715344	20233
2.	आर/713/प्र0अधि0वर्कशाप	1000570	999739	831
			कुल आर्थिक क्षति रू0	21064

उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है ताकि नगर निगम को हुई आर्थिक क्षति रू0 21064/– की वसूली सभी सम्बन्धित से कर नगर निगम कोष में जमा कराया जा सके।

(साधारण आपत्ति संख्या 38)

लेखाधिकारी (जलकल)

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर के अन्तर्गत सीवर निस्तारण कार्य से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली सं0 236/EE–2/सीवर निस्तारण कार्य/M K/5 /5/2019/2020 माह फरवरी 2021 के भुगतान की सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि मेसर्स नेशनल ट्रेड कार्पोरेशन के माह अगस्त 2020 तक बिल की सम्परीक्षा की गयी थी तत्पश्चात सम्परीक्षा हेतु पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी। माह अगस्त 2020 के पश्चात अनधिकृत/अनियमित तरीके से सम्परीक्षा करा कर भुगतान किया गया। सम्परीक्षा कार्य किसके द्वारा किया गया पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार पत्रावलियों की सम्परीक्षा अधिकृत सम्परीक्षक से न करा कर अनधिकृत रूप से कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इसे अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अनधिकृत रूप से सम्परीक्षा की गयी बिलों का विवरण निम्नवत है:–

1. माह सितम्बर 2020 बिल सं. 27 दिनांक 01.10.2020 एवं धनांक 183423/–
2. माह अक्टूबर 2020 बिल सं. 29 दिनांक 01.11.2020 एवं धनांक 183423/–
3. माह नवम्बर 2020 बिल सं. 30 दिनांक 01.12.2020 धनांक 183423/–
4. माह दिसम्बर 2020 बिल सं. 31 दिनांक 01.01.2021 धनांक 183423/–
5. माह जनवरी 2021 बिल सं. 32 दिनांक 01.02.2021 धनांक 183423/–

अतः उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे माह अगस्त 2020 के पश्चात किसके द्वारा सम्परीक्षा की गयी स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है ताकि पत्रावलियो की सम्परीक्षा सम्पन्न हो सके।

(साधारण आपत्ति संख्या 39)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

विषयः– निविदा न कराकर अनियमित तरीके से कोटेशन के माध्यम से आपूर्ति लिये जाने के सम्बन्ध में।

जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जल के रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण हेतु उपकरणों एवं रसायनों की आपूर्ति से सम्बन्धित पत्रावली सं. 01/एस.डब्लू.ए./chem/2020–21 तथा 02/एस.डब्लू.ए./chem/2020–21 परीक्षण में पाया गया कि उक्त दोनो पत्रावलियों में आपूर्ति हेतु कोटेशन माँगने की अनुमति एक ही तिथि 22.05.2020 को प्राप्त की गयी जबकि शासनादेशानुसार किसी कार्य को टुकड़ो में न बाँटकर एक मुश्त निविदा के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किये जाने का प्राविधान है परन्तु विभाग द्वारा रू0 एक लाख से कम की आपूर्ति दिखाकर निविदा से बचने के लिए दो पत्रावली कोटेशन हेतु तैयार की गयी जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। यदि निविदा के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त की गयी होती तो दरें कम आने की सम्भावना थी।परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीं।

1. पत्रावली में आगणन संलग्न नहीं है। बिना आगणन के पत्रावली कैसे तैयार की गयी।

2. बिना अनुबन्ध के आपूर्ति प्राप्त किये का कारण स्पष्ट नहीं है।
3. कोटेशन में प्राप्त न्यूनतम दर की बाजार दर अथवा आनलाइन साइट पर उपलब्ध दर से तुलना न करके अधिक दर पर आपूर्ति लिये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
4. निविदा के माध्यम से आपूर्ति न लेकर कोटेशन से आपूर्ति किये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाये।

(साधारण आपत्ति संख्या 40)

भाग–2

2.1 विशेष आपत्ति

➢ विषयः–अनियमित एवं त्रुटिपूर्ण आगणन बनाये जाने के कारण किये गये अधिक भुगतान के संबंध में।

जोनल अभियन्ता जोन–4के द्वारा जोन–01, 04 एवं 05 के अन्तर्गतविभिन्न पार्कों में ओपेन जिम के निर्माण हेतु विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति एवं लगाने के कार्य हेतु मे0 परिहार इण्टरपाइजेज को रू0 22,85,364.00 का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निगम को प्राप्त धनराषि के सापेक्ष मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दि0 14.11.2018 को पारित कार्यवृत्त के अंतर्गत आवंटित धनराशि से 30 लाख स्वीकृत किया गया। उक्त से संबंधित पत्रावली संख्या 415ए/एए–4/18–19 के संपरीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायीं गयीं–

1. पत्रावली में कुल उपकरणों का विभागीय आगणन जिस आधार पर तैयार किया गया था, उस आधार पर कुल उपकरणों का मूल्य रू0 16,37,014.00 (जी0एस0टी0 सहित) था। किन्तु विभागीय आगणन रू0 29,63,074.00 (जी0एस0टी0 सहित) का बनाया गया। इस प्रकार रू0 13,26,060.00 (रू0 तेरह लाख छब्बीस हजार साठ मात्र) का अधिक आगणन बना कर आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने का प्रयास किया गया।
2. संलग्न माप पुस्तिका के अनुसार दि0 15.10.19 को कार्य समाप्त हुआ। कुल जमा की जाने वाली जमानत धनराशि रू0 3.52 लाख में रू0 2.52 लाख ही कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व जमा कराये गये एवं शेष रू0 1.00 लाख कार्य समाप्ति के पश्चात् दिनाँक 23.12.19 को जारी एफ0डी0आर0 द्वाराजमा कराये गये। बिना जमानत धनराशि/परफार्मेंस गारण्टी जमा किये कार्यादेश जारी करना नियम संगत नहीं था।
3. नगर आयुक्त द्वारा दिनाँक 09.08.2019 को जी0एस0टी0 धनराशि रू0 261765.00 निविदादाता मे0 परिहार इण्टरपाइजेज के पक्ष में स्वीकृत किया गया, किन्तु लेखा विभाग द्वारा रू0 261765.00 के सापेक्ष रू0 348615.00का भुगतान किया गया। इस प्रकार रू0 86850/–(रू0 छियासी हजार आठ सौ पचास मात्र) धनराशि जी0एस0टी0 मद में अधिक भुगतान किया गया।

4. उक्त उपकरण किन–किन पार्कों में कितनी संख्या में लगने थे, आगणन के पूर्व उन पार्कों का चयन तथा उनमें लगने वाले उपकरणों की संख्या का आकलन नहीं किया गया।
5. विभागीय आगणन में कुल 07 प्रकार के उपकरण प्रस्तावित थे एवं कुल उपकरणों की संख्या 40 थी, किन्तु विभिन्न पार्कों में कुल 06 प्रकार के ही उपकरण लगाये गये एवं उनमें कुल लगाये गये उपकरणोंकी संख्या 54 थी। इस प्रकार विभागीय आगणन में परिवर्तन किये जाने की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।
6. आगणन के अनुसार अनुमानित संख्या के आधार पर कराये गये कार्य पर कुल पार्कों पर मात्र रू0 12,87,800.00 (जीएसटी रहित) का कार्य होना था। जिसके सापेक्ष बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपकरणों की संख्या बढ़ाकर रू0 22,29,480.00 का कार्य कराया गया, जिससे रू0 9,61,680.00 (रू0 नौ लाख इकसठ हजार छः सौ अस्सी मात्र) की आर्थिक क्षति हुई।
7. बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये कुल व्यय रू0 12,87,800.00 के सापेक्ष रू0 22,29,480.00 का कार्य करा कर भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जाता है।

(विशेष आपत्ति संख्या 01)

➢ **विषयः–निविदा वैध न होने के पश्चात् भी विभाग द्वारा अनियमित तरीके से कार्य कराये जाने से होने वाली आर्थिक क्षति के संबंध में।**

उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग कराने के संबंध मेंजारी शासनादेश संख्या 1/2018/30070/78–2018/42आई0टी0/2017(22) दि0 03.01.2018 में उल्लेख है कि''..... निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदाशुल्क तथा धरोहर धनराशि (ईएमडी) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आडर्स/प्रतिभूति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये एवं उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जाये।''

आपके संज्ञान में लाना है कि जोन–4, वार्ड–110 के अन्तर्गत अराफात हाउस से बरफखाना निचली सड़क लुधौरा नगर निगम स्कूल तक सी0सी0 सड़क के कार्य हेतु आगणित

धनराशि रू0 2652050/– की दि0 13.06.19 को ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित किये जाने पर निम्न 05 निविदायें प्राप्त हुयीं। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

1. मे0खुशी इण्टरप्राइजेज (आगणन दर से 02 प्रतिशत उच्च)
2. मे0 ए0जे0 ट्रेडर्स (आगणन दर से 01 प्रतिशत उच्च)
3. मे0 फलक इण्टरप्राइजेज (आगणन दर से 01 प्रतिशत निम्न)
4. मे0 एन0एस0ट्रेडर्स (आगणन दर से 15.99 प्रतिशत निम्न)वैध
5. मे0 इण्डिया ट्रेडर्स (आगणन दर से 16.16 प्रतिशत निम्न)वैध

उक्त निविदाओं में प्रथम तीन निविदाओं की हार्ड कापी मुख्य अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त न होने के कारण अवैध घोषित की गयी।

पुनः द्वितीय बार ई–टेण्डरिंग के माध्यम से दि0 17.08.19 को निम्न 03 निविदायें प्राप्त हुयीं–

1. मे0 खुशी इण्टरप्राइजेज (आगणन दर से 02 प्रतिशत निम्न)
2. मे0 ए0जे0 ट्रेडर्स (आगणन दर से 02 प्रतिशत उच्च)
3. मे0 फलक इण्टरप्राइजेज (आगणन दर से 3.75 प्रतिशत निम्न)

सम्परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि द्वितीय बार निविदा आमंत्रित किये जाने पर प्रथम आमंत्रित निविदा में, जिन तीन निविदादाताओं (मे0खुशी इण्टरप्राइजेज, मे0 ए0जे0 ट्रेडर्स, मे0 फलक इण्टरप्राइजेज)ने भौतिक रूप से निविदा प्रपत्रप्रस्तुत नहीं किया गया था, मे से दो निविदादाताओं (मे0खुशी इण्टरप्राइजेज, मे0 फलक इण्टरप्राइजेज) द्वारा इस बार पूर्व में क्रय की गयी निविदा मूल्य की रसीद दि0 30.06.19 संलग्न की गयी। जबकि द्वितीय बार निविदा दि0 08.08.2019 को आमंत्रित की गयी थी।

तीनों निविदादाताओं (मे0खुशी इण्टरप्राइजेज, मे0 ए0जे0 ट्रेडर्स, मे0 फलक इण्टरप्राइजेज) द्वारा प्रथम बार आमंत्रित निविदा में अपने निविदा प्रपत्र उपलब्ध न कराये जाने पर उपरोक्त शासनादेश दि0 03.01.18 के अनुसार विभाग द्वाराकार्यवाही किया जाना चाहिए था तथा द्वितीय बार निविदा आमंत्रण में मे0खुशी इण्टरप्राइजेज व मे0 फलक इण्टरप्राइजेज द्वारा पूर्व की निविदा मूल्य रसीद संलग्न किये जाने पर इनकी निविदा अवैध मानकर निरस्त की जानी चाहिए थी। परन्तु संबंधित विभाग द्वारा उक्त के विपरीत मे0 फलक इण्टरप्राइजेज को सर्वन्यून निविदादाता के रूप में मान्यता प्रदान कर कार्य आवंटित किया गया। मे0 खुशी इण्टरप्राइजेज व मे0 फलक इण्टरप्राइजेज की निविदा अवैध निविदा मूल्य रसीद संलग्न किये जाने के कारण निविदा अवैध थी। इस प्रकार पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था, जो विभाग की घोर लापरवाही के कारण नहीं किया गया।

इसी प्रकार प्रथम बार की दो वैध निविदाओं में यदि मे0 इण्डिया ट्रेडर्स को आगणन दर से 16.16 प्रतिशत निम्नपर स्वीकृति ही प्रदान की जाती,तो कुल 16.16%-3.75%=12.41%निम्न अर्थात रू0 329120/– का लाभ नगर निगम को होता।उक्त आवंटित कार्य से प्रतीत होता है कि मे0 फलक इण्टरप्राइजेज को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी, फलस्वरूप नगर निगम को रू0 329120/– की आर्थिक क्षति हुयी।

अतः उपरोक्तरू0 329120/–आर्थिक क्षति एवं अवैध निविदा को अनियमित तरीके से वैध मानकर कराये गये कार्य का प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जाता है।

(विशेष आपत्ति संख्या 02)

➢ **विषयः–त्रुटिपूर्ण माप लिये जाने के फलस्वरूप रू0 55601/– का अधिक भुगतान तथा अनियमित तरीके से 103 मीटर लंबाई के कार्य को काल्पनिक रूप से 209.13 मीटर दिखाकर आगणन बनाये जाने से होने वाली अनियमितता के संबंध में।**

"निर्माण विभाग द्वारा जिस स्थल पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, उस स्थल का निरीक्षण कर माप लिये जाने के पश्चात् आगणन बनाये जाने का प्राविधान है। माप पुस्तिका में कराये गये कार्य की माप बहुत ही सूक्ष्मता व गहनता से किया जाना चाहिए ताकि अधिक भुगतान की संभावना न रहे।"

चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड–2 की पत्रावली सं0 347/एए–2/19–20 कार्य का नाम जोन–2 में गंगापुर कालोनी में चंदन यादव के मकान से फूलसिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा संड़क सुधार कार्य की सम्परीक्षा में निम्नांकित आपत्तियाँ प्रकाश में आयीं:–

1. माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 01 पर आइटम संख्या 1/3 Construction of GSB by providing close Graded mataerial..... में माप कुल 24.75 मी^{3}के स्थान पर 47.20 मी^{3} अंकित होने के कारण मे0 वर्तिका कान्सट्रक्षन को रू0 55601.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिससे स्पष्ट होात है कि किसी के द्वारा माप पुस्तिका की जाँच नहीं की गयी, यदि नियमानुसार जाँच की गयी होती तो अधिक भुगतान की सम्भावना न होती। अधिक भुगतान के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उपरोक्त धनराशि रू0 55601.00 नगर निगम कोष मे जमा कराया जाना होगा।
2. पत्रावली में संलग्न कार्य पूर्व मानचित्र में चंदन यादव के मकान से फूल सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग द्वारा कुल 209.13 मी0 कार्य होना था। लेकिन निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य कराने के दौरान या कार्य समाप्ति के बाद इसमें प्रदीप सिंह राठौर के मकान से मोहन लाल सैनी के मकान तक व शिवदत्त त्रिपाठी के मकान से निशी पाल के मकान तक का सड़क एवं नाली सुधार का कार्यमानचित्र में अलग से बना दिया गया। जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई अंकित नहीं की गयी। जबकि कार्य पूर्ण होने के बाद के मानचित्र में चंदन यादव के मकान से फूल सिंह के मकान तक की लम्बाई मात्र 103 मीटर अंकित की गयी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अवर अभियन्ता द्वारा बिना स्थलीय निरीक्षण किये काल्पनिक आधार पर आगणन एवं मानचित्र बनाया गया।
3. पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि स्वीकृत आगणन में मात्र चंदन यादव के मकान से फूल सिंह के मकान तक मात्र 103 मी0 में नाली एवं इण्टरलाकिंग द्वारा सड़क सुधार कार्य पर मात्र रू0 864110.00 का व्यय होना था, जिसके सापेक्ष कुल रू0 1753194.00 का व्यय किया गया। उपरोक्त कार्य के साथ प्रदीप सिंह राठौर के मकान से मोहन सैनी के मकान तक (लंबाई 61.50 मीटर) व शिवदत्त त्रिपाठी के मकान से निशीपाल के

मकान तक (लंबाई 52.20 मीटर) कुल लंबाई 113.7 मी0 का कार्य बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिये ही करवाया गया हैजिससे रू0 889084.00व्यय किया गया जो अभियन्तागणों के लापरवाही के कारण अनियमित व्यय हुआ जो अलाभकारी रहा।

4. अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य समय से समाप्त न होने पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत का विलम्ब शुल्क लिये जाने का प्राविधान है। प्रस्तुत कार्य दि0 10.02.2020 को समाप्त होना था, जो एक माह दिन बाद दिनाँक 12.03.2020 को समाप्त हुआ। इस प्रकार रू0 137814 विलम्ब शुल्क की कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु समय वृद्धि शुल्क नियमानुसार नहीं वसूल किया गया है।
5. उपरोक्त कार्य दि0 11.12.19 को प्रारम्भ हुआ तथा दि0 12.03.2020 को समाप्त हुआ। कार्य समाप्ति के पश्चात् दि0 13.03.2020 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया है, इस प्रकार कार्य समाप्ति के पश्चात् अनुबन्ध निष्पादित किये जाने से उसका औचित्य ही समाप्त हो जाता है।
6. अधिशाषी अभियन्ता जोन–2 के पत्राँक डी/1284/अधि0अभि0 जोन–2 /19–20 दिनाँक 13.012020 द्वारा अनुबंध न कराये जाने तथा स्थल पर कार्य प्रारम्भ न किये जाने के संबंध में नोटिस दिया गया। जबकि माप पुस्तिका में दिनाँक 12.01.2020 तक कार्य कराये जाने का उल्लेख है। जिससे स्पष्ट होता है कि अधि0 अभि0 जोन–2 को कार्य प्रारम्भ कराये जाने की जानकारी नहीं थी अथवा माप पुस्तिका में दर्ज की गयी माप असत्य थी। इस प्रकार असत्य सूचना उपलब्ध कराया जाना अनयिमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 76 के अन्तर्गत बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के स्वीकृत कार्य को किसी अन्य स्थल पर सम्पादित किये जाने के संबंध में संबंधित के प्रति नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा की गयी अधिक भुगतान की वसूली संबंधित से किये जाने हेतु आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

(विशेष आपत्ति संख्या 03)

➢ **विषयः–सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिकों/कार्मिकों को शासनादेशानुसार निर्धारित मजदूरी रू0 8013 प्रतिमाह के सापेक्ष रू0 9554 प्रतिमाह भुगतान किये जाने के फलस्वरूप नगर नगर निगम को प्रति माह रू0 45 लाख आर्थिक क्षति के संबंध में।**

नगर निगम में सेवा प्रदाता मे0 जे0टी0एन0 सर्विसेज प्रा0 लि0 द्वारा आपूर्तित सफाई श्रमिकों/कार्मिकों के पारिश्रमिक दिनाँक 21 दिसम्बर 2019 से 20 जनवरी 2020 तक से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली के परीक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम में लगभग 2500 सफाई श्रमिकों की आपूर्ति ली जा रही है और प्रत्येक सफाई श्रमिक को प्रतिमाह रू0 9554 की दर से भुगतान कियागया है, जबकि नगर विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 1671/9–1–19–66सा/2001 दिनांक 25 सितम्बर 2019 द्वारा सफाई श्रमिकों/कार्मिकों का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत मजदूरी का निर्धारण किया गया है, जिसमें सफाई श्रमिकों/कार्मिकों को दैनिक मजदूरी रू0 308.18, प्रतिमाह रू0 8012.73 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अधिक भुगतान किये जाने फलस्वरूप नगर निगम को लगभग रू0 45 लाख प्रतिमाह की आर्थिक क्षति हो रही है तथा प्रत्येक वर्ष लगभग रू0 5.40 करोड़ की आर्थिक क्षति होगी। आर्थिक क्षति का विवरण निम्नवत् हैः–

भुगतान की गयी मजदूरी (EPF+ESIC+SC)सहित	अनुमन्य मजदूरी (EPF+ESIC+SC)lfgr	अधिक भुगतान प्रति श्रमिक	कुल श्रमिक	प्रतिमाह हो रही कुल आर्थिक क्षति
11329	9501	1828	2500	45.70 लाख

अतः उपरोक्त आर्थिक क्षति का प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत प्रकाश में लाया जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अन्तर्गत सफाई श्रमिकों को अनुमन्य मजदूरी का भुगतान किया जाये,ताकि नगर निगम को आर्थिक क्षति न हो तथा शासनादेश का अनुपालन हो सके।

(विशेष आपत्ति संख्या 04)

- **विषयः–वर्ष 2019–20 में नाला सफाई के आगणन रू0 4.50 करोड़ की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न किये जाने तथा नाला सफाई में अनियमित भुगतान के फलस्वरूप होने वाली आर्थिक क्षति रू0 2.46 लाख के संबंध में।**

महोदय,

"नगर निगम अधिनियम 1959 की विभिन्न धाराओं मे अन्तर्गत आगणन की स्वीकृति किये जाने संबंधी प्राविधान है तथा वित्तीय नियमानुसार किसी भी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को शासकीय धन व्यय करते समय वैसे ही सावधानी बरतनी चाहिए जैसे वह स्वयं का धन व्यय करते समय करता है।"

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में नाला सफाई से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा के दौरान पाया गयाकि नाला सफाई का कुल आगणन 4,50,67,589.00 नगर आयुक्त द्वारा दिनाँक 07.03.2019 को अनुमोदित तथा स्वीकृत किया गया है, जबकि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 135 के अन्तर्गत नगर आयुक्त को मात्र रू0 10 लाख के आगणन की स्वीकृति का अधिकार है। इस प्रकार नाला सफाई के आगणन की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न किया जाना अनियिमित एवं आपत्तिजनक है।

जोन–04 के अन्तर्गत नाला सफाई हेतु मेसर्स श्री बाला जी इन्जी0 वर्क्स द्वारा प्रस्तुत मास्टर रोल के परीक्षण में पाया गया कि लगाये गये मानव बल से एक ही तिथि में एक से अधिक नाले साफ कराये गये, परन्तु साफ कराये गये प्रत्येक नाले का बिल अलग–अलग बनाकर मेसर्स बाला जी इन्जी0 वर्क्स को भुगतान किया गया। जबकि एक तिथि का एक ही बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। किये गये भुगतान से संबंधित मास्टर रोल तथा बिल को सम्बन्धित सफाई निरीक्षक/जोनल सेनेट्री अधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि विभागीय मिली भगत से जानबूझ कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी।

प्रस्तुत बिलों की जाँच लेखा विभाग द्वारा भी बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए था किन्तु विभागीय शिथिलता के कारण विभाग द्वारा जैसा बिल दिया गया, उसी प्रकार पारित करके भुगतान किये जाने में साथ दिया गया। यदि सभी बिलों की जाँच मास्टर रोल से की गयी होती तो अधिक भुगतान की सम्भवना न होती।

इस विभाग द्वारा पूर्व में भुगतान की गयी समस्त पत्रावलियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र सं080/डी/मु.न.ले.प.दिनाँक 07.12.19 एवं पत्र सं0 117/डी/मु.न.ले.प.दिनाँक 07.12.19 प्रेषित किये गये तथा मौखिक रूप से भी माँग की गयी, परन्तु नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया। जिससे यदि पूर्व में इसी प्रकार दोहरा भुगतान हुआ होगा तो उसका आकलन नहीं हो सका परन्तु अधिक भुगतान की सम्भावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता। जोन–4 के अन्तर्गत किये गये अनियमित भुगतान का विवरण निम्नवत् है:–

क्रम	श्रमिकों का नाम	नाला साफ कराने की अवधि	साफ कराये गये नाले का नाम	भुगतान की राशि
1	सूरज/चन्दर भैरव प्रसाद/भदई गौतम/पप्पू रितिक/संदीप संजय/भोला संजय/राम आसरे शिवम/रमेश कंधई/विजय	दिनाँक 01 मई से 21 मई 2019	वार्ड 75 पावर हाउस से टैफ्को चौराहा तक	40035
		दिनाँक 02 मई से 10 मई 2019	वार्ड 04 में झण्डा चौराहे से सीसामऊ नाला	21269
		दिनाँक 10 मई से 12 मई 2019	वार्ड 04 में 12/480 ग्वालटोली नाला	6256
		दिनाँक 13 मई से 17 मई 2019	वार्ड 04 में शनिदेव मन्दिर के पीछे से चर्च रोड पुलिया तक	8445
2	अजय/महेश रघु/रामू संदीप/राम कुमार रोहित/राम आसरे विरेन्द्र/बब्लू जितेन्द्र/बब्लू	दिनाँक 01 मई से 21 मई 2019	वार्ड 75 में मकबरा साइड वी0आई0पी रोड	40347
		दिनाँक 01 मई से 21 मई 2019	वार्ड 75 में पावर हाउस से टैफ्को चौराहा	38472
3	सूरज/चन्दर भैरव प्रसाद/भदई गौतम/पप्पू रितिक/संदीप संजय/भोला संजय/राम आसरे शिवम/रमेश कंधई/विजय	दिनाँक 01 जून से 10 जून 2019	वार्ड 42 स्वराज भवन निगम से 10/100 तक	12510
		दिनाँक 05 जून से 13 जून 2019	वार्ड 42 टैफ्को चौराहे से मछली वाला हाता से नवाब हाते तक	22520
		दिनाँक 05 जून से 13 जून 2019	ब्रह्म नगर गूदड़ बस्ती नाला शराब गद्दी तक	22520
		दिनाँक 11 जून से 13 जून 2019	वार्ड 42 ग्वालटोली पुल से स्वरूप नगर नर्सिंग होम तक	6256
4	अजय/सुनील आशीष कुमार/शिव चरण	दिनाँक 08 मई से 23 मई 2019	वार्ड 15 ब्लाक नं0 01 से दलित कब्रिस्तान तक	2502
		दिनाँक 20 मई से 31 मई 2019	वार्ड 110 तकिया कब्रिस्तान से लूला बिरयानी साइट–1	1876
5	अजीत छेदीलाल	दिनाँक 20 मई से 29 मई 2019	वार्ड 97 म0न0 100/432 से 100/444 बेकनगंज	2815
		दिनाँक 20 मई से 29 मई 2019	वार्ड 110 तकिया कब्रिस्तान से लूला बिनरायानी तक साइट–दो	2815
6	राहुल	दिनाँक 03 मई से 19 मई 2019	वार्ड 42 म0न0 13/388 से 13/149 काली मठिया तक	4067
		दिनाँक 06 मई से 30 मई 2019	वार्ड 13 कम्पनी बाग चौराहा से	4067

			खेड़िया स्कूल तक	
7	शिवम	दिनाँक 02 मई से 10 मई 2019	एड0 डी कालेज मोड से करबला चौराहा तक	1564
		दिनाँक 06 मई से 30 मई 2019	कम्पनी बाग से खेड़िया स्कूल तक	3127
		दिनाँक 11 मई से 15 मई 2019	वार्ड 13 गौषाला नाला	1564
8	अजय/सुनील	दिनाँक 02 जून से 04 जून 2019	वार्ड 59 गन्धैला नाला सीसामऊ हर सहाय स्कूल के पीछे	625
		दिनाँक 02 जून से 04 जून 2019	वार्ड 15 सेन्ट्रल पार्क नाला	625
9	अजय/महेश	दिनाँक 05 जून से 13 जून 2019	ब्रह्म नगर गूदड़ बस्ती नाला	938
		दिनाँक 11 जून से 19 जून 2019	वार्ड 42 परेड चौराहा से मछली मार्केट	938
कुल अनियमित भुगतान रू0				2,46,153

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल धनराशि रू0 2,46,153.00 का अनियमित भुगतान किया गया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह जिम्मेदार है। नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 74 के अन्तर्गत यह आर्थिक क्षति/गबन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना होगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 76 के अन्तर्गत गम्भीर आपत्ति का प्रकरण आपके संज्ञान में लाया जाता है।

(विशेष आपत्ति संख्या 05)

➢ **नगर निगम में किराये के हल्के वाहनों की आपूर्ति के भुगतान में होने वाली आर्थिक क्षति/अनियमितता के संबंध में।**

नगर निगम में किराये के हल्के वाहनों की आपूर्ति से संबंधित माह अगस्त एवं सितम्बर2019 के भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाहनों के आवंटन का न तो कोई मानक निर्धारित है और न ही फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का अनुबंध की शर्त के अनुसार जाँच ही की जाती है। पत्रावली के परीक्षण में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीं, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1. किस अधिकारी को कौन सा वाहन, कितनी दूरी का अनुमन्य है, सूची संलग्न नहीं पाई गयी और माँगने पर प्रस्तुत भी नहीं किया गया।
2. निर्धारित दूरी से अधिक दूरी चलने अथवा वाहन को मुख्यालय से बाहर ले जाने तथा आवंटित वाहन के अतिरिक्त आन काल वाहन द्वारा मुख्यालय से बाहर की यात्रा, बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के की जाती है, जबकि अनुबन्ध की शर्त के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

3. फर्म द्वारा दिये गये किराये के वाहन के बिल को, जिन अधिकारियों द्वारा उपयोग किया गया है उनके द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है। जिससे फर्म को अनियमित तरीके से अधिक भुगतान कर दिया जाता है।

4. विभिन्न अधिकारियों को शासनादेश के विपरीत इनोवा कार आवंटित है, जबकि शासनादेश सं0 1/2015/403/18–2–125(ल0उ0)/2014 दिनाँक 22 मई 2015 द्वारा जिन अधिकारियों को पहले अम्बेस्डर कार अनुमन्य थी, उन्हें रू0 8.50 लाख मूल्य के वाहन ही अनुमन्य है।

5. फर्म द्वारा दिये गये बिल की जाँच किसी स्तर पर नहीं की जाती है। फर्म द्वारा जैसा बिल दिया गया, उसी का भुगतान कर दिया गया, जबकि फर्म द्वारा दिये गये बिल की जाँच संलग्न लागबुक, चली गयी दूरी, अनुमन्य सीमा तथा निर्धारित शर्त के अनुसार किया गया होता तो माह जून, जुलाई 19 में नगर निगम को रू0 117801/–एवं माह अगस्त व सितम्बर 2019 में रू0 165925/–, कुल रू0 283726/–की आर्थिक क्षति न हुयी होती। इस प्रकार हुई आर्थिक क्षति को नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आर्थिक क्षति का विवरण निम्नवत् है:–

क्रम	सम्बद्ध वाहन	आर्थिक क्षति(रू0 में)		कुल आर्थिक क्षति (रू0 में)
		माह अगस्त	माह सितम्बर	
1	आन काल वाहन	5591+4618	–	10209
2	प्रवर्तन अधिकारी	11700	23400	35100
3	केयर टेकर	–	1760+4066	5826
4	जेड एस ओ जोन–4	–	1039	1039
5	जेड एस ओ जोन–2	–	690	690
6	उद्यान अधिकारी	–	552	552
7	स्काट वाहन	2000	2320	4320
8	अधि0 अभि0 जोन–2	–	16455	16455
9	जोनल अधिकारी जोन–5	2469	4149	6618
10	जोनल अधिकारी जोन–4	–	2803	2803
11	जोनल अधिकारी जोन–3	–	5161	5161
12	जोनल अधिकारी जोन–1	1923	–	1923
13	पशु चिकित्साधिकारी	7500	15000	22500
14	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	11042	15000	26042
15	अपर नगर आयुक्त द्वितीय	20376	6311	26687
	कुल आर्थिक क्षति			रू0 165925.00

1. पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि आवंटित वाहन होने के बावजूद शहर से बाहर की यात्रा बिना अनुमति के आन काल वाहन से की गयी और फर्म द्वारा अलग–अलग भुगतान प्राप्त किया गया, जो कि उपरोक्त चार्ट से परिलक्षित होता है। विवरण निम्नवत् है:–

01. उद्यान अधिकारी
02. अधिशाषी अभियन्ता जोन–2
03. जोनल अधिकारी जोन–1, 3, 4 व 5
04. नगर स्वास्थ्य अधिकारी
05. अपर नगर आयुक्त द्वितीय

2. आनकाल वाहन संख्या UP78ET3733 द्वारा दिनाँक 15.08.2019 को इलाहाबाद की कुल 471 किमी की यात्रा पर रू0 5591 तथा लोकल यात्रा 80 किमी पर रू0 4618 का भुगातन किया गया। जो कि एक ही तिथि को सम्भव नहीं है। इस प्रकार रू0 10209 का अनियमित भुगतान किया गया।
3. प्रवर्तन अधिकारी को आवंटित किराये के वाहने के 15 अगस्त 19 तक के बिल का भुगतान बोलेरो वाहन हेतु अनुमन्य किराये की दर से रू0 18800 किया गया, जबकि दिनाँक 16 अगस्त से 31 अगस्त 2019 एवं माह सितम्बर के बिल के साथ इनोवा वाहन हेतु अनुमन्य किराया रू0 60500 की दर से भुगतान किया गया। बोलेरो से इनोवा कार आवंटित किये जाने का आदेश संलग्न नहीं पाया गया। इस प्रकार कुल रू0 35100 का अनियमित भुगतान किया गया।
4. अधिशाषी अभियन्ता जोन–2 से सम्बन्धित किराये के वाहन के सितम्बर माह क बिल के साथ दिनाँक 16.09.19 से दिनाँक 22.0919 तक आनकाल वाहन सं0 UP78EH0001 द्वारा कुल 1626 किमी की यात्रा पर रू0 16455 का भुगतान किया गया है। स्वीकृति आदेष भी संलग्न नहीं है। जबकि इन्ही तिथियों में अधिशाषी अभियन्ता जोन–2 द्वारा आवंटित वाहन के लाग बुक पर प्रतिदिन हस्ताक्षर किया गया है। इस प्रकार रू0 16455/– का व्यय अनियमित किया गया।
5. जोनल अधिकारियों जोन– 1, 4 तथा 5 द्वारा आवंटित वाहन के अतिरिक्त आनकाल वाहन से इलाहाबाद तथा लखनऊ की यात्रा से संबंधित कुल रू0 11344.00 का अतिरिक्त भुगतान किया गयाा, जिसका स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं पांया गया । इस प्रकार भुगतान अनियमित किया गया।
6. जोनल अधिकारी 3 के बिल की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 15.09.19 को इलाहाबाद की यात्रा आनकाल वाहन संख्या यूपी78 ईएफ 8132 द्वारा 510 किमी हेतु रू0 5161 का भुगतान किया गया, जबकि जिस बिल के साथ इसे जोड़ा गया है वह दिनाँक 12.09.19 को ही जारी हो चुका था, जिससे यह भुगतान फर्जी ढंग से किया गया।
7. नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आवंटित वाहन के 15 अगस्त 2019 तक के बिल का भुगतान बोलेरो वाहन हेतु अनुमन्य किराये की दर से रू0 23000 का किया गया, जबकि दिनाँक 16 अगस्त से 31 अगस्त के बिल में इनोवा वाहन हेतु अनुमन्य किराया की दर से रू0 30500 का भुगतान किया गया। बोलेरो से इनोवा कार आवंटित किये जाने का आदेश संलग्न नहीं पाया गया। इसी प्रकार सितम्बर माह में भी इनोवा कार के किराये का भुगतान किया गया।

दिनाँक 26.08.19 को आनकाल वाहन सं0 यूपी 78 ईटी 3752 द्वारा लखनऊ की 275 किमी यात्रा पर कुल रू0 3542 का भुगतान किया गया, जबकि इस दिन आवंटित वाहन से भी यात्रा की गयी, जिससे स्पष्ट है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी के बिल के

साथ अगस्त माह में रू0 11042 तथा सितम्बर माह में रू0 15000 कुल रू0 26042 का अनियमित भुगतान किया गया।

8. इसी प्रकार पशु चिकित्साधिकारी को भी बोलेरो वाहन के स्थान पर इनोवा कार का भुगतान माह अगस्त में रू0 7500 तथा सितम्बर में रू0 15000 कुल रू0 22500 का अनियमित ढंग से किया गया।
9. अपर नगर आयुक्त द्वितीय को आवंटित किराये के वाहन के माह अगस्त 2019 के बिल में दिनाँक 02.08.19 को आनकाल वाहन संख्या यूपी 78 डीएन 0001 द्वारा कुल 1315 की यात्रा दिल्ली की अंकित पायी गयी। परन्तु इस यात्रा से संबंधित स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं पाया तथा यह यात्रा दिल्ली की नहीं की गयी क्यों कि टोल प्लाजा की रसीद लखनऊ रूट के नवाबगंज का तथा 02.08.19 को वापसी रात 10 बजे अंकित है। आवंटित वाहन के लागबुक में पाया गया कि दिनाँक 02.08.2019 को वाहन द्वारा भी यात्रा की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि रू0 16937/– का भुगतान बिना औचित्य के फर्जी ढंग से प्राप्त किया गया।
10. अपर नगर आयुक्त द्वितीय को आवंटित किराये के वाहन के माह सितम्बर 2019 के बिल में दिनाँक 07.09.19 को आनकाल वाहन संख्या यूपी 78 डीटी 9032 द्वारा लखनऊ हेतु 259 किमी तथा दिनाँक 09.09.19 को आनकाल वाहन संख्यायूपी 78 डीटी 9032 द्वारा लखनऊ हेतु 231 किमी की यात्रा हेतु कुल रू0 6311 का भुगतान किया गया, जबकि इन्हीं तिथियों में आवंटित वाहन द्वारा भी यात्रा की गयी है।

6. किराये का वाहन निर्धारित दूरी से अधिक चलने पर तथा मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए, परन्तु पत्रावली परीक्षण से ज्ञात हुआ कि निर्धारित दूरी से अधिक चलने एवं मुख्यालय से बाहर वाहन ले जाने का स्वीकृत आदेश संलग्न नहीं पाया गया, इस प्रकार निर्धारित दूरी से अधिक चलने एवं बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर जाने पर रू0 97169/–का अधिक भुगतान किया गया, जिसे सभी संबधित से वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् है:–

कम	सम्बद्ध वाहन	स्वीकृत दूरी (किमी)	स्वीकृत दूरी से अधिक चली गयी दूरी (किमी0 में)	निर्धारित दूरी से अधिक चलने पर किया गया अधिक भुगतान (रू0 में) (1)	स्वीकृत दूरी से अधिक चली गयी दूरी (किमी0 में)	निर्धारित दूरी से अधिक चलने पर किया गया अधिक भुगतान (रू0 में)(2)	कुल अधिक भुगतान(रू0 में) (1+2)
			माह अगस्त		माह सितम्बर		
1	जोनल अधिकारी जोन–1	1500	209	1923	340	3128	5051
2	जोनल अधिकारी जोन–4	1500	277	2803	–	–	2803
3	जोनल अधिकारी जोन–5	1500	244	2469	410	4149	6618
4	जोनल अधिकारी जोन–5	1500	685	6932	–	–	6932

5	अधि0 अभि0 जोन–2	1500	61	617	453	4584	5201
6	अधि0 अभि0 जोन–4	1500	219	2216	–	–	2216
7	अधि0 अभि0 जोन–5	1500	197	1993	–	–	1993
8	स्काट वाहन	1500	978	10797	–	–	10797
9	उद्यान अधिकारी	1500	642	6908	452	4158	11066
10	जेड एस ओ जोन–1	1500	1212	11150	684	6292	17442
11	जेड एस ओ जोन–2	1500	978	8998	–	–	8998
12	जेड एस ओ जोन–3	1500	642	6366	–	–	6366
13	जेड एस ओ जोन–4	1500	122	1122	113	1039	2161
14	जेड एस ओ जोन–5	1500	187	1720	–	–	1720
15	जेड एस ओ जोन–6	1500	223	2051	456	4195	6246
16	केयर टेकर	1500	79	799	174	1760	2559
कुल अधिक भुगतान रू0							96176.00

7. बिल के साथ संलग्न लागबुक की छायाप्रति के अवलोकन करने पर पाया गया कि माह अगस्त के अंतिम दिवस की मीटर रीडिंग एवं सितम्बर माह के प्रथम दिवस के मीटर रीडिंग में भारी अंतर है, जिससे स्पष्ट होता है कि मीटर रीडिंग मनमाने तरीके से भर कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाई जा रही है। विवरण निम्नवत् है।

वाहन संख्या	अगस्त माह के अंतिम दिवस की मीटर रीडिंग (किमी में)	सितम्बर माह के प्रथम दिवस की मीटर रीडिंग (किमी में)	अन्तर (किमी में)
UP78CT0060	144297	147885	3588
UP78CK5100	192282	193327	1045
UP78EM6868	102988	69182	33806
UP78FN7711	151681	111581	40100
UP78DN0909	85889	83337	2552
UP78DT8725	28565	33305	4740

1. केयर टेकर पूल व्हेकिल से किसके द्वारा यात्रा की जाती है, पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो सका।
2. शहर से बाहर यात्रा आवंटित किराये के वाहन/किराये के अन्य वाहन के साथ–साथ आन काल वाहन से की जाती है, जबकि शासनादेशानुसार जहाँ पर रेल की सुविधा है, वहाँ पर सरकारी वाहन से यात्रा करना निषिद्ध है इस प्रकार शासनादेश का उल्लंघन कर नगर निगम को क्षति पहुँचाया जाना अनयिमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि नगर निगम को हुई आर्थिक क्षति को सभी संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करके नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, ताकि नगर निगम को आर्थिक क्षति न हो तथा शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन हो सके।

(विशेष आपत्ति संख्या 06)

➢ **विषयः–ग्रीन पार्क स्टेडियम में बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं बिना टेण्डर द्वारा कराये गये कार्य के संबंध में।**

ग्रीन पार्क स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ के आस पास चकर्ड टाइल्स, वाटर हार्वेस्टिंग, फेसिंग हेतु बाउण्ड्रवाल एवं आंशिक भाग में फेंसिग के कार्य से संबंधित भुगतान पत्रावली के संपरीक्षण में पाया गया कि 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रीन पार्क स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ के निर्माण कार्य संपन्न होने के पश्चात उसमें से बचे शेष रू0 15,29,999/– के सापेक्ष हाकी मैदान के चारों ओर फेंसिग लगाने, ब्रिक वर्क की एज बाल रंगाई–पुताई, ड्रेन एवं एल वाले के बीच चकर्ड टाइल्स, गोल पोस्ट के पीछे फेसिंग, बेस में एन्टी टरमाइट ट्रीटमेन्ट एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधी कार्य हेतु रू0 15,29,377/– का आगणन तैयार किया गया, जिसकी स्वीकृति नहीं ली गयी। बिना स्वीकृति, बिना टेण्डर के मे0 चढ्ढा स्पोर्टस द्वारा कार्य कराया गया। संबंधित पत्रावली में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं:–

1. पत्रावली में मुख्य अभियन्ता द्वारा इंगित किया गया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम नगर निगम की सम्पत्ति नहीं है। नगर निगम की सम्पत्ति न होने पर भी उक्त कार्य किस आधार पर कराया गया, स्पष्ट नही है।
2. शेष रू0 15,29,999/– के सापेक्ष समस्त कार्य बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के संपन्न कराये गये, जो कि शासनादेश के विपरीत एवं आपत्तिजनक है। कार्य समाप्ति के उपरान्त कार्योंत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने का आधार स्पष्ट नहीं है।
3. उक्तकार्य मे0 चढ्ढा स्पोर्टस द्वारा ही सम्पन्न कराये गये। यदि सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के उपरान्त टेण्डर द्वारा उक्त कार्य संपन्न कराया जाता, तब उचित प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सकती थीं। बिना टेण्डर कार्य कराये जाने का आधार स्पष्ट नहीं है।
4. नियमानुसार जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी।
5. नियमानुसार बची हुयी धनराशि को समिति की स्वीकृति उपरान्त टेण्डर कराकर किया जाना चाहिए था।
6. संबंधित कार्य हेतु टेण्डर क्यों नहीं कराया गया, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है, जबकि चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य निविदा के माध्यम से ही कराये जा सकते हैं।
7. अधिशाषी अभियन्ता जोन–4 द्वारा इंगित किया गया है कि उक्त कार्य संपादित करा दिया गया है। कार्य समाप्ति के उपरान्त रू0 15,29,999/– के सापेक्ष 5,50,560/– के रनिंग बिल (चलित देयक) संलग्न किये जाने का औचित्य स्पष्ट न हो सका। प्रथम रनिंग

बिल रू0 5,50,560 से स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अथवा रू0 15,29,999 के सापेक्ष मात्र रू0 5,50,560 का ही कार्य होना था।

8. शासनादेश के अनुसार किसी कार्य को स्वीकृत दर पर पुनः नहीं कराया जा सकता है। उक्त शासनादेश के क्रम में किया गया कार्य नियमविरूद्ध है।

उक्त से स्पष्ट है कि मात्र रू0 5,50,560/– के ही कार्य कराये गये, जबकि कार्योत्तर स्वीकृति रू0 15,29,999/– की प्राप्त की गयी। प्रकरण नगर निगम लेखानियमावली के नियम 76 के अंतर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

(विशेष आपत्ति संख्या 07)

➢ **विषयः–सर्वन्यून निविदादाता द्वारा डाली गयी निविदा को बिना उचित कार्यवाही के अवैध करार कर दिये जाने से नगर निगम को होने वाली आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में।**

अभियन्त्रण खण्डजोन–3 वार्ड–100 के अन्तर्गत ई ब्लाक मे म0न0 128/221, चालीस दुकान घन्टाघर के सामने साइड नं0 01 में ब्लाक नं0 39 से पानी टंकी एवं एच–2 ब्लाक में म0न0 128 से महिला कालेज तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 407/एए–3/19–20 के परीक्षण में पाया गया कि मेसर्स अमित ई0प्रा0 द्वारा ई–निविदा में प्रतिभाग के समय आगणन दर से 24.22 प्रतिशत निम्न पर कार्य सम्पन्न करने की निविदा प्रस्तुत की गयी। पत्रावली में मेसर्स अमित ई0 प्रा0 का लिफाफा संलग्न है। किन्तु अधिशाषी अभियन्ता जोन–3 के आख्यानुसार लिफाफे में निविदा मूल्य रसीद तथा एफ डी आर प्राप्त न होने के कारण निविदा अवैध है का उल्लेख करते हुये द्वितीय निविदादाता के पक्ष में आगणन से 9.05 प्रतिशत निम्न पर स्वीकृति प्राप्त की गयी जबकि विभाग द्वारा आगणन से 24.22 प्रतिशत निम्न निविदा, बिना निविदा मूल्य नगर निगम में जमा किये तथा बिना एफडीआर संलग्न किये निविदा प्रक्रिया बाधित करने के आशय से प्रतिभाग करने पर मेसर्स अमित ई0प्रा0 के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये द्वितीय सर्वन्यून से निगोशिएशन किये जाने के पश्चात् निविदा स्वीकृति आदि की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपितु द्वितीय निविदादाता के पक्ष में आगणन दर से 9.05 प्रतिषत निम्न पर स्वीकृति प्राप्त की गयी।

इस प्रकार बिना निविदा मूल्य जमा किये व बिना एफ0डी0आ0 संलग्न किये निविदा में प्रतिभाग करने वाले न्यूनतम निविदादाता के प्रति किसी प्रकार की कार्यवाही न किया

जानाअनियमित एवं आपत्तिजनक है।नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप नगर निगम को 15.17 प्रतिषत (24.22–9.05) की दर से रू0 150207.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये हुई आर्थिक क्षति की वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है, ताकि पुनरावृत्ति न हो।

(विशेष आपत्ति संख्या 08)

- **विषयः–आर0ओ0 प्लाण्ट की आपूर्ति/स्थापना जेम से न कराये जाने से सम्भावित आर्थिक क्षति, निजी विद्यालयों में आर0ओ0 प्लांट की स्थापना तथा कार्य ई टेण्डर से न करा–कर कार्य को टुकड़ों में बाँटकर "एक कार्य एक टेण्डर सिद्धान्त" के विपरीत कार्य कराये जाने के संबंध में।**

नगर निगम द्वारा विभिन्न विद्यालयों में आर0 ओ0 वाटर प्लाण्ट की स्थापना कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या 192/एए/प्रोजेक्ट/19–20 एवं पत्रावली संख्या 194/एए/प्रोजेक्ट/19–20 के परीक्षण में पाया गया किः–

1. चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव/नागरिक सुविधाओं का निर्माण के अन्तर्गत कार्य योजना मे 25 आर0 ओ0 वाटर प्लाण्ट स्थापना हेतु रू0 25 लाख की व्यवस्था की गयी एवं स्वीकृति दिनाँक 06.03.2019 को प्राप्त हुयी।
2. जन प्रतिनिधि द्वारा पत्र संख्या 291ए/2020 दि0 03.02.20 एवं पत्र संख्या 291बी/2020 दि0 03.02.20 द्वारा विभिन्न विद्यालयों के नाम का उल्लेख करते हुये क्रमशः 10 व 5 वाटर कूलर स्थापित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. प्रोजेक्ट विभाग द्वारा दि0 30.08.2019 को 10+10+05 आर0 ओ0 प्लाण्ट की स्थापना हेतु 03 अलग–अलग पत्रावली तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी। जबकि "एक कार्य एक टेण्डर सिद्धान्त" का पालन करना चाहिए था।
4. दोनों पत्रावलियों में उक्त कार्य हेतु मे0 खुशी इण्टरप्राइजेज को कार्यादेश दि0 03.01.2020 निर्गत किया गया।
5. उक्त कार्य हेतु विभाग का कोई आगणन पत्रावली में संलग्न नहीं है व न ही जेम की दरों से तुलना की गयी।
6. पत्रावली में बाजार दर संलग्न हैं, परन्तु जेम की दरें प्राप्त कर उनसे तुलना नहीं की गयी।

उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति पायी गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. एक ही प्रकार के कार्य की एक ही दिनाँक में 03 अलग अलग पत्रावली बनाकर निविदा आमंत्रित किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है, जबकि शासनादेश 'एक कार्य एक टेण्डर सिद्धान्त' के अनुसार ई–निविदा आमंत्रित कर कार्य सम्पन्न कराना चाहिए था।
2. पत्रावली के परीक्षण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा कोई आगणन तैयार नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि आर ओ प्लाण्ट की स्थापना हेतु आगणन तैयार किये बिना ही किस आधार पर निविदा आमंत्रित की गयी।
3. चौदहवें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने, कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त जन प्रतिनिधि के वाटर कूलर लगवाये जाने हेतु प्राप्त पत्र को आर ओ प्लाण्ट स्थापित किये जाने से संबंधित पत्रावली में संलग्न किये जाने का कारण एवं औचित्य स्पष्ट नहीं है, जबकि जनप्रतिनिधि द्वारा मात्र वाटर कूलर हेतु पत्र दिय गया था।
4. सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव/नागरिक सुविधाओं के निर्माण मद में आवंटित धनराशि से निजी विद्यालयों में आर ओ प्लाण्ट की स्थापना की गयी है। आवंटित धनराशि को निजी सम्पत्ति/विद्यालयों में व्यय किये जाने से संबंधित शासन के दिशा निर्देश/आदेश की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है।
5. शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2017 के अनुसार सभी आपूर्ति तथा स्थापना का कार्य जेम के माध्यम से कराये जाने के निर्देश है। प्रस्तुत प्रकरण में यदि जेम से दरें प्राप्त की गयी होती तो दरें बहुत कम प्राप्त होती। इस प्रकार जेम से दरें न प्राप्त कर आफलाइन अलग–अलग निविदा आमंत्रित कर ठेकेदार को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाना प्रतीत हो रहा है।
6. जेम से आपूर्ति न लेकर कार्य को टुकड़ों में बाँट कर आफलाइन आपूर्ति/स्थापना का कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है, इससे नगर निगम को आर्थिक क्षति की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
7. दोनों पत्रावलियों में एफडीआर संलग्न किये जाने से संबंधित पत्रकों से स्पष्ट है कि एफ डी आर कार्य पूर्ण होने के दिनाँक 15.02.2020 के बाद की दिनाँक दि0 11.03.2020 को क्रय किये गये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य हेतु कोई जमानती धनराशि उपलब्ध ही नहीं करायी गयी थी। बिना जमानत धनराशि के ही प्रस्तुत की गयी निविदा को वैध किस आधार पर माना गया स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बिना जमानत एवं परफार्मेन्स गारण्टी

के अनुबंध निष्पादित किया गया, जबकि बिना जमानत धनराशि एवं परफार्मेन्स गारण्टी के अनुबंध सम्पन्न नहीं होना चाहिए।

8. पत्रावली संख्या 194/एए/प्रोजेक्ट/19–20 में मात्र 03 ही कार्य स्थल पर आर ओ प्लाण्ट स्थापना के उपरान्त के चित्र संलग्न किये गये है,व एक ही चित्र में वाटर कूलर स्थापित होना दृश्य है। सभी कार्य स्थल के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के चित्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।दोनो ही पत्रावलियों में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्यों/प्रबन्धकों से कार्य के गुणवत्ता के साथ, संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
9. माप पुस्तिका में माप संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा हस्तलिखित नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि आर0 ओ0 प्लाण्ट की आपूर्ति की दरें जेम से सत्यापित किये जाने पश्चात् हुयी आर्थिक क्षति को संबंधित से वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है तथा भविष्य में समस्त आपूर्ति जेम के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। ताकि नगर निगम को आर्थिक क्षति न हो और शासनादेश का पालन हो सके।

(विशेष आपत्ति संख्या 09)

- **विषयः–प्रस्तावित कार्य स्थल पर कार्य न करा कर अन्य स्थल पर कराये जाने एवं कार्य समाप्ति के पश्चात अनुबंध किये जाने के संबंध मे।**

अभियन्त्रण खण्ड जोन–2 वार्ड 46 के अन्तर्गत न्यू आजाद नगर में ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल के पास से राम नरेश यादव के मकान तक व अमित के मकान होते हुए सौरभ के मकान तक इण्टरलांकिग द्वारा सडक निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या–520/ए0ए02/2019–20 के परीक्षण में पाया गया कि कार्य पूर्व मानचित्र के अनुसार अमित के मकान से सौरभ के मकान तक लम्बाई 60 मीटर व ओंकारेश्वर विद्या मन्दिर से राम नरेष यादव के मकान तक लम्बाई 60 मीटर का कार्य होना था इसी आधार पर आगणन भी तैयार किया गया लेकिन कार्य कराने के पश्चात संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर कार्य न कराकर अन्य स्थल पर कार्य कराया गया है जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका पर भी है। प्रस्तावित स्थल तथा कराये गये स्थल का विवरण निम्नवत् है–

प्रस्तावित कार्य स्थल का नाम	कराये गये कार्य स्थल का विवरण
1·ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल के पास से राम नरेश यादव के मकान तक 2 अमित के मकान होते हुए सौरभ के मकान तक	1 रमेश सिंह चौहान के मकान से राम प्रताप यादव के मकान तक 2 राम सिंह यादव के मकान से सतबरी रोड की तरफ

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित स्थल पर कार्य न कराकर विभाग द्वारा मनमाने तरीके से किसी अन्य स्थल पर कार्य कराया गया है जो कि किये गये अनुबन्ध एवं नगर निगम के हितो के प्रतिकूल है।

इसी प्रकार माप पुस्तिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्य दिनांक 10 मार्च 2020 को समाप्त हुआ परन्तु अनुबन्ध की कार्यवाही कार्य समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात दिनांक 17 मार्च 2020 को सम्पन्न हुआ। कार्य समाप्ति के पश्चात अनुबन्ध किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए इस प्रकार कार्य कराये जाने के पश्चात अनुबन्ध की कार्यवाही किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है ताकि सभी सम्बन्धित के प्रति नियमानुसार कार्यवाही की जा सके जिससे अनियमित प्रकिया के तहत प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल पर कार्य न कराया जा सकें।

(विशेष आपत्ति संख्या 10)

➢ **विषयः–जमानत धनराशि एवं परफार्मेंस गारंटी धनराशि के बिना अनियमित तरीके से अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के संबंध में।**

वित्तीय नियमों में कार्य की वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि तथा शासनादेशानुसार निविदा निम्न आने की स्थिति में अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारंटी धनराशि के साथ अनुबंध निष्पादित किये जाने का प्राविधान है।

अभियन्त्रण खण्ड जोन–5 के अन्तर्गत वार्ड सं0 20 शक्ति मार्केट से रायल धर्मकॉटा तक नाला निर्माण कार्य हेतु आगणन सं0–43,80,196/–(जी0एस0टी0 रहित) उद्योग बन्धु के अन्तर्गत निविदा दिनांक02.03.2019 को आमंत्रित की गयी। मेसर्स रामा इण्टर प्राइजेज की निविदा 31.99 निम्न रू0 29,78,972/– प्राप्त हुई। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जमानत धनराशि एवं परफार्मेंस गारण्टीलिये बिना दिनांक 18.06.19 को अनियमित तरीके से अनुबंध निष्पादित किया गया जबकि

निविदा में प्रतिभाग करते समय ठेकेदार द्वारा रू0–2,64,000/–का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 संलग्न किया गया था इस प्रकार जमानत धनराशि रू–2,97,897/– तथा परफार्मेंस गारंटी धनराशि रू0–8,04,025/–कुल रू0–11,01,922/– ठेकेदार से न लेकर, निविदा के समय जमा धरोहर धनराशि रू0–2,64,000/– अनियमित तरीके से वापस कर अनुबंध निष्पादित किये जाने से वित्तीय नियमों तथा शासनादेश संख्या– 622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–02, दिनांक– 08.06.2012 का उल्लंघन किया गया। जिसके लिए अधिशाषी अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

उपरोक्त कार्य दिनांक 07.09.2019 तक समाप्त होना था परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। यदि अनुबन्ध के समय जमानत धनराशि तथा परफार्मेंस गारंटी धनराशि ली गयी होती तो उसे जब्त कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती थी। परफामेंस गारण्टी, ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य को छोड़कर चले जाने की स्थिति को बचाये जाने के लिए, ही शासनादेश में प्राविधान किया गया हैं।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है। ताकि अनुबंध के समय जमा की जाने वाली जमानती तथा परफार्मेंस गारंटी धनराशि न लिये जाने के कारण अनुबन्ध निष्पादन अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसी से वसूली किया जाना अपेक्षित है ताकि शासनादेश का अनुपालन हो सके।

(विशेष आपत्ति संख्या 11)

- **विषयः–नगर निगम में किराये के हल्के वाहनों की आपूर्ति के भुगतान में होने वाली आर्थिक क्षति/अनियमितता के संबंध में।**

नगर निगम में किराये के हल्के वाहनों की आपूर्ति से संबंधित माह अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के भुगतान पत्रावली सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल की जॉच अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार न करके मात्र बिल की गणना की जॉच करके भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है। जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई। सम्परीक्षा के दौरान पाई गयी आपत्तियों का विवरण निम्नवत है–

3. किराये के वाहनों के बिलों को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं कराया जाता है जिससे फर्म को अधिक भुगतान कर दिया जाता है।
4. निर्धारित दूरी से अधिक दूरी चलने अथवा मुख्यालय से बाहर ले जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

5. आनकॉल वाहन से यात्रा किसके द्वारा की जाती है, पत्रावली में स्वीकृत आदेश संलग्न नहीं पाया गया।

6. जिन अधिकारियों को किराये का वाहन आवंटित है उनके द्वारा भी ऑनकाल वाहन से यात्रा की गयी जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई।

7. फर्म द्वारा दिये गये बिल की जाँच किसी स्तर पर नहीं की जाती है। फर्म द्वारा जैसा बिल दिया गया, उसी का भुगतान कर दिया गया, जबकि फर्म द्वारा दिये गये बिल की जाँच संलग्न लागबुक, चली गयी दूरी, अनुमन्य सीमा तथा निर्धारित शर्त के अनुसार किया गया होता तो माह अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक नगर निगम को रू0 2,87,513/– की आर्थिक क्षति न होती। आर्थिक क्षति रू0– 2,87,513/– को नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। माहवार आर्थिक क्षति का विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	माह का नाम	धनराशि(जी0एस0टी0 सहित)
1	अक्टूबर 2019	23477/–
2	नवम्बर 2019	28832/–
3	दिसम्बर 2019	150865/–
4	जनवरी 2020	40572/–
5	फरवरी 2020	16080/–
6	मार्च 2020	27687/–
	कुल आर्थिक क्षति	रू0 287513/–

8. किराये का वाहन निर्धारित दूरी से अधिक चलने पर तथा मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए, परन्तु पत्रावली परीक्षण में पाया गया कि निर्धारित दूरी से अधिक दूरी चलने एवं वाहन मुख्यालय से बाहर ले जाने से सम्बन्धित का स्वीकृत आदेश संलग्न नहीं है। इस प्रकार निर्धारित दूरी से अधिक चलने/बिना अनुमति वाहन मुख्यालय से बाहर जाने पर रू0 5,59,108/– का अधिक भुगतान फर्म को किया गया जिसे नीचे अंकित सभी सम्बन्धित से वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत है।।

क्रम	सम्बद्ध वाहन	स्वीकृत दूरी प्रतिमाह(किमी0)	अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक चली गयी कुल अधिक दूरी	किया गया भुगतान (जी0एस0टी0सहित)
1	जोनल अधिकारी जोन–2	1500	3481	38648/–
2	जोनल अधिकारी जोन–3	1500	2512	28469/–
3	जोनल अधिकारी जोन–5	1500	3221	36504/–
4	जोनल अधिकारी जोन–6	1500	4063	46082/–
5	अधिशाषी अभियन्ता, जोन–1	1500	2380	27060/–
6	अधिशाषी अभियन्ता, जोन–2	1500	3657	41393/–
7	अधिशाषी अभियन्ता, जोन–4	1500	1670	18925/–
8	स्काट वाहन	1500	2677	33098/–
9	उद्यान अधिकारी	1500	4443	45161/–
10	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी जोन–1	1500	2281	22383/–
11	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी जोन–2	1500	6569	67685/–
12	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी जोन–3	1500	1429	14722/–
13	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी जोन–5	1500	2941	30300/–
14	रोली गुप्ता, टी0एस0	1500	3280	37265/–
15	कर अधीक्षक, जोन–2	1500	2107	23880/–
16	कर अधीक्षक, जोन–3	1500	3043	34489/–
17	कर अधीक्षक, जोन–5	1500	1151	13045/–
				5,59,108/–

9. बिल के साथ संलग्न लॉगबुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि माह के अंतिम दिवस की रीडिंग एवं अगले माह के प्रथम दिवस के मीटर रीडिग में भरी अंतर है। जिससे स्पष्ट होता है कि मीटर रीडिंग मनमाने तरीके से भर कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुचाई जा रही है। विवरण निम्नवत् है।

कमांक	वाहन संख्या
1	UP 78 CT 0060
2	UP 78 EE 0030
3	UP 78 CK 5100
4	UP 78 FN 1711
5	UP 78 CT 2249
6	UP 78 DT 9106
7	UP 78 DN 0707
8	UP 78 CT 3737
9	UP 78 DN 0909
10	UP 78 FN 7272
11	UP 78 ET 2047

10. निर्धारित समय से अधिक देर तक वाहन चलने पर नाइट चार्ज से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की जॉच लॉग बुक से करने पर पाया गया कि जिस दिन वाहन नहीं चला है उस दिन का भी किराये का भुगतान कर दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि नाइट चार्ज का प्रमाण पत्र सम्बन्धित द्वारा अनियमित तरीके से निर्गत की जा रही है, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है।
11. संलग्न लॉगबुक मे अंकित वाहन संख्या को अपर लेखन करके बिल में अंकित वाहन संख्या को लॉगबुक में डालकर संशोधित कर दिया जाता है जिससे प्रतीत होता है कि अनुबन्ध के शर्तो के अनुरूप वाहन उपलब्ध न कराकर अन्य वाहन उपलब्ध कराया जाता है।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि किराये के वाहनों में होने वाली अनियमितता तथा आर्थिक क्षति को रोका जा सके नगर निगम को हुई आर्थिक क्षति को सभी संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करके नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है, ताकि शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन हो सके।

(विशेष आपत्ति संख्या 12)

➢ **विषयः–नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(बी) के अन्तर्गत अनियमित तरीके से तिरपाल की क्रयदारी किये जाने के संबंध में।**

कैटिल कैचिंग विभाग द्वारा पनकी गौसंरक्षण केन्द्र में सर्दी से पशुओं को बचाने हेतु तारपोलिन एवं एससिरीज मय पी0वी0सी0 फिटिंग का कार्य मेसर्स सेल्स कार्पोरेशन से रू0 42/मीटर की दर से कुल 7200 मीटर का कार्य रू0–356832/ में बिना टेण्डर, विना स्वीकृति विना दरो का सत्यापन विना अनुबन्ध के कराकर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ख) अन्तर्गत अनियमित तरीके से कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 05.03.20 को प्राप्त की गयी तथा आयकर, जी0एस0टी0 की कटौती प्रस्तावित न करके रू0–356832/–के भुगतान हेतु संस्तुत किया गया जिसपर लेखा विभाग द्वारा भी आयकर, जी0एस0टी0 की कटौती न करके अनियमित तरीके से सम्पूर्ण भुगतान वाउचर संख्या–377/अगस्त 2020 द्वारा कर दिया गया जिससे शासकीय क्षति भी हुई। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ख) में**"किसी आपातकाल में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए या निगम की सम्पत्ति की रक्षा के लिए ऐसी तात्कालिक कार्यवाही करेगा जो आपात को देखते हुए अपेक्षित हो ..... किन्तु प्रतिबंध है कि नगर आयुक्त कार्यकारिणी समिति और निगम को तत्काल उस कार्यवाही की सूचना देगा जो उसने की है।"**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ख) के अन्तर्गत आपात स्थिति में ही स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है। कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। शासनादेशानुसार कोई भी कार्य निविदा के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए। यदि निविदा के माध्यम से उक्त कार्य कराया गया होता तो दरें कम आने की सम्भावना थी। इस प्रकार उपरोक्त कार्य टेण्डर के माध्यम से न कराकर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ख) के अन्तर्गत अनियमित तरीके से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ख) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति तथा निगम को सूचना दी गयी अथवा नहीं पत्रावली में संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है ताकि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ख) का दुरूपयोग न हो और शासनादेश का पालन हो सके।

(विशेष आपत्ति संख्या 13)

➢ **विषयः—भण्डार विभाग में शेड नेट की कयदारी निविदा के माध्यम से न करके टुकड़ो में विभाजित कर कोटेशन से किये जाने के संबंध मे।**

भण्डार विभाग की शेड नेट कयदारी से संबंधित पत्रावली संख्या– 63/एस0टी0/2019–20, 64/एस0टी0/2019–20, 83/एस0टी0/2019–20, 84/एस0टी0/2019–20 एवं पत्रावली संख्या–86/एस0टी0/2019–20 जिनका भुगतान लेखा विभाग द्वारा कमशः रू0–87360/(बाउचर सं0 664/मार्च 2020), रू0 74880(बाउचर संख्या– 224/नवम्बर 20) रू0–58240/(बाउचर सं0 376/अगस्त 2020), रू0–87360/(बाउचर संख्या–661/मार्च 2020) एवं रू0–87360/(बाउचर सं0–662/मार्च 2020) किया गया है। पत्रावलियों के परीक्षण में पाया गया कि–

1. पत्रावली संख्या–63/एस0टी0/2019–20 एवं 64/एस.टी./19–20 में कार्य की तात्कालिक आवश्यकता दर्शाते हुए कोटेशन आमंत्रित कर कार्य कराये जाने के उपरान्त मेसर्स सेल्स कारपोरेशन के पक्ष में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली अग्रसारित की गयी है। कोटेशन किसके आदेश से आमंत्रित किये गये, आपूर्तित सामग्री की मात्रा व अनुमानित दरों का कोई उल्लेख न तो आख्या में ही किया गया व न ही कोई पत्रालेख ही संलग्न है।

.2. इसी प्रकार पत्रावली संख्या–83/एस0टी0/2019–20, 84/एस0टी0/2019–20 एवं 86/एस0टी0/2019–20 में भी पत्रावली संख्या–63/एस0टी0/2019–20में उल्लिखित कार्य का उल्लेख करते हुये कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी। विभाग द्वारा इन सभी पत्रावलियों में उच्चाधिकारियों को भ्रामक आख्या दी गयी कि पूर्व स्वीकृत दरों पर ही सामग्री की आपूर्ति की गयी है, जबकि उपरोक्त प्रस्तर–01 से स्पष्ट है कि पूर्व पत्रावली में भी विभाग द्वारा अस्पष्ट दरों पर एवं अस्पष्ट मात्रा में आपूर्तित सामग्री हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान कराया गया है व सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एक साथ ही प्राप्त की गयी है।

3. पत्रावलियों में संलग्न मेसर्स सेल्स कारपोरेशन के बिलों में कमशःदिनांक 10.12.19 तथा 11.12.19 के एक बिल एवं दिनांक 12.12.19 के दो बिल तथा दिनांक 13.12.19 का एक बिल है जिससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा वास्तविक स्थिति को छिपाते हुये, पहले एक बिल की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी एवं तदोपरान्त उसे आधार बनाकर भ्रामक आख्या देते हुये संबंधित ठेकेदार/फर्म को कई टुकड़ों में भुगतान कराया गया। जबकि आपूर्ति से संबंधित इन पत्रावलियों की धनराशि रू0 399000/ है, जिसके अनुसार आपूर्ति/कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए। निविदा के माध्यम से आपूर्ति कराने पर नगर मिगम को स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होतीं एवं आर्थिक लाभ भी होता।

4. किसी भी पत्रावली में विभागीय कोटेशन आमंत्रित किये जाने संबंधी कोई पत्रालेख संलग्न नहीं है, विभाग की आवश्यकतानुसार कितनी मात्रा की आपूर्ति ली जानी थी, का कोई उल्लेख नहीं है व न ही सामग्री की बाजार दर का कोई उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि कोटेशन में प्राप्त दर उचित है अथवा नहीं। प्रायः देखा जाता है कि कोटेशन में प्राप्त न्यूनतम दर पर आपूर्ति ले ली जाती है जबकि बाजार में उसका दर कम है। बाजार दर से तुलना नहीं की जाती है जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति होती है।

5. विभागीय स्टॉक रजिस्टर को पत्रावली के साथ परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराये जाने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सामग्री की आपूर्ति किस दिनांक को कितनी मात्रा में की गयी व किसे कितनी मात्रा में कब निर्गत की गयी।

भण्डार विभाग द्वारा इस प्रकार का कार्य निरंतर ही किया जा रहा है। डंग मशीन की कयदारी से संबंधित समान प्रकार के प्रकरण पर पत्र संख्या–01/डी/मु0न0ले0प0, दिनांक 04.06.2020(सा0 आ0 सं0–1) विभाग को प्रेषित की गयी है। जिसका कोई भी प्रतिउत्तर अद्यतन तिथि तक प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण नगर निगम लेखानियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत अनियमित तरीके से की गयी कयदारी के संबंध में आपके संज्ञान में लाया जा रहा है ताकि नगर निगम में जो भी कयदारी की जाय वह जेम के माध्यम से की जाय। जेम पर सामाग्री उपलब्ध न होने पर ही निविदा के माध्यम से कयदारी किया जाना अपेक्षित है। ताकि नगर निगम को आर्थिक क्षति न उठानी पड़े।

(विशेष आपत्ति संख्या 14)

➢ **विषयः– कोटेशन के माध्यम से आपूर्ति लिये जाने से होने वाली आर्थिक क्षति रू0 84278/–के सम्बन्ध में।**

भण्डार विभाग की क्रयदारी से सम्बन्धित पत्रावली संख्या 38/एसटी/2020–21 एवं पत्रावली संख्या 73/एसटी/2020–21 के परीक्षण के दौरान पाया गया कि भण्डार विभाग द्वारा विभिन्न माडल की दो फोटोकापी मशीन की क्रयदारी हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कोटेशन के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त की गयी। इस हेतु लेखा विभाग द्वारा क्रमशः बाउचर संख्या 430/फरवरी 2021 एवं 431/फरवरी 2021 के द्वारा जी.एस.टी. सहित रू0 96025.00 का भुगतान किया गया है। पत्रावलियों के परीक्षण में निम्न आपात्तिया प्रकाश में आयीः–

1– यह क्रयदारी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुपालन में जेम पोर्टल से न करके कोटेशन के माध्यम से अधिक दर पर आपूर्ति प्राप्त की गयी है।

2– फोटोकापी मशीन की आपूर्ति के पूर्व बाजार से दरे नही प्राप्त की गयी अपितु कोटेशन में प्राप्त न्यूनतम दर पर आपूर्ति की गयी जबकि बाजार में मूल्य कम था।

3– क्रय की गयी फोटोकापी मशीनों के मूल्य आनलाइन शापिंग साइटस पर समस्त करो सहित क्रमशः रू0 53675.00 एवं रू0 54500.00 प्राप्त हो रहे है। जिससे स्पस्ट है कि कोटेशन से पूर्व बाजार दर प्राप्त न किये जाने एवं आगणन न बनाये जाने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति हुयी है। विवरण निम्नवत हैः–

क्रम सं0	आपूर्ति सामग्री	आपूर्ति दर (रू0)	बजार दर (रू0)	आर्थिक क्षति (रू0)
(1)	Konica Mintola "bizhub" 205i	96428	53675	42753
(2)	Konica Mintola "bizhub" 205i	96025	54500	41525
			कुल आर्थिक क्षति	84278

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भण्डार विभाग द्वारा सामग्री की आपूर्ति अधिक दर पर प्राप्त की गयी है जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई है। आपूर्ति सामग्री की दरें बाजार अथवा आनलाइन से सत्यापन न करके सीधे कोटेशन में प्राप्त दर पर आपूर्ति किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त आर्थिक क्षति का प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि भण्डार विभाग में जो भी सामग्री की आपूर्ति ली जाय वह जेम अथवा जेम पर उपलब्ध न होने पर निविदा के माध्यम से ली जाय। साथ ही हुई आर्थिक क्षति को सभी सम्बन्धित से वसूल कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(विशेष आपत्ति संख्या 15)

➢ **विषयः– नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ब) के अन्तर्गत अनियमित तरीके से आपूर्ति लिये जाने तथा आपूर्ति में रू0 1,50,020/– अधिक भुगतान किये जाने के फलस्वरूप हुई आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में।**

कैटिल कैचिंग विभाग के अन्तर्गत काजी हाउस में बंद आवारा पशुओं के भरण पोषण से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली संख्या– डी0/624ए तथा डी0/625ए/2019–20/प0चि0अधि0 की सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ब) के अन्तर्गत भूसा एवं चोकर के आपूर्ति हेतु दिनांक 05.09.2019 को स्वीकृति प्राप्त की गई तथा दिनांक 06.09.2019 को मेसर्स कैलाश एंड सन्स को भूसा, चोकर आपूर्ति का कार्यादेश निर्गत किया गया। पत्रावली में संलग्न भूसा तथा चोकर के आपूर्ति विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्यादेश निर्गत दिनांक 06.09.2019 के पूर्व के चालान लगे है जबकि दिनांक 06.09.2019 के पूर्व मेसर्स बाला जी इन्टरप्राइजेज द्वारा आपूर्ति प्राप्त की गई है। जब कार्यादेश दिनांक 06.09.2019 को निर्गत किया गया तो उसके पूर्व की आपूर्ति का भुगतान किस आधार पर किया गया, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार भूसा आपूर्ति पर रू0 78,020/– तथा चोकर की आपूर्ति पर रू0 72,000/– कुल रू0 1,50,020/– का अनियमित भुगतान मेसर्स कैलाश एंड सन्स को किया गया जिसकी वसूली कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त स्वीकृति आदेश के क्रम में दिसम्बर 2019 तक आपूर्ति प्राप्त की गयी जबकि निविदा के माध्यम से दरें प्राप्त कर आपूर्ति प्राप्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117(6)(ब) का दुरूपयोग कर आपूर्ति प्राप्त किया जाना नियमों के विपरीत है। भूसा आपूर्ति से सम्बन्धित वजन के प्रमाण स्वरूप धर्मकाँटे की रसीद संलग्न नहीं है, वजन से सम्बन्धित मात्र विवरण अंकित है जो 5 के गुणांक में है जिससे आपूर्ति किये गये भूसे की मात्रा पर संशय उत्पन्न होता है। बिना धर्मकाँटे की रसीद के वजन का सत्यापन किस आधार पर किया गया, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार धर्मकाँटे की रसीद के अभाव में आपूर्तित भूसा में अधिक भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उपरोक्त आर्थिक क्षति सम्बन्धी प्रकरण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है। ताकि किये गये अधिक भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करके हुई आर्थिक क्षति रू0 1,50,020/– को नगर निगम कोष में जमा कराया जा सके।

(विशेष आपत्ति संख्या 16)

➢ **विषयः– लेखा विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि से रू0 93921/– का अधिक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।**

नगर निगम में किराये के हल्के वाहनों से सम्बन्धित दिनांक 16.05.2020 से 31.05.2020 तक तथा दिनांक 16.01.2021 से 30.01.2021 तक के भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा के दौरान पाया गया मेसर्स ज्योति ट्रेवल्स के पक्ष में स्वीकृत धनांक से अधिक धनांक का भुगतान लेखा विभाग द्वारा किया गया जिससे नगर निगम से रू0 93921/– की आर्थिक क्षति हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखा विभाग द्वारा भुगतान हेतु स्वीकृत धनांक का अवलोकन किये बिना, फर्म द्वारा दिये गये बिल के अनुसार भुगतान किया जाता है, जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। आर्थिक क्षति का विवरण निम्नवत है।

क्रम सं.	किराये की अवधि	भुगतान की गयी धनराशि	स्वीकृत धनराशि	आर्थिक क्षति
1	16.05.2020 से 31.05'2020	1001466	927985	73481
2	16.01.2021 से 31.01.2021	728221	707781	20440
			कुल आर्थिक क्षति रू0	93921

अतः उपरोक्त प्रकारण नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है ताकि हुई आर्थिक क्षति की वसूली के लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नगर निगम कोष में जमा कराया जा सके।

(विशेष आपत्ति संख्या 17)

1.4 माँग पत्र

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक अंतिम शेष की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 58(3) में यह प्राविधानित किया गया है कि प्रतिवर्ष मार्च के अन्तिम कार्यदिवस को वास्तविक अन्तिम शेष अगामी दिन के सायंकाल 5 बजे के पूर्व निश्चित रूप से मुख्य नगर लेखा परीक्षक को सूचित किया जायेगा।

अतः वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक अन्तिम शेष उपलब्ध कराने का कष्ट करें

पत्रांकः–04 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–02.06.2020

मुख्य अभियन्ता

विषयः–कार्य में विलम्ब होने पर समयवृद्धि की स्वीकृति कार्य समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किये जाने के संबंध में।

निर्माण विभाग की भुगतान पत्रावली का परीक्षण करने पर प्रायः पाया जाता है कि कार्यादेश में निर्धारित अवधि तक कोई भी कार्य समाप्त नहीं किया जाता है, वरन विलम्ब से कार्य समाप्त करने के पश्चात् बिना किसी कार्यवाही के कार्य समाप्ति के पश्चात् समयावृद्धि प्रदान कर दी जाती है। विलम्ब का कारण या विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है, निर्धारित न करके समयवृद्धि दिया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। प्रायः देखने में पाया जाता है कि कोटेशन के कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर समाप्त हो जाते है, परन्तु निविदा के माध्यम से कराये कार्य निर्धारित समय के अन्तर्गत समाप्त नहीं होते है। यदि किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय से समाप्त न हो पाये तो कारण स्पष्ट करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर ही समयावृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही किया जाना चाहिए। परन्तु अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही न करके समयावृद्धि प्रदान किये जाने से नगर निगम की आर्थिक क्षति होती है।

अतः उपरोक्तनुसार कार्यादेश में अंकित अवधि के अन्दर कार्य कराये जाने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ताकि नगर निगम को आर्थिक क्षति न हो।

पत्रांकः–06 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–02.06.2020

मुख्य अभियन्ता

विषयः–बिना जमानत धनराशि एवं परफारमेंस गारण्टी के अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के संबध में।

"वित्तीय नियमों एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराये जाने के साथ साथ यदि निविदा ठम्स्ट आती है तो 10 प्रतिशत निम्न तक प्रति एक प्रतिशत पर 0.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न पर प्रति एक प्रतिशत पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त परफार्मेंस गारण्टी के रूप में अतिरिक्त धनराशि के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़कर न जाये और उद्देश्यों की प्राप्ति समय से हो सके।"

जोन–2 वार्ड 96 के अन्तर्गत न्यू अम्बेडकर नगर में एम0एस0 गुडलक इलेक्ट्रानिक्स से प्राथमिक विद्यालय के पास आंतरिक गलियों में इण्टरलाकिंग द्वारा सुधार तथा नाली एवं गली पिट सुधार कार्य से संबंधित भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि उपरोक्त कार्य की निविदा धनराशि रू0 671304/– की स्वीकृति दिनाँक 10.02.2020 को प्राप्त की गयी। जमानत धनराशि एवं परफार्मेंस गारण्टी सहित रू0 174539/–के साथ अनुबन्ध निष्पादित होना था, परन्तु दिनाँक 17.02.2020 को अधिशाषी अभियन्ता जोन–2 के द्वारा बिना जमानत धनराशि के अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जो कि नियमानुसार नहीं था। बिना जमानत धनराशि एवं परफार्मेंस गारण्टी के अनुबन्ध निष्पादित किये जाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि परफार्मेंस गारण्टी ठेकेदार द्वारा कार्य को बीच में छोड़कर न जाने की स्थिति में लिया जाता है। कार्य कराये जाने के पश्चात् परफार्मेंस गारण्टी की कटौती बिल से किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार अनुबन्ध के समय ही अपेक्षित जमानती धनराशि एवं परफार्मेंस गारण्टी न लिया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

पत्रांकः–12/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–23.06.2020

नगर आयुक्त,

विषय– कानपुर नगर निगम के फ्लैटों/भवनों/क्वार्टरों की सूची व उसमें निवास कर रहे कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कानपुर नगर निगम के चिकित्सालयों, विद्यालयों व कालोनियों में स्थित क्वार्टरों में नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी निवास करते हैं। उक्त फ्लैटों/भवनों/क्वार्टरों का आवंटन सम्पत्ति विभाग, चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग व स्वास्थ्य विभागआदि द्वारा किय ा जाता है। भवनों/क्वार्टरों का आंवटन एक ही विभाग द्वारा न किये जाने के कारण यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि किसी कर्मचारी को नगर निगम द्वारा फ्लैट/क्वार्टर/भवन आंवटित किया गया अथवा नहीं। साथ ही कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है क्योंकि विभागों द्वारा भवन आवंटन अथवा इसमें निवास करने के सम्बन्ध में स्पष्ट व स्थलीय आख्या नहीं दी जाती है। आवंटन सम्बन्धी अभिलेख मॉगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

अतः कानपुर नगर निगम के फ्लैटों/भवनों/क्वार्टरों का आवंटन एक ही विभाग से किये जाने व वर्तमान में जो भी क्वार्टर/भवन आदि कर्मचारियों को आवंटित है उनकी सूची तैयार करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने हेतु प्रकरण आपके संज्ञान में लाया जा रहा है, ताकि ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से समय पर भवन किराये भत्ते की कटौती उनके वेतन से की जा सके तथा सेवानिवृत्ति अथवा स्थानान्तरण होने पर समय से सरकारी आवास रिक्त कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

पत्रांकः–56/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–28.10.2020

नगर आयुक्त

विषयः– प्रेस विभाग द्वारा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न कराये जाने तथा प्राप्त आय की सम्परीक्षा न कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रेस विभाग को भेजे गये पत्र संख्या 92/डी/मु.न.ले.प. दि0 03.01.17, 104/डी/मु.न. ले.प. दि0 03.02.17, 91/डी/मु.न.ले.प. दि0 07.01.19 एवं दि0 03.12.2019 को प्रेषित साधारण आपत्ति संख्या 47 एवं पत्र संख्या– 121/डी0/मु0न0ले0प0, दिनांक 24.02.2020 के द्वारा स्टॉक रजिस्टर एवं निर्गत की गयी एम0ए0सी0 2 पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। किन्तु प्रेस विभाग द्वारा अद्यतन तिथि तक न तो सूचना उपलब्ध करायी गयी और न ही इस संबंध में कोई निस्तारण हेतु प्रयास नहींकिया गया।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त निरन्तर लेखा परीक्षक द्वारा प्रेस विभाग में स्वयं उपस्थित होकर स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य पत्रावलियाँ सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने को कहा गया। किन्तु प्रेस विभाग द्वारा पत्रावलियाँ एवं स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करायी गयी।स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध न कराये जाने से जोनवार निर्गत की गयी एम0ए0सी0 2 पुस्तकें, माप पुस्तिका, जन्म–मृत्यु फार्म, भविष्य निधि फण्ड फार्म, पेंषन फार्म, सरल सम्पत्ति कर फार्म आदि का विवरण ज्ञात नहीं हो सका और न उनसे प्राप्त आय की जॉच की जा सकी जिससे प्रतीत होता है कि प्रेस विभाग में स्टॉक रजिस्टर एवं इससे प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाना नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 144 (1) तथा नगर निगम सेवा नियमावली 1960 के नियम 75(2) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही के साथवांछित अभिलेख सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रेस विभाग द्वारा प्राप्त आय की जॉच की जा सके।

पत्रांकः–65/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–09.11.2020

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

विषय–चौदहवें वित्त अनुदान से वाहनों की कयदारी से सम्बन्धित भुगतान पत्रालियों में आयकर कटौती न किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्कशाप विभाग से सम्बन्धित चौदहवें वित्त अनुदान से क्रय की गई वाहनों की भुगतान पत्रावलियों की सम्परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपूर्ति वाहन के भुगतान पत्रावलियों से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। सम्बन्धित पत्रावलियों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं0	आपूर्तिकर्ता का नाम व वाहन	कुल लागत (जी0एस0टी0 रहित)	आयकर	शासकीय क्षति
1	2 नग मिनी बैक्डो लोडर की क्रयदारी मै0 एलॉयन्स इण्डस्ट्रीयल मार्केटिंग कानपुर।	15,46,198 x 02 =30,92,396.00	शून्य	61,848=00
2	5 नग ट्रैक्टर की क्रयदारी मैं0 एस्कार्ट लि0 द्वारा।	4,36,607 x 5 =21,83,035.00	शून्य	43,661=00
3	8 नग वैक्ट्रो लोडर (जे0सी0बी0) की क्रयदारी मै0 एलॉयन्स इण्डस्ट्रीयल मार्केटिंग कानपुर द्वारा।	19,12,042.00 x 8 =1,52,96,336.00	शून्य	3,05,928=00
4	2 नग बड़ी पोकलेन मशीन की क्रयदारी मै0 टाटा हिटैची कन्सट्रशन कम्पनी प्रा0 लि0 द्वारा।	44,87,293.00 x 2 =89,74,586.00	शून्य	1,79,492=00
5	2 नग स्किड स्टीयर लोडर की क्रयदारी मै0 एलॉयन्स इण्डस्ट्रीयल मार्केटिंग कानपुर।	14,40,678.00 x 2 28,81,356.00	शून्य	57,627=00
	कुल शासकीय क्षति		**6,48,556=00**	

अतः उपरोक्त पत्रावलियों का सन्दर्भ ग्रहण करते हुए सम्परीक्षा विभाग को अवगत् कराया जाना अपेक्षित है कि उपरोक्त फर्मो से नियमानुसार 2 प्रतिशत की आयकर कटौती किन नियमों व प्रातिधानों के अर्न्तगत नहीं की गयी है। आयकर कटौती न किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई शासनादेश हो तो सम्परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत् कराया जाना अपेक्षित है। जिससे पत्रावलियों की सम्परीक्षा समय से की जा सके।

पत्रांकः–74/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–21.11.2020

नगर आयुक्त

विषयः–खाली भवन/ कालोनी आवंटित न किये जाने के फलस्वरूप हुई आर्थिक क्षति रू0–79200/ के संबंध में।

श्री बेनी प्रसाद पुत्र मिहीलाल सफाई नायक वार्ड 25 जोन–3 की पु0 पेंषन पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि इन्हें परमपुरवा हरिजन कालोनी का क्वार्टर संख्या–1/6 आवंटित था। जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश संख्या–2761/डी/एस0डब्लू0ए0/एन0एस0ए0, दिनांक 24.01.18 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। आवंटन निरस्त किये जाने के पश्चात आवास की चाबी प्राप्त कर ली गई परन्तु किसी को आवंटित नहीं किया गया। यदि किसी कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया हो तो किराये के रूप में राजस्व की प्राप्ति तो होती ही साथ ही किसी कर्मचारी को नगर निगम की आवासीय सुविधा का लाभ भी मिलता। लेकिन श्री बेनी प्रसाद की पुनः पेंशन पत्रावली में दिनांक 26.12.20 को अंकित नगर स्वास्थ्य अधिकारी की आख्या के अनुसार अब तक यह कालोनी किसी को आवंटित न किये जाने का उल्लेख है। यदि आवास/कालोनी को किसी कर्मचारी को उसी समय आवंटित किया गया होता तो नगर निगम

को अब तक लगभग रू0–79200/ का लाभ प्राप्त हुआ होता। इस प्रकार खाली आवास को आवंटित न किये जाने से यह संदेह उत्पन्न होता है कि आवास में कोई अवैध रूप से निवास कर रहा है। इस प्रकार खाली आवास के आवंटन की कार्यवाही न किया जाना नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल तथा आपित्तजनक है।

अतः उपरोक्त आवास तीन वर्ष तक खाली रहने के संबंध में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवास के आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

पत्रांकः–93/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–05.01.2021

मुख्य अभियन्ता

विषयः–मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18.9.2020 के प्रस्ताव संख्या 225 के अनुपालन के संबंध में।

कृपया मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18.9.2020 के प्रस्ताव संख्या 225 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त प्रस्ताव द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–5 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–399/नौ–5–2016, दिनांक 24 फरवरी 2016 के अनुपालन में नगर विकास विभाग के अन्तर्गत विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्यों में निर्धारित प्रारूप पर शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि सम्परीक्षा हेतु अभियन्त्रण विभाग से संबंधित जो पत्रावलियॉ लेखा विभाग द्वारा प्राप्त होती हैं, उनमें से जो पत्रावलियॉ 5 लाख से ऊपर की लागत की होती हैं उनमें शिलालेख/पट्टिका के मद में रू0 3000 की धनराशि आगणन व भुगतान में सम्मिलित होती है परन्तु कार्य से संबंधित जो फोटोग्राफ पत्रावलियों में संलग्न होती है उनमें शिलालेख/पट्टिका प्रदर्शित नहीं होती हैं।

अतः उल्लिखित शासनदेश दिनांक 24 फरवरी 2016 व मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2020 के स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 225 के अनुपालन में रू0 5 लाख की लागत से ऊपर के कार्यो से संबंधित पत्रावलियों में शिलालेख/पट्टिका की फोटोग्राफसंलग्न किया जाना अपेक्षित है। जिससे शासन व मा0 कार्यकारिणी समिति के निर्णय का अनुपालन व उक्त मद में किये गये भुगतान की पुष्टि हो सके।

पत्रांकः–103/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–03.02.2021

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

विषयः–नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 89 के अन्तर्गत मासिक लेखा विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश लेखा नियमावली के नियम 89 के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था है–

89(1) प्रत्येक मास के अन्त में एक विवरण पत्र लेखाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा और नगर आयुक्त द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। उसमें नगर निगम की प्रगामी आय तथा व्यय दिखाये जायेंगे।

(2) यह विवरण प्रपत्र "ए" में निम्नलिखित परिष्कारो के साथ तैयार किया जायेगा
(क) स्तम्भ 3 में चालू वित्तीय वर्ष के बजट के तखमीने दिये होगें।
(ख) स्तम्भ 4 में उस मास के आय तथा व्यय के वास्तविक आकड़े दिये होगें।
(ग) स्तम्भ 5 में उस मास के जिसके लिए विवरण पत्र तैयार किया जाय, आय तथा व्यय के वास्तविक आकड़े दिये होंगे।
(घ) स्तम्भ 6 में स्तम्भ 4 तथा 5 के योग दिये होंगे।
(ड) स्तम्भ 7 बढाया जायेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तद्नुरूप अवधि की आय तथा व्यय के वास्तविक आकड़े दिये होंग।

अतः उपरोक्त नियम के अन्तर्गत मासिक लेखा उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्राप्त आय तथा किये गये व्यय की सम्परीक्षा की जा सके।

पत्रांकः–104 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–03.02.2021

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

विषयः–निविदा अवैध होने के फलस्वरूप अनियमित तरीके से कार्य कराये जाने तथा जी0एस0टी0 मद में किये गये अधिक भुगतान के फलस्वरूप हुयी आर्थिक क्षति के संबंध में।

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत प्लांट के बेहतर संचालन हेतु उच्च क्षमता के केबिल डालने के कार्य से संबंधित पत्रावली संख्या– 75 / ए.ए. / प्रोजेक्ट / 20–21 व 76 / ए.ए. / प्रोजेक्ट / 20–21 के परीक्षण में पाया गया कि जी0एस0टी0 के मद में स्वीकृत धनराशि से अधिक का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है–

पत्रावली संख्या	बाउचर संख्या	स्वीकृत धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि	आर्थिक क्षति
75 / ए.ए. / प्रोजेक्ट / 20–21	396 / जन0 21	43820	64399	20579
76 / ए.ए. / प्रोजेक्ट / 20–21	397 / जन0 21	45030	66896	21866
			कुल आर्थिक क्षति	42445

इस प्रकार स्वीकृत धनराशि से रू0 42445 का अधिक भुगतान किया गया जिससे नगर निगम को अर्थिक क्षति हुयी। नियमानुसार स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार किया गया अधिक भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक है तथा नगर निगम के आर्थिक हितो के प्रतिकूल है। अतः संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उक्त धनराशि नियमानुसार वसूल कर नगर निगम कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त निविदा में निर्धारित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार द्वारा निविदा में प्रतिभाग नहीं किया गया जिससे निविदा अवैध होने के वाबजूद भी कार्य कराया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इस प्रकार कार्य कराने वाले के प्रति नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। कृपया कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

पत्रांकः–106 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–10.02.2021

प्रभारी अधिकारी (प्रोजेक्ट)

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट के संचालन हेतु 4ए सेक्शन के मरम्मत कार्य के सापेक्ष आकलित उपकरणों की आपूर्ति हेतु दिनाँक 11.02.20 को आमंत्रित निविदा की मूल पत्रावली सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उपलब्ध करायी गयी पत्रावली की सम्परीक्षा की जा सके।

पत्रांकः–07 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–03.06.2020

नगर आयुक्त

शहरी आजीविका मिशन द्वारा विभिन्न विभागों यथा कैटिल कैंचिंग, प्रोजेक्ट सेल (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट) में विभिन्न कर्मियों की आपूर्ति की जा रही है। शहरी आजीविका मिशन द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में 5 से 10 प्रतिशत तक लिया जा रहा है जबकि नगर निगम में ही अन्य सेवा प्रदाता ऐजेन्सी को 2 प्रतिशत सर्विस चार्ज का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार नगर निगम द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शहरी आजीविका मिशन को लाभ पहुँचाया जा रहा है। जिससे नगर निगम को प्रतिमाह आर्थिक क्षति हो रही है। अन्य नगर निगमों में शहरी अजीविका मिशन के अन्तर्गत आपूर्तित कर्मियों पर 2 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज का भुगतान किया जा रहा है।

अतः शहरी आजीविका मिशन को अन्य सर्विस प्रोवाइडर की भाँति 2 प्रतिशत सर्विस चार्ज का भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, ताकि नगर निगम को आर्थिक क्षति न हो।

पत्रांकः–08 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–03.06.2020

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

भण्डार विभाग के द्वारा आपूर्तित सामग्री के भुगतान पत्रावली के सम्परीक्षा के दौरान पाया जा रहा है कि कार्य की आवश्यकता दर्शाते हुये आपूर्ति प्राप्त कर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है, जो उचित नहीं है। बिना स्वीकृति प्राप्त किये आपूर्ति प्राप्त किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। प्रायः पाया जा रहा है कि ऐसे सामग्री की आपूर्ति कोटेशन के माध्यम से ली जा रही है, जो जेम पोर्टल पर कम दरों पर उपलब्ध हैं। सामग्री की क्रयदारी जेम पोर्टल से न करके कोटेशन के माध्यम से अथवा बाजार से किया जाना शासनादेश संख्या 11 / 2017 / 523 / 18–02–2017–97(ल0उ0) / 2016 दिनाँक 23.08.2017 का उल्लंघन है।

अतः भण्डार विभाग में जो भी सामग्री की आपूर्ति की जानी हो, वह सभी जेम पोर्टल से ली जायें। जो सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध न हो उसके लिये ई–निविदा आमंत्रित कर दरें प्राप्त की जायें तत्पश्चात, उसी दर पर वर्षभर आपूर्ति प्राप्त की जाय, ताकि नियमों की अवहेलना न हो और नगर निगम को आर्थिक क्षति भी न हो।

पत्रांकः–09 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–04.06.2020

प्रभारी अधिकारी (कार्मिक)

मृतक आश्रित नियमावली 1974 के अन्तर्गत नियुक्ति से संबंधित पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि चपरासी एवं स्विचमैन की नियुक्ति बिना निर्धारित योग्यता पूर्ण की गयी है। वर्तमान समय में मार्ग प्रकाश विभाग में लाइट जलाने व बुझाने का का कार्य ई0ई0 एस0एल0 के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे स्विचमैन के पदों पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।चपरासी एवं स्विचमैन के लिए निर्धारित योग्यता का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम	पदनाम	निर्धारित योग्यता
1	चपरासी	कम से कम कक्षा 05 उत्तीर्ण व साइकिल चलाने का ज्ञान।
2	स्विचमैन (स्विचबोर्ड अटेंडेंट)	सम्बन्धित ट्रेड में आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र।

अतः उपरोक्तानुसार निर्धारित योग्यता पूर्ण किये जाने पर ही मृतक आश्रित नियमावली 1974 के अन्तर्गत उपरोक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

पत्रांकः–10 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–04.06.2020

वर्कशाप विभाग से सम्बद्ध वाहनों के मरम्मत से संबंधित भुगतान पत्रावलियों के संपरीक्षण में पाया गया कि संबंधित वाहनों (सूची संलग्न कुल 02 पृष्ठ) की भुगतान पत्रावली में वाहन संख्या, भुगतान की धनराशि एवं कार्यादेश तिथि का उल्लेख है। परन्तु संबंधित वाहनों के भुगतान पत्रावलियों की सम्परीक्षा के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संबंधित वाहन किस दिनाँक को मरम्मत हेतु वर्कशाप में आया एवं कितने दिनों बाद संबंधित वाहन मरम्मत के पश्चात् प्राप्त हुआ।

अतः मरम्मत हुए वाहनों के संबंध में संलग्न सूची के अनुसार विवरण उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि ताकि मरम्मत पर हुए व्यय की सम्परीक्षा की जा सके।

SL NO.	vehical number	payment amount	work order date	खराब होने पर मरम्मत हेतु वर्कशाप में खड़े होने का दिनाँक	वाहन की मरम्मत का कार्य पूर्ण होने का दिनाँक
1	**UP78BG0263**	52042	NO WORK ORDER		
2	**UP78BG0263**	79960	NO WORK ORDER		
3	UP78DT7582 UP78DT7580 UP78DT7565 UP78DT7595 UP78DT7584 UP78DT7591 UP78DT7594	38697	NO WORK ORDER		

4	UP78DT7580 UP78DT7572 UP78DT7571 UP78DT7571 UP78DT7585 UP78DT7589 UP78DT7564 UP78DT7574 UP78DT 7564 UP78BG0263 UP78DT7589	73988	NO WORK ORDER		
5	UP78T5243	4701	NO WORK ORDER		
6	UP78T5243 UP78BG0756 UP77G0360	79178	25-05-2019		
7	UP77AN0405 UP77AN0406 UP77G0179	58728	25-07-2019		
8	UP77N7434	92394	25-05-2019		
9	UP77G0180 UP78BG8074 UP77T6619 UP78AN 7218	64310	03-08-2019		
10	UP77T6607	77234	NO WORK ORDER		
11	UP77T6708	32703	21-12-2019		
12	UP77T6711	56430	21-12-2019		
13	UP77T6712	14228	03-11-2019		
14	UP77T6705	149938	03-12-2019		
15	UP77T6712	79651	NO WORK ORDER		
16	TMX MACHINE 20	43018	21-08-2019		
17	UP77AN0435	94247	11-06-2019		
18	UP77AN0436	92973	14-05-2019		
19	UP77AN0437	82473	14-05-2019		
20	UP77AN0438	22179	NO WORK ORDER		
21	UP77AN0438	94247	14-05-2019		
22	UP78DT7591	5826	13-11-2019		
23	UP77AN0398	71390	14-06-2019		
24	3564	27025	21-12-2019		
25	UP77T9952	118332	27-11-2019		
26	UP77T6605 UP77T6609 UP77T6610 UP77T9959	12740	NO WORK ORDER		
27	UP78BG8069	55922	04-10-2019		
28	UP78BG8070	110096	04-10-2019		
29	LOADER 3564	157217	04-10-2019		

30	UP77AN0413	15563	NO WORK ORDER		
31	UP77AN0349	17851	NO WORK ORDER		
32	UP78FT0447	113952	10-12-2019		
33	UP78BG0334	34069	23-01-2020		
34	UP77T6537	4774	NO WORK ORDER		
35	UP78T9952 UP77T6621 UP78BG8064 UP78BG8065 UP77AN0348 UP77AN0354 UP77T6654	41622	13-09-2019		
36	UP77G0361	20132	03-11-2019		
37	UP77AN1482	71320	24-08-2019		
38	UP77AN0414	33570	POST FACTO APPROVAL		
39	UP77AN0653 UP78BG8068	36014	12-06-2019		
40	UP77AN0430	27426	POST FACTO APPROVAL		
41	UP77AN0394	36833	POST FACTO APPROVAL		
42	UP78BG8056	38230	01-05-2019		
43	UP78T6603 UP77T9953	15340	16-08-2019		
44	UP77AN0412	18038	31-07-2018		
45	UP77AN0394	26525	POST FACTO APPROVAL		
46	LOADER 3564	26525	11-06-2019		
47	TATA ACE 8704 TATA ACE 6619	6383	27-09-2017		
48	UP78T5284 UP77T6538	15790	22-09-2017		
49	UP78FN2257	18680	14-05-2019		
50	UP77AN0656	24190	24-08-2019		
51	UP77AN0655	68416	03-08-2019		
52	UP77AN0654	41918	06-09-2019		
53	UP77G0284	86048	02-09-2019		
54	JCBCNN 1849759	41890	06-08-2019		
55	UP77AN1483	94108	06-09-2019		
56	UP77T7453	65344	06-09-2019		
57	UP77T6534	85998	13-09-2019		

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

नगर निगम में अधिकारियों को किराये के हल्के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु मे0 ज्योति ट्रैवेल्स को पत्राँक डी/24ए/प्र0अ0(वर्कशाप)/19–20 दिनाँक 18 जुलाई 2019 जारी किया गया है, जिसमें दरें 31 मार्च 2020 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो पहले हो, तक मान्य थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त हो चुका है। अप्रैल 2020 से आपूर्तित किराये के वाहनों के भुगतान पत्रावली में नगर आयुक्त का स्वीकृति आदेश तथा अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं है, जिससे सम्परीक्षा सम्पन्न नहीं हो पा रही है।

अतः दिनाँक 01.04.2020 से किराये के वाहन आपूर्ति किये जाने का स्वीकृति आदेश मय अनुबन्ध पत्र सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

पत्रांकः–23/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–24.08.2020

प्रभारी अधिकारी (प्रोजेक्ट)

कृपया अधोहस्ताक्षरी के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 07/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 03.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट के संचालन हेतु मरम्मत कार्य के सापेक्ष आकलित उपकरणों की आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदा से संबंधित पत्रावली उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु वाँछित पत्रावली के साथ अन्य आपूर्ति संबंधी आमंत्रित निविदा पत्रावलीअद्यतन तिथि तक अप्राप्त है जिससे संबंधित पत्रावलियों का सम्परीक्षण कार्य लम्बित है।

अतः आपूर्ति से संबंधित समस्तनिविदा पत्रावलियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्तुत आपूर्तित पत्रवलियों की सम्परीक्षा सम्पन्न की जा सके।

पत्रांकः–24/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–24.08.2020

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

नगर निगम के सरकारी आवासों की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक आवासों की सूची उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवासों की सूची उपलब्ध न होने की स्थिति में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में कठिनाई आ रही है। प्रायः देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा, आवास होने पर भी, आवास आवंटित न होने का अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जा रहा है, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति सम्भावित है।

पत्रावली में संलग्न अदेयता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जोनल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कर दिया जाता है, जबकि आवास आवंटन की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्तर से की जाती है। नियमानुसार जहाँ से आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है, वहीं से ही आवास के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए, जिससे आवास आवंटन के संबंध में कोई संशय न हो।

अतः नगर निगम के सरकारी आवासों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पेंशन पत्रावलियों का निस्तारण ससमय किया जा सके।

पत्रांकः–25/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–24.08.2020

मुख्य अभियन्ता

कृपया संज्ञान लेना चाहें कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के व्यय से संबंधित दिशा निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि 14वाँ वित्त आयोग मूल भूत सेवाओं के घटक में परिसम्पत्तियों का सृजन अथवा उनके रखरखाव में कोई भेदभाव नहीं करता है। फिर भी परिसम्पत्तियों के नये निर्माण एवं उनके रखरखाव के संबंध में तकनीकी एवं प्रशासनिक समर्थन पर व्यय निकाय को कुल उपलब्ध धनराशि के 10 प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा और यह व्यय निकाय द्वारा स्वयं अपने स्तर से किये जायेंगे।

उक्त के संबंध में निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैः–

1. प्रत्येक वर्ष 14वाँ वित्त आयोग से प्राप्त कुल अनुदान।
2. प्राप्त अनुदान से सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा उनके रख रखाव पर व्यय धनराशि का विवरण।

पत्रांकः–31 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–08.10.2020

नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चिकित्सा)

श्री राम शंकर शुक्ला, स्विचमैन की व्यक्तिगत पत्रावली की सम्परीक्षा में पाया गया कि चिकित्सा विभाग के पत्रांक– 213 / एम0डी0 / एम0सी0 / 07, दिनांक– 16.06.2007 द्वारा श्री शुक्ला को नवाबगंज मैटननिटी सेन्टर परिसर में निर्मित कर्मचारी आवास आवंटित किया गया था। इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2019 को भवन रिक्त कर दिया था व उक्त की सूचना चिकित्सा विभाग, नगर आयुक्त, सम्पत्ति विभाग व मार्गप्रकाश विभाग को दे दी थी। अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त आवास वर्तमान में किसको आवंटित है व कब से है। यदि आवंटित है तो आवंटन पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराया जाना आपेक्षित है।

पत्रांकः–55 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–28.10.2020

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

वर्कशाप विभाग के कय व मरम्मत से सम्बधित भुगतान पत्रावलियों के सम्परीक्षा के दौरान प्रायः यह पाया जा रहा है कि भुगतान पत्रावलियों से आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती नहीं की जा रही है उदाहरण स्वरूप कमांक 01 पर अंकित आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतान पत्रावलियों से आयकर व जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है जबकि अन्य पत्रावलियों में जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी है। कटौती न किये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो सका, सम्बन्धित पत्रावलियों का विवरण निम्नलिखित है।

कम संख्या	आपूर्ति संख्या / फाइल संख्या	कुल लागत	आयकर	जी0एस0टी0	कुल शासकीय क्षति
1	स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत म्यूनिशिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अर्न्तगत 5 नग कैटिल कैचिंग द्वारा मैसर्स इन्सोल मल्टी क्लीन इफ्यूपमेंट प्रा0 लि0 से वाहनों की कयदारी।	58,89,830=00	1,17,800=00	1,17,800=00	शून्य
2	ए0बी0 इन्टरप्राइजेज द्वारा JCB 3DX UP78 8050 का मरम्मत कार्य	2,95,881=00	2,959=00	5,918=00	8,877=00
3	फाइल संख्या– 438 / सी0सी0 / एफ0 / 19–20 पोकलैण्ड 1637 का ट्रैक चैन बदलने का कार्य मैसर्स सागर इण्टरप्राइजेज।	8,25,000=00	8,250=00	16,500=00	24,750=00
4	फाइल संख्या–157 / सी0सी0 (एफ), 2019–20, मैसर्स हाइड्रोमैक इण्डस्ट्रीज, मेरठ नौजनुका ट्रैक्टर ट्राली कय करने के सम्बन्ध में।	8,32,373=00	8,234=00	16,648=00	24,882=00
	कुल योग			**58,509=00**	

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि आयकर तथा जी0एस0टी0 की कटौती न किये जाने से रू0–58,509=00 की क्षति हुई है।

अतः उपरोक्त पत्रावलियों का सन्दर्भ ग्रहण करते हुए सम्परीक्षा विभाग को अवगत कराया जाना अपेक्षित है कि उपरोक्त फर्मो से नियमानुसार आयकर व जी0एस0टी0 कटौती किन नियमों व प्राविधानों के अर्न्तगत नहीं की गयी है। उपरोक्त के सम्बन्ध में यदि कोई शासनादेश हो तो सम्परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिससे पत्रावलियों की सम्परीक्षा की जा सके।

पत्रांकः–61 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–06.11.2020

<u>प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)</u>

इस विभाग द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–126 / डी0 / मु0न0ले0प0, दिनांक–18.03.2020 व 15 / डी0 / मु0न0ले0प0, दिनांक– 04.07.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो वाहन मरम्मत हेतु प्राप्त एवं मरम्मत के पश्चात् निर्गत तिथि से सम्बन्धित था। उक्त विवरण से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है जिससे प्राप्त वाहन मरम्मत पत्रावली की सम्परीक्षा नहीं हो पा रही है।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में वांछित सूचना मय वाहन हिस्ट्री रजिस्टर सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सम्परीक्षा कर पत्रावली ससमय प्रेषित की जा सके।

पत्रांकः–68 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–10.11.2020

<u>उद्यान अधिकारी / उद्यान अधीक्षक</u>

उद्यान विभाग के विभिन्न सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली सम्परीक्षा हेतु प्राप्त हुई है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 के स्टॉक रजिस्टर

आवश्यकता है अतः उक्त वर्षो का स्टॉक रजिस्टर सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रस्तुत पत्रावलियों की सम्परीक्षा ससमय सम्पन्न हो सके।

पत्रांकः–75 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–21.11.2020

<u>प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)</u>

नगर निगम के विभिन्न वाहनों में टायर–ट्यूब की आपूर्ति से संबंधित भुगतान पत्रावली परीक्षण में पाया गया कि नगर निगम द्वारा प्रोफार्मा इनवाइस के माध्यम से मेसर्स एम0आर0एफ0 को भुगतान किया गया है। पत्रावली में सामग्री की आपूर्ति कब की गयी, उसका स्टाक प्रविष्टि तथा पुराने टायर–ट्यूब स्टोर में जमा करने का साक्ष्य आदि अंकित न होने के कारण सम्परीक्षा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रोफार्मा इनवाइस के माध्यम से टायर–ट्यूब की आपूर्ति किस नियम / शासनादेश के अन्तर्गत एक ही फर्म मेसर्स एम0आर0एफ0 से निरन्तर की जा रही है, नियम / शासनादेश की प्रति के साथ टायर–ट्यूब प्राप्ति तिथि एवं स्टाक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि पत्रावली की सम्परीक्षा कर प्रेषित की जा सकें।

पत्रांकः–77 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–28.11.2020

<u>प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)</u>

नगर निगम के विभिन्न वाहनों में टायरो की आपूर्ति से संबंधित भुगतान पत्रावली परीक्षण में पाया गया कि किसी वाहन को 05 वर्ष बाद टायर की आपूर्ति की जा रही है तो किसी वाहन में एक वर्ष बाद ही टायर बदल दिये जा रहे हैं। जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वाहनों को कितने समय बाद टायर दिये जाने का प्राविधान है तथा आपूर्ति टायर की गारंटी / वारंटी कितनी है। इस प्रकार पत्रावली में टायर बदलने की समय सीमा तथा उसकी गारंटी / वारंटी का उल्लेख / अनुबंध संलग्न न होने के कारण पत्रावली की सम्परीक्षा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त के संबंध में टायर की आपूर्ति अनुबंध की प्रति सहित अवगत कराने का कष्ट करें ताकि पत्रावली की सम्परीक्षा सम्पन्न की जा सके।

पत्रांकः–78 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–03.12.2020

<u>प्रभारी अधिकारी (प्रेस)</u>

वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 अद्यतन तिथि तक जारी की गयी लॉगबुकों की सूची मय विभागवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पत्रांकः–79 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–07.12.2020

<u>प्रभारी अधिकारी (मार्ग प्रकाश)</u>

मार्ग प्रकाश से सम्बद्ध समस्त वाहनों का लागबुक माह अगस्त 2019 से नवम्बर 2020 तक का उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि डीजल आपूर्ति से सम्बन्धित बिलों की सम्परीक्षा की जा सकें।

पत्रांकः–80 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–07.12.2020

प्रभारी अधिकारी (कैटिल कैचिंग)

कैटिल कैचिंग विभाग से सम्बद्ध वाहनों का लागबुक माह अगस्त 2019 से नवम्बर 2020 तक का उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे डीजल आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा सम्पन्न हो सकें।

पत्रांकः–81 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–07.12.2020

मुख्य अभियन्ता

निर्माण विभाग से सम्बद्ध समस्त वाहनों का लागबुक माह अगस्त 2019 से नवम्बर 2020 तक का उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि प्रस्तुत भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा सम्पन्नकी जा सके।

पत्रांकः–82 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–07.12.2020

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा पूरन पुत्र बाबूराम निवासी 385 रविदास पुरम गुजैनी, कानपुर उत्तर प्रदेश का मृत्यु प्रमाणपत्र पंजीकरण संख्या D–2020.9.374–012722 दिनांक 10 सितम्बर 2020 को जारी किया गया है जिसमें पूरन कि मृत्यु तिथि 13 जुलाई 2018 अंकित कि गयी है। जबकि संपरीक्षा विभाग को प्राप्त स्व0 सुशीला पत्नी पूरन सफाई कर्मचारी वार्ड–110 की पारिवारिक पेंशन पत्रावली में संलग्न पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र संख्या 2508 / अह. फौज / 2019 जारी दिनांक 06 मई 2019 में पूरन को जीवित दर्शाते हुए पारिवारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पूरन दिनांक 06 मई 2019 तक जीवित थे। इस प्रकार दिनांक 13 जुलाई 2018 को ही पूरन की मृत्यु दर्शाकर प्रमाणपत्र जारी किये जाने से संदेह उत्पन्न होता है।

अतः उपरोक्त मृत्यु प्रमाणपत्र से संबंधित समस्त अभिलेख संपरीक्षा विभाग में उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि पेंशन पत्रावली का निस्तारण किया जा सके।

पत्रांकः–83 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–09.12.2020

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के वाहनों को डीजल आपूर्ति से संबंधित भुगतान पत्रावली सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि रविश जोन–3 एवं 5 तथा स्वास्थ्य विभाग के समस्त जोनों से सम्बद्ध वाहनों का लॉग बुक प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है जिससे प्रस्तुत भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा सम्पन्न नहीं हो पा रही है।

अतः स्वास्थ्य विभाग के समस्त जोनो से सम्बद्ध वाहनों तथा रविश जोन–3 एवं 5 के वाहनों का लॉग बुक माह अगस्त 2019 से नवम्बर 2020 तक का अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि सम्परीक्षा कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकें।

पत्रांकः–84 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–10.12.2020

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

जन्म–मृत्यु के पंजियन हेतु आवेदन पत्रों की जमा रसीदों पर जो प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक वर्ष से अधिक विलम्बित प्रकरण में जिलाधिकारी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त की जा रही है अथवा नहीं। अतः जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के पूर्व समस्त अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

पत्रांकः–85/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–11.12.2020

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

वाहनों के मरम्मत से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली सम्परीक्षा के दौरान पाया जा रहा है कि ठेकेदार के बिलो से जी0एस0टी0 तथा आयकर की कटौती न तो प्रस्तावित की जा रही है और न ही लेखा विभाग द्वारा की जा रही है जबकि नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर तथा जी0एस0टी0 कटौती का प्राविधान है। आयकर तथा जी0एस0टी0 की कटौती किन नियमों/आदेशों के तहत नही की जा रही है। नियम/आदेशों की प्रति के साथ वर्कशाप विभाग में कार्य कर रहें ठेकेदारो द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 में अद्यतन तिथि तक जमा की गयी जी0एस0टी0 का चालान उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों की सम्परीक्षा सम्पन्न की जा सकें।

पत्रांकः–88/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–15.12.2020

प्रभारी अधिकारी (प्रेस)

श्री कृष्ण शंकर मिश्रा प्रूफ रीडर (सेवानिवृत्त) की पुनरीक्षित पेंशन पत्रावली परीक्षण में पाया गया कि श्री मिश्र द्वारा दिनांक 31.07.19 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 31.07.19 को समस्त चार्ज हस्तगत किया गया, परन्तु दिनांक 31.07.19 तक के किसी भी अभिलेख की सम्परीक्षा नहीं करायी गयी है। अभिलेखों की सम्परीक्षा कराये जाने हेतु अनेकों पत्र प्रेषित किये जा चके है। अतः दिनांक 31.07.19 तक के सभी स्टाक रजिस्टर तथा माप पुस्तिका, फण्ड फार्म, जन्म–मृत्यु फार्म पेंशन फार्म से प्राप्त आय की सम्परीक्षा हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्तुत पुनरीक्षित पेंशन पत्रावली का निस्तारण किया जा सके।

पत्रांकः–90/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–23.12.2020

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

कृपया स्वकीय पत्रांक–डी/235/प्र0अ0(वर्क0)/एफ0/20–21, दिनांक 10.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो किराये के हल्के वाहनों की स्वीकृत दूरी से संबंधित है। स्वीकृत दूरी से अधिक दूरी चलने पर अनुबन्ध के शर्तानुसार नगर आयुक्त से स्वीकृति तथा अधिक दूरी चलने पर लॉगबुक में विवरण अंकित किया जाना चाहिए। स्वीकृत दूरी की सूची के संबंध में निम्न संषोधन किया जाना अपेक्षित है–

1. कमांक 17 पर अंकित जोनल अधिकारी जोन–4/सहायक नगर आयुक्त को इण्डिगो वाहन 3000 किमी0 की स्वीकृत दूरी के साथ आवंटित है जबकि उपरोक्त अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 1500 किमी0 से भी कम यात्रा की जाती है परन्तु किराये का भुगतान 3000

किमी0 की दर से किया जा रहा हैजिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है इसलिए उपरोक्त वाहन के किराये का भुगतान 1500 किमी0 की दर से किया जाय, भले ही स्वीकृति 3000 किमी0 की है।

2. कमांक 28 पर अंकित प्रवर्तन टीम को इनोवा वाहन 3000 किमी0 की स्वीकृत दूरी के साथ आवंटित है जबकि नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रवर्तन टीम को भी इनोवा के स्थान पर बोलेरो वाहन नगर आयुक्त के आदेश से संशोधित किया गया है।
3. प्रवर्तन टीम द्वारा प्रतिमाह 1500 किमी0 से भी कम यात्रा की जाती है परन्तु भुगतान स्वीकत दूरी 3000 किमी0 की दर से किया जा रहा है। जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है इसलिए उपरोक्त वाहन के किराये का भुगतान 1500 किमी0 की दर से किया जाना चाहिए, भले ही स्वीकृति 3000 किमी0 की ही हो।
4. कमांक–33 पर अंकित जेड0एस0ओ0–2 को इण्डिका वाहन 2000 किमी0 की स्वीकृत दूरी के साथ आवंटित है जबकि 2000 किमी0 इण्डिका वाहन का किराया निर्धारित नहीं है।

उपरोक्त संषोधन के अतिरिक्त किराये के हल्के वाहनों से संबंधित अधिकारियों द्वारा 1500 किमी0 तक की यात्रा की जाती है तो 1500 किमी0 की दर से किराये का भुगतान किया जाय यदि 1500 किमी0 से अधिक दूरी की यात्रा की गयी हो तो अधिक दूरी हेतु निर्धारित प्रति किमी0 की दर अथवा 3000 किमी0 हेतु निर्धारित किराये की दर जो कम हो भुगतान किया जाना उचित होगा।

पत्रांकः–94/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–07.01.2021

1. मुख्य अभियन्ता
2. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
3. प्रभारी अधिकारी, (मार्ग प्रकाश)
4. प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन/अतिक्रमण
5. प्रभारी अधिकारी, वर्कशाप/कैटिल कैचिंग
6. प्रभारी अधिकारी(उद्यान)

कृपया नगर आयुक्त के आदेश सख्या–861/20–21/क, दिनांक–19.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो नगर निगम के वाहनों में ईधन के आवंटन के संबंध में है। उक्त आदेश में ईधन की मात्रा को कार्य की आवश्यकतानुसार जारी करते हुए विभागाध्यक्षो/विभागाधिकारियों द्वारा कार्य कराये जाने का उल्लेख है परन्तु डीजल व्यय से संबंधित बिल की सम्परीक्षा के दौरान अधिकॉशतः पाया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व पारित आदेशों में अंकित ईधन की अधिकतम मात्रा में ही ईधन निर्गत किया जा रहा है इस प्रकार अधिकतम मात्रा में ईधन निर्गत किया जाना सरकारी धन का अपव्यय तथा जारी आदेश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के संबंध में नगर निगम के सभी वाहनों के लॉगबुक सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक–10.12.2020 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है परन्तु आज तक कोई भी लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की जा सकी है जिससे प्रस्तुत डीजल व्यय के प्रमाणकों/पत्रावली की सम्परीक्षा सम्पन्न नहीं हो पा रही है।

अतः अपने–अपने विभाग से संबंधित वाहनों का लॉगबुक सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि डीजल व्यय से संबंधित पत्रावली की सम्परीक्षा की जा सकें।

पत्रांकः–95 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–07.01.2021

प्रभारी अधिकारी,(केयर टेकर)

केयर टेकर विभागके विभिन्न सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतान पत्रावली सम्परीक्षा हेतु प्राप्त हुई है जिसके लिएवित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 के स्टॉक रजिस्टर आवश्यकता है अतः उक्त वर्षो का स्टाक रजिस्टर सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रस्तुत पत्रावलियों की सम्परीक्षा ससमय सम्पन्न हो सके।

पत्रांकः–98 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–30.01.2021

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी

नगर निगम में किराये के हल्के वाहनो की आपूर्ति से सम्बन्धित माह अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक के भुगतान पत्रावली सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि जोनल स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित दूरी से अधिक दूरी की यात्रा प्रतिमाह की गयी है जिसकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं की गयी है। जबकि अनुबन्ध के शर्तानुसार निर्धारितदूरी से अधिक दूरी चलने पर यात्रा विवरण के साथ नगर आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी, इस प्रकार बिना स्वीकृति के अधिक दूरी चलने पर नगर निगम को आर्थिक क्षति हुई, जिसका विवरण निम्नवत है।

कमांक	सम्बन्ध वाहन	निर्धारित दूरी प्रति माह	चली गयी अधिक दूरी (अक्टूबर 19 से मार्च 20 तक)	किया गया भुगतान
1	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी–1	1500	2281	22,382 / –
2	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी–2	1500	6569	67,685 / –
3	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी–3	1500	1429	14,722 / –
4	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी–5	1500	2941	30,300 / –
	कुल आर्थिक क्षति			1,35,089 / –

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में नगर निगम को हुई आर्थिक क्षति रू0 1,35,089 / – की सभी सम्बन्धित से वसूली कर नगर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है ताकि आर्थिक क्षति न हो।

पत्रांकः–99 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–30.01.2021

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

पत्रावली संख्या–17 / एस.टी. / 2019–20, 60 / एस.टी. / 2018–19, 25 / एस.टी. / 2019–20, 29 / एस.टी. / 2019–20, 70 / एस.टी. / 2019–20, 37 / एस.टी. / 2018–19 में

फर्नीचर, पॉली कारबोनेट लाठी, स्टेशनरी, कम्प्यूटर एसेसरीज क्रय से संबंधित हैं। भण्डार विभाग द्वारा क्रय की गयी विभिन्न सामग्री से संबंधित पत्रावलियों की सम्परीक्षा में निम्नलिखित कमियॉ प्रकाश में निरन्तर आ रहीं है–

1. स्टाक बुक में सामग्री की प्रविष्टि है अथवा नहीं, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
2. समग्री की आपूर्ति कब प्राप्त की गयी पत्रावली में उल्लेख नहीं है।
3. प्राप्त दरो का सत्यापन किस आधार पर किया गया स्पष्ट नहीं है।
4. पत्रावली में अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं रहता है।
5. पत्रावली में विभागो का मॉग पत्र संलग्न नही रहता है।
6. क्रय की गयी सामग्री में कंपनी/माडल अंकित नहीं रहता है।
7. जी0एस0टी0 भुगतान हेतु एच0एस0एन0 कोड अंकित नहीं रहता हैं जिससे अधिक भुगतान की सम्भावना बनी रहती है।
8. कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाने का शासनादेश/नियम संलग्न कराया जाये

उपरोक्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पत्रावलियों को सम्परीक्षा हेतु पुनः भेजा जाना आपेक्षित है।

पत्रांकः–109/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–18.02.2021

<u>नगर स्वास्थ्य अधिकारी</u>

जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र से प्राप्त आय तथा उनसे संबंधित अभिलेख के साथ आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण पंजिका यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 09.11.20 एवं पुनः लेखा परीक्षक द्वारा पत्र दिनांक 29.11.20 लिखा गया था परन्तु जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित रसीद बुक तथा उससे संबंधित प्रपत्र नियमित रूप से सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जो रसीदें उपलब्ध करायी जाती है उनमें तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं रहता है तथा एक ही रसीद पर अनेको नाम अंकित करके धनराशि जमा की जाती है जिससे स्पष्ट होता है कि जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जमा धनराशि का कोई भी प्रपत्र सूचनादाता को नहीं दिया जाता है। इस प्रकार बिना तिथि एवं हस्ताक्षर के रसीद बुक प्रस्तुत किया जाना तथा प्रत्येक सूचनादाता को उनके द्वारा जमा किये गये शुल्क की रसीद न दिया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है, साथ ही नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 8 एवं 75(2) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त प्रकरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रतिदिन रसीद बुकें मय जमा प्राप्ति सम्परीक्षा विभाग में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ताकि नियमानुसार प्रपत्रो की सम्परीक्षा किया जा सके।

पत्रांकः–110/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–10.02.2021

मुख्य अभियन्ता

कृपया पत्रावली संख्या–178/ए0ए0–1/2019–20 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि झाड़ूवाली गली में बाबा होटल तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा गली सुधार कार्य से संबंधित है। पत्रावली में मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा आख्या दी गयी है कि समान प्रकृति का कार्य जोन–2 द्वारा सम्पन्न कराकर भुगतान किया जा चुका है। अतः अन्य पत्रावली संख्या– 216/ए0ए0–2/19–20 जिसका भुगतान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात किया जा चुका है सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण पर अभिमत दिया जा सके।

पत्रांकः–112/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–27.02.2021

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से से प्राप्त आय तथा उनसे सम्बन्धित अभिलेखों के साथ आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण पंजिका, जन्म मृत्यु सम्बन्धी जमा शुल्क, विलम्ब शुल्क की संपरीक्षा भूतल पर स्थित जन्म मृत्यु कार्यालय के द्वारा विगत कई माह से नहीं करायी जा रही है, जिससे प्राप्त
आय की सम्परीक्षा नगर लेखा नियमावली के अनुसार नहीं की जा सकी। प्रपत्रों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाना नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 75(2) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रतिदिन रसीद बुके मय समस्त अभिलेखों के सम्परीक्षा विभाग में प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

पत्रांकः–113/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–06.03.2021

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

किराये के हल्के वाहनों से संबंधित भुगतान पत्रावली सम्परीक्षा के दौरान पाया जा रहा है कि लॉगबुक में अंकित वाहन संख्या को अपर लेखन करके बिल में अंकित वाहन संख्या को अंकित कर दिया जाता है यही प्रकिया चालक ओवर टाईम प्रमाणपत्र में भी किया जा रहा है। वाहन को अपर लेखन करके संशोधित किया जाना नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 5 का उल्लंघन हैं। इस प्रकार वाहन संख्या को संशोधित किये जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति सम्भावित है। इस संबंध में बिल के साथ लॉगबुक पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अंकित वाहन संख्या होने के साथ चालक ओवर टाईम की मूल प्रति ही मान्य किया जाना चाहिए अन्यथा की दशा में इसका भुगतान न किया जाना अपेक्षित है।

पत्रांकः–115/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–20.03.2021

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

नगर निगम के वाहनो को दिये गये डीजल व्यय से संबंधित भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाहनों को एक निश्चित मात्रा में प्रतिदिन डीजल निर्गत किया गया है। लॉगबुक काल्पनिक पर चली गयी दूरी अथवा समय अंकित है। उसी के आधार पर डीजल व्यय की गणना औसत के आधार पर की जाती है? यदि लगे है तो मीटर रीडिंग के अनुसार लॉगबुक पर अंकन क्यों नही किया जाता है। मीटर रीडिंग के अनुसार डीजल व्यय न किये जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति सभ्भावित है। वर्तमान समय मे डीजल व्यय की गणना से संबंधित समस्त वाहनों के औसत की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पत्रांकः–116/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–22.03.2021

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

वाहनो के डीजल व्यय से संबंधित पत्रावली तथा लॉगबुक सम्परीक्षा में पाया गया कि लॉगबुक पर कराये गये कार्य का सत्यापन नहीं किया जाता है जबकि कराये गये कार्य का क्षेत्रीय सफाई सुपरवाइजर तथा सफाई निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन सत्यापन किया जाना चाहिए। लॉगबुक पर किये गये कार्य का सत्यापन न होने से नगर निगम को आर्थिक क्षति से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः लॉगबुक पर कार्य सत्यापन होने के उपरान्त ही अगले दिन डीजल निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

पत्रांकः–117 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–22.03.2021

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

नगर निगम में हल्के वाहनों को किराये पर लगाने के संबंध में निविदा के माध्यम से कार्य किये जाने की स्वीकृति मेंसर्स ज्योति ट्रेवल को नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 04.12.2020 एवं कार्यादेश संख्या–डी / 232 / प्र0अ0वर्कशाप / एफ / 20–21, दिनांक 04.12.2020 द्वारा प्रदान किया गया है। परन्तु भुगतान पत्रावली के साथ नगर आयुक्त का स्वीकृत आदेश तथा कार्यादेश संलग्न नहीं है जिससे भुगतान पत्रावली की सम्परीक्षा सम्पन्न नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त संबंधित निविदा पत्रावली सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि दरों के स्वीकृति के आधार पर प्रस्तुत बिलों की सम्परीक्षा सम्पन्न की जा सकें।

पत्रांकः–118 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–23.03.2021

मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट)

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट, भावसिंह पनकी कानपुर के रखरखाव एवं संचालन हेतु Concrete Radial Loader की आपूर्ति से संबंधित भुगतान पत्रावली सम्परीक्षा में निम्न कमियाँ पाई गयी जिसका निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि पत्रावली की सम्परीक्षा सम्पन्न की जा सके।

1 Concrete Radial Loader का आगणन पत्रावली में संलग्न नहीं है
2 शासनाादेशानुसार जेम से आपूर्ति न लेकर ईटेण्डरिंग के माध्यम से आपूर्ति लिये जाने का औचित्य पत्रावली से स्पष्ट नहीं है
3 पत्रावली में अनुबंध पत्र तथा परफोंमस गारंटी धनराशि का विवरण संलग्न नहीं है
4 आपूर्ति एवं स्थापन का कार्य संतोषजनक होने का प्रमाणपत्र संलग्न नही है
5 Concrete Radial Loader आपूर्ति के पश्चात TPR में दर्ज होने का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है।
6 आपूर्ति 30 दिन के अन्दर करना था परन्तु 60 दिन के पश्चात किया गया है। विलम्ब से आपूर्ति किये जाने पर विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गयी है।

पत्रांकः–119 / डी / मु.न.ले.प. दिनांकः–25.03.2021

अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट)

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत कराये गये कार्य/आपूर्ति से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों में निम्न कमियाँ पायी जा रही हे जिसका विवरण निम्नवत है:–

1. सामग्री आपूर्ति अथवा होने वाले कार्य का आगणन न बनाये जाने का कारण ?
2. बिना आगणन के, प्राप्त दरों का सत्यापन किस आधार पर किया जाता है ?
3. अनुबन्ध पत्र संलग्न न किये जाने का कारण ?
4. शासनादेशानुसार 10 प्रतिशत परफार्मेस सिक्योरिटी धनराशि न लिये जाने का कारण ?
5. कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ अथवा आपूर्ति कब प्राप्त हुई पत्रावली पर अंकित नहीं। यदि विलम्ब से कार्य/आपूर्ति समाप्त/प्राप्त हुआ तो नियमानुसार कटौती न किये जाने का कारण ?
6. किराये के वाहनों की आपूर्ति दर पूर्व में आपूर्ति दर से अधिक है अधिक दर पर आपूर्ति लिये जाने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति का जिम्मेदार कौन ?
7. आपूर्ति से सम्बन्धित समस्त निविदा पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने का कारण ? जबकि पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में अविलम्ब यथोचित कार्यवाही की जाये ताकि उपलब्ध पत्रावलियों की सम्परीक्षा सम्पन्न कर वापस प्रेषित की जा सके।

पत्रांकः–120/डी/मु.न.ले.प. दिनांकः–31.03.2021

2.2 पेंशन प्रकरण एवं उपादान से कटौती

2.2.1 कुल निस्तारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण :–

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लेखा विभाग द्वारा कुल 347 पेंशन पत्रावलियां सम्परीक्षण हेतु सम्परीक्षा विभाग को प्रेषित की गयी। उक्त पत्रावलियों का निस्तारण कर (सम्बन्धित आपत्तियों एवं सुझावों सहित) लेखा विभाग को वापस की गयी।

2.2.2 नगर निगम के कर्मचारियों को अधिक किये गये भुगतान से संबंधित प्रकरण :–

पेंशन पत्रावलियों के निस्तारण के समय यह पाया गया कि कर्मचारियों का वेतन अशुद्ध निर्धारण किये जाने, अनुमन्य से अधिक अवकाश स्वीकृत किये जाने, चयन तथा प्रोन्नत वेतनमान एवं वित्तीय स्तरोन्नयन आदि लाभ समय से पूर्व स्वीकृत कर दिये जाने, अग्रिमों का समायोजन न कराये जाने इत्यादि से जो अधिक भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को प्राप्त हो गया उसकी कटौती कर्मचारियों के शपथपत्र के अनुसार उपादान से की गई। उपादान से की गयी कटौती का विवरण निम्नानुसार है:–

उपादान से कटौती

क्रम	कर्मचारी का नाम	सेवानिवृत्ति/ मृत्यु दिनाँक	उपादान से की गयी कटौती (रू0)	कटौती का मद/कारण
1	श्री रामस्वरूप	31.05.2018	9141	अधिक वेतन भुगतान कटौती
2	स्व0 गंगा प्रसाद	01.05.2020	6441	अधिक वेतन भुगतान कटौती
3	श्रीमती शांति	31.10.2020	79182	दोहरे एच.आर.ए. भुगतान कटौती
4	स्व0 अशोक	11.03.2018	92172	अधिक वेतन भुगतान कटौती
5	श्री मुन्नी लाल	31.03.2020	154570	दोहरे एच.आर.ए. भुगतान कटौती
6	स्व0 श्याम सुंदर	08.09.2019	34697	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
7	स्व0 राम भजन	25.05.2013	12356	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
8	श्री प्रहलाद	31.01.2020	39872	अधिक वेतन कटौती
9	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	30.06.2020	867	अधिक वेतन भुगतान
10	श्रीमती मुनिया	31.07.2020	60165	अधिक चिकि0 अवकाश कटौती, अधिक बोनस भुगतान कटौती
11	श्री बसंत लाल	30.06.2020	105353	अधिक वेतन भुगतान कटौती

12	श्री कल्लू	17.05.2019	41862	अधिक वेतन भुगतान कटौती
13	श्री मो0 आसिम	30.06.2020	580	अधिक वेतन भुगतान कटौती
14	स्व0 भारत	12.10.2019	21413	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
15	श्री सुनील त्रिपाठी	31.07.2020	96948	अधिक वेतन भुगतान कटौती, भवन अग्रिम कटौती
16	श्री बाबू लाल	31.032020	589	अधिक वेतन भुगतान कटौती
17	श्रीमती रामा देवी	31.03.2020	1764	अधिक वेतन भुगतान कटौती
18	श्री नूरूल हक	20.01.2019	135799	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
19	स्व0 विनय कुमार टण्डन	31.01.2001	67070	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
20	श्री राजेन्द्र सिंह	31.01.2020	124971	अधिक वेतन भुगतान कटौती
21	श्री जय करन	31.03.2020	39003	अधिक वेतन भुगतान कटौती
22	श्री राम नरेश	30.06.2020	192	अधिक वेतन भुगतान कटौती
23	स्व0 दीपक कुमार	13.01.2020	156115	अधिक एच.आर.ए
24	श्री मो0 इसरार	30.06.2020	192	अधिक वेतन भुगतान कटौती
25	श्री मिही लाल	30.06.2020	1644	अधिक वेतन भुगतान कटौती
26	स्व0 प्रेम नारायण शर्मा	23.12.2018	43584	अधिक वेतन भुगतान कटौती
27	श्रीमती राजकुमारी	30.04.2020	53236	अधिक चि0 अवकाश कटौती
28	श्रीमती सरबती	29.02.2020	15337	दोहरे एच.आर.ए. भुगतान कटौती, अधिक वेतन भुगतान कटौती
29	श्री बिरजू वाघमार	30.07.2019	62828	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
30	श्रीमती राधा	30.04.2020	1357	अधिक वेतन भुगतान कटौती
31	स्व0 फतेह उल्लाह	31.07.2011	11669	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
32	स्व0 गोपाल त्रिपाठी	31.01.1992	11060	अधिक वेतन भुगतान कटौती
33	श्री बब्बू	31.03.2020	1203	अधिक मेडिकल अवकाश एल.पी. डब्लू. के कारण हुये अधिक भुगतान
34	स्व0 श्याम कुमार शुक्ला	06.08.2019	17747	अधिक पेंशन भुगतान कटौती

35	श्रीमती सुशीला किस्कू	30.11.2019	68139	दोहरे आवास भत्ते की कटौती
36	स्व0 समीउल्ला	26.08.2019	113	अधिक वेतन भुगतान कटौती
37	श्रीमती केसर	30.11.2019	69050	दोहरे एच.आर.ए. भुगतान कटौती
38	स्व0 लालता प्रसाद	14.07.2019	3693	अधिक वेतन भुगतान कटौती
39	श्रीमती इमारती	15.03.2017	276920	दोहरे आवास भत्ते की कटौती
40	स्व0 दयानन्द	16.06.2019	8232	पा0 पेंशन से अधिक भुगतान
41	स्व0 अजय पाण्डेय	25.04.2020	100000	भवन अग्रिम की कटौती
42	श्री सुदामा प्रसाद	30.04.2020	101083	भवन अग्रिम मय ब्याज कटौती
43	श्री भोपा	01.11.2019	11600	कटौती पेंशन भुगतान
44	श्री अहमद अली	31.05.2020	25000	भवन अग्रिम कटौती
45	श्री कुलदीप तिवारी	30.06.2021	192	अधिक वेतन भुगतान कटौती
46	श्री अमीन	30.06.2021	192	अधिक वेतन भुगतान कटौती
47	श्रीमती प्रेमवती	30.04.2021	1357	अधिक वेतन भुगतान कटौती
48	स्व0 उमाकृष्ण श्रीवास्तव	22.11.2020	14157	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
49	स्व0 अशोक	09.08.2020	12703	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
50	श्री आजाद	31.09.2021	387	अधिक वेतन भुगतान कटौती
51	स्व0 छोटे लाल	22.07.2020	100000	चिकित्सा अग्रिम
52	श्रीमती तारा	30.04.2021	1022	अधिक वेतन भुगतान कटौती
53	स्व0 श्रीमती मीरा	13.01.2020	164804	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
54	स्व0 सैय्यददीन	14.01.2021	2780	अधिक वेतन भुगतान कटौती
55	स्व0 विशनू	23.05.2018	10400	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
56	स्व0 किशन	08.11.2019	7722	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
57	श्रीमती शिवकुमारी	31.03.2021	44478	अस्थायी अग्रिम कटौती
58	स्व0 नन्दू	06.08.2020	75730	अधिक वेतन भुगतान कटौती

59	स्व0 भानू	24.09.2020	1026	अधिक वेतन भुगतान कटौती
60	स्व0 श्याम सुन्दर	22.04.2021	22924	अधिक वेतन भुगतान कटौती
61	स्व0 रामखिलावन	05.03.2021	27981	अधिक वेतन भुगतान कटौती
62	स्व0 रमेश कुमार	02.05.2021	27981	अधिक वेतन भुगतान कटौती
63	स्व0 रमेश	28.11.2020	1421	अधिक वेतन भुगतान कटौती
64	स्व0 राजू	30.11.2020	1357	अधिक वेतन भुगतान कटौती
65	स्व0 पप्पू	13.04.2020	1357	अधिक वेतन भुगतान कटौती
66	स्व0 राम मनोहर	17.12.2020	27732	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
67	स्व0 सत्तीदीन	22.01.2021	5625	अधिक चिकित्सा भुगतान कटौती
68	स्व0 शान्ति	09.09.2020	57456	अधिक वेतन भुगतान कटौती
69	स्व0 भगवान दास	05.04.0217	228515	अधिक पेंशन भुगतान कटौती, भवन किराया भत्ता
70	श्रीमती राजरानी	28.02.2021	744	अधिक वेतन भुगतान कटौती
71	स्व0 प्यारे लाल	09.12.2020	35054	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
72	श्रीमती अनीता	28.02.2021	6646	अधिक वेतन भुगतान कटौती
73	स्व0 मेंहदी हसन	30.11.2010	18372	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
74	स्व0 छोटे लाल	21.08.2019	64051	एच.आर.ए., अधिक पेंशन एवं अधिक वेतन भुगतान कटौती
75	श्री कालीचरन	30.06.2016	77240	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
76	स्व0 जंगबहादुर	06.12.2020	8658	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
77	स्व0 लल्लू	31.03.2018	40916	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
78	स्व0 सोहन	28.05.2020	112756	अधिक वेतन भुगतान कटौती
79	श्रीमती मैकी	31.08.2020	502	अधिक वेतन भुगतान कटौती
80	स्व0 मूल चन्द्र मिश्रा	31.08.2004	29538	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
81	स्व0 हीरा	16.11.2020	7942	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
82	श्रीमती रानी	31.01.2021	120424	अधिक वेतन भुगतान कटौती

83	स्व0 अनिल कुमार	22.03.2018	336	अधिक वेतन भुगतान कटौती
84	स्व0 सुनील	14.11.2018	618	अधिक वेतन भुगतान कटौती
85	स्व0 श्याम नारायण	10.06.2020	13377	अधिक पेंशन भुगतान कटौती
86	स्व0 मुन्ना	01.03.2020	92502	अधिक पेंशन भुगतान कटौती

कटौतियों का कुल योगः– रू0 3633782
(रू0 छत्तीस लाख तैंतीस हजार सात सौ बयासी मात्र)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न कर्मचारियों को किये गये अधिक भुगतान रू0 3633782/– (रू0 छत्तीस लाख तैंतीस हजार सात सौ बयासी मात्र) की वसूली सम्परीक्षा विभाग की संस्तुति पर की गयी फलस्वरूप नगर निगम को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाया जा सका।

2-1 नगर निगम, कानपुर की वित्तीय स्थिति

नगर निगम, कानपुर में दिनांक 04.05.2022 को मा0 सदन द्वारा पारित बजट वर्ष 2022–23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 की संपूर्ण वित्तीय स्थिति निम्नवत है।

आय पक्ष

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय (2020–21) (लाख में)
	Revenue Income (राजस्व आय)		**राजस्व आय**	
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	17128.94
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	177.59
1401	Free & User Charges	1401	शुल्को से आय	1639.34
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	56.01
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	0.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	519.02
1901	Other Income	1901	अन्य आय	572.41
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	37463.72
	Total-(A)		योग (अ)	57557.03
	Capital Income (पूंजीगत आय)		**पूँजीगत आय**	
3111	Earmarked funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	
3111	Finance Commission: Forteenth\Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	22612.22
3111	SpecialFund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थपना निधि	210.32
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	945.23
3301	Secured Loans/ Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	0.00
	TOTAL-B-		योग (ब)	23767.77
	TOTAL (A+B)		योग (अब)	81324.80
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)	
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवालविंग फण्ड)	0.00
3111	JNNURM Scheme	3111	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत योजना प्राप्तियाँ	160.19
	TOTAL-C-		योग (स)	160.19
	Total Revenue, Capital &		कल राजस्व, पूँजीगत एवं	81484.98

	JNNURM Amrut A+B+C		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत आय (अ+ब+स)	
4502	Opening Balance	4502		41206.05
	Grand Total		महायोग	**122691.03**

व्यय पक्ष

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक व्यय (2020–21) (लाख में)
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय	
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	41902.64
2201	Administrative	2201	प्रशासनिक व्यय	2103.68
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	11350.94
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	612.01
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	524.53
	TOTAL-D-		योग (द)	56493.79
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय	
3111	Eaarmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	12402.05
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	329.97
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	1468.97
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	0.00
	Total-E-		योग (य)	14200.99
	Total - (D+E)		योग (द+य)	70694.78
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)	
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	0.00
4604	JNNURM Scheme Advance & Expenses, etc.	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम. / अमृत योजना अग्रिम / व्यय आदि	-53.83
	TOTAL-F-		योग (र)	-53.83
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	70640.94

	Expenses (D+E+F)			
3401	Less Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें / उचन्त खाते	-3841.35
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**74482.29**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष	48208.74
	Grand Total		**महायोग**	**122691.03**

2.3 लेखा परीक्षा टिप्पणी

❖ सम्परीक्षा विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष 2020–21 में उठायी गयीं 40 साधारण आपत्तियों में से किसी भी आपत्ति का निराकरण नहीं कराया गया एवं इसी प्रकार आलोच्य वर्ष 2020–21 में उठायी गयीं 17 विशेष आपत्तियों में भी किसी भी विशेष आपत्ति का निराकरण नहीं कराया गया। साथ ही जोनों में पदस्थ लेखापरीक्षकों द्वारा कानपुर नगर निगम की सीमान्तर्गत स्थित व्यवसायिक सम्पत्तियों के किये गये कर निर्धारण से संबंधित पत्रावलियाँ एवं अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने के लिये संबंधित जोन के जोनल अधिकारियों से बार–बार लिखित एवं मौखिक रूप से माँग की गयी, परन्तु संबंधित जोनल अधिकारियों द्वारा वांछित कर निर्धारण पत्रावलियाँ एवं अभिलेख परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जो कि गंभीर अनियमितता का परिचायक है। साथ ही कानपुर नगर निगम के आर्थिक हितों के सवर्था प्रतिकूल है।

❖ नगर निगम कर्मचारियों के पेंशन एवं उपादान प्रकरण, मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये गये कानपुर नगर निगम निवृत्ति वेतन एवं सामान्य भविष्य निधि विनियम 1962 में दी गयी व्यवस्था जैसा कि अन्तिम रूप से संशोधन संख्या 1708 लेखा/माह–पेंशन–87–88 दिनाँक 11 जनवरी 1988 बजट में प्रकाशन दिनाँक 13 अगस्त 1988, द्वारा संशोधित है, के अन्तर्गत निस्तारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पेंशन मामलों के प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब परिवर्जन हेतु नियमावली 1995 बनायी गयी थी, जिसके अनुसार कार्य किये जाने हेतु एक समय सारिणी दी गयी है। जिसका अनुपालन कानपुर नगर निगम के विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में नहीं किया जाता है।

❖ लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराये गये लेखों की प्रारम्भिक जाँच में पाया गया कि दोहरी लेखा प्रणाली के तहत निर्धारित प्रारूप में रोकड़–बही तैयार नहीं की जाती है। लेखा विभाग द्वारा मात्र प्राविजनल बैंक बुक मासिक आधार पर तैयार की जा रही है। दोहरी लेखा प्रणाली के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों के रख रखाव हेतु निम्न प्राथमिक बुक्स ऑफ एकाउन्टस रखा जाना अनिवार्य है–

1. कैश बुक 2. सैपरेट बैंक बुक 3. जर्नल बुक 4. लेजर 5. प्रापर्टी रजिस्टर

लेखा विभाग द्वारा दोहरी लेखा प्रणाली के तहत उपर्युक्त आवश्यक समस्त अभिलेख यथा कैश बुक, सैपरेट बैंक बुक, जर्नल बुक, लेजर एवं प्रापर्टी रजिस्टर में से मात्र बैंक बुक की हार्ड कापी तैयार की जाती है, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाते एवं कैश बुक, जर्नल बुक एवं लेजर की हार्ड कापी तैयार नहीं की जाती, जो कि लेखा कार्य में बरती जा रही एक गम्भीर अनियमितता है। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में

कानपुर नगर निगम के लेखा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैंक बुक, जिसे लेखा विभाग द्वारा कैश बुक की संज्ञा दी जाती है, एवं उपलब्ध कराये गये पेमेण्ट एवं रिसीट रजिस्टर का परीक्षण लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा विभाग में उपलब्ध रिसीट एवं पेमेण्ट बाउचर्स द्वारा किया गया एवं लेखन कार्य में कई गंभीर अनियमिततायें प्रकाश में लायी गयीं हैं।

❖ परीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि दोहरी लेखा प्रणाली के तहत प्रतिमाह बैंक रिकन्सिलेएशन एवं इण्टरयूनिट रिकन्सिलेएशन का कार्य भी लेखा विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार नहीं किया जाता एवं सम्परीक्षा हेतु कुछ माह के उपलब्ध कराये गये बैंक रिकंशिलिएशन को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया, जिससे बैंक रिकंशिलिएशन की प्रमाणिकता सिद्ध न हो सकी।

❖ लेखा नियमावली में अभिलेखों हेतु निर्धारित प्रारूप एवं प्रमुख सचिव नगर विकास के शासनादेश संख्या 4094/9–5–2008–119सा/2007 दि0 02 जून 2008 के आदेश के अनुसार आवश्यक अभिलेखों (यथा रोकड़बही, सैपरेट बैंक बुक, जर्नल बुक, लेजर, प्रापर्टी रजिस्टर एवं बैंक रिकंशिलिएशन) के अप्रस्तुतीकरण से यह स्पष्ट है कि निगम द्वारा किये गये समस्त संदाय विधि के अनुसार नहीं है, साथ ही यह भी स्पष्ट है कि निगम द्वारा किये गये समस्त व्यय मौलिक या अनुवर्ती रूप से अनुमोदित बजट के समुचित उपबन्ध द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

❖ नगर निगम के लेखों को उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तैयार करना एवं सम्परीक्षित कराना आवश्यक है। परन्तु लेखा अधिकारी के संज्ञान में लाने के बावजूद नगर निगम के लेखों को उपर्युक्त लेखा नियमावली के अनुसार तैयार नहीं किया जाता है। लेखा नियमावली के प्रपत्र संख्या–1 में सामान्य रोकड़–बही तैयार किया जाना एवं उसे प्रतिदिन समस्त भुगतान प्रमाणकों के साथ आडिट हेतु मुख्य नगर लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 के अनुसार अनिवार्य है। लेखा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियमों का अनुपालन न कर लेखा नियमावली एवं प्रमुख सचिव नगर विकास के शासनादेश संख्या 4094/9–5–2008–119सा/2007 दि0 02 जून 2008 का उल्लंघन किया जा रहा है।

❖ उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 11 में उपबन्धित है कि "विभागीय रोकड़बहियाँ प्रपत्र 4 में रखी जायेंगी तथा सामान्य रोकड़–बही से जाँच–पड़ताल और मिलान के लिए उन्हें प्रतिसप्ताह लेखा अधिकारी को भेजा जायेगा। लेखा अधिकारी इस बात की जाँच करेगा कि विभागीय रोकड़–बही में दर्ज समस्त धनराशियाँ यथाविधि जमा की गयीं हैं और यह देखेगा कि धनराशि और वर्गीकरण दोनो की दृष्टि से वह उस (पदाधिकारी) की

सामान्य रोकड़–बही से मेल खाती है। लेखा अधिकारी, अपने द्वारा उसकी जाँच पड़ताल किये जाने के प्रतीक स्वरूप विभागीय रोकड़–बही पर हस्ताक्षर करेगा और तत्पश्चात् उसे विभागीय पदाधिकारी को लौटा देगा।" परन्तु सम्परीक्षा में यह पाया गया कि लेखा अधिकारी द्वारा विभागीय रोकड़बहियाँ हस्ताक्षरित नहीं की जा रहीं है।

❖ शासनादेश संख्याः– 12/2017/540/18–2–2017–97(ल0उ0)/2018 दिनाँक 25.08.2017 के माध्यम से जेम पोर्टल से क्रयदारी किये जाने के आदेश पारित किये गये, किन्तु कानपुर नगर निगम के अधिकांश विभागों द्वारा बिना जेम पोर्टल के क्रयदारी की गयी, जबकि जेम पोर्टल पर दरें कम थी फलस्वरूप प्रतिस्पार्धात्यक दरें प्राप्त न होने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुचाई गयी।

❖ आपूर्तित सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार आयकर तथा जी0एस0टी0 की कटौती कर भुगतान किये जाने का प्राविधान है परन्तु प्रायः पाया गया कि नगर निगम द्वारा आयकर तथा जी0एस0टी0 की कटौती न करके समस्त भुगतान फर्म को कर दिया गया जिससे शासकीय क्षति हुआ। इस सम्बन्ध में सम्परीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने के बावजूद भी कटौती नहीं की गयी जो आपत्तिजनक है।

2.4 उपसंहार

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 में उठायी गयी आपत्तियों के निस्तारण एवं समुचित कार्यवाही हेतु विशेष आपत्ति, साधारण आपत्ति तथा पत्रों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु अनुभव में पाया गया कि उठायी गयी आपत्तियों के निस्तारण के प्रति विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी उदासीन रहे। जिसके फलस्वरूप उठायी गयी आपत्तियों के माध्यम से अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी वहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित सफाई कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान निर्धारित कुल मजदूरी से अधिक किये जाने पर प्रतिमाह लगभग रू0 45 लाख का अधिक भुगतान किया जा रहा था जिसे आपत्ति किये जाने पर नगर निगम को प्रतिमाह लगभग रू0 45 लाख की बचत हुई। इस प्रकार यदि उठायी गयी आपत्तियों पर ध्यान दिया जाय तो नगर निगम में अनियमित भुगतान तथा अनियमितता पर रोक लगायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम–76 में स्पष्ट प्राविधान है कि आपत्ति जारी किये जाने के एक पक्ष के भीतर उन्हें विभागीय पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ऐसी टिप्पणियों के साथ लौटा दिया जायेगा, जिसमें उठायी गयी आपत्तियों को निपटाने के लिये की गयी या की जाने वाली कार्यवाही दी रहेगी, परन्तु उठायी गयी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया जाता जिसके परिणामस्वरूप आपत्तियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 144(1) में स्पष्ट प्राविधान है कि धारा 142 के अधीन लेखों की जाँच एवं परीक्षा के प्रयोजनों के लिये मुख्य नगर लेखा परीक्षक को नगर निगम के समस्त लेखे तथा उनसे सम्बद्ध समस्त अभिलेख और पत्र व्यवहार प्राप्त होंगे इन प्राविधानों के होते हुये भी बहुत से अभिलेख माँगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किये गये, इस सम्बन्ध में बार–बार माँग–पत्रों, अनुस्मारकों, विभागीय पत्रों द्वारा विभागीय अधिकारियों तथा प्रशासन को अवगत कराया गया, जिनका उल्लेख लेखा परीक्षा आलोच्य वर्ष 2020–21 में भी है। परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही उनके द्वारा सम्परीक्षा हेतु सम्बन्धित अभिलेख ही उपलब्ध कराये गये। जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मास के अधिकांश लेखे असम्परीक्षित रह गये।

अंत में नगर निगम प्रशासन को सम्परीक्षा में सहयोग प्रदान करने के लिए एवं लेखा परीक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया जाता है।

दिनांक:–29.09.2022

Israr 29/09/22

(इसरार अम्बिया अन्सारी)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम कानपुर